खण्ड-383, अंक-1
मंगलवार, 8 पौष, शक संवत् 1909
(29 दिसम्बर, 1987 ई0)

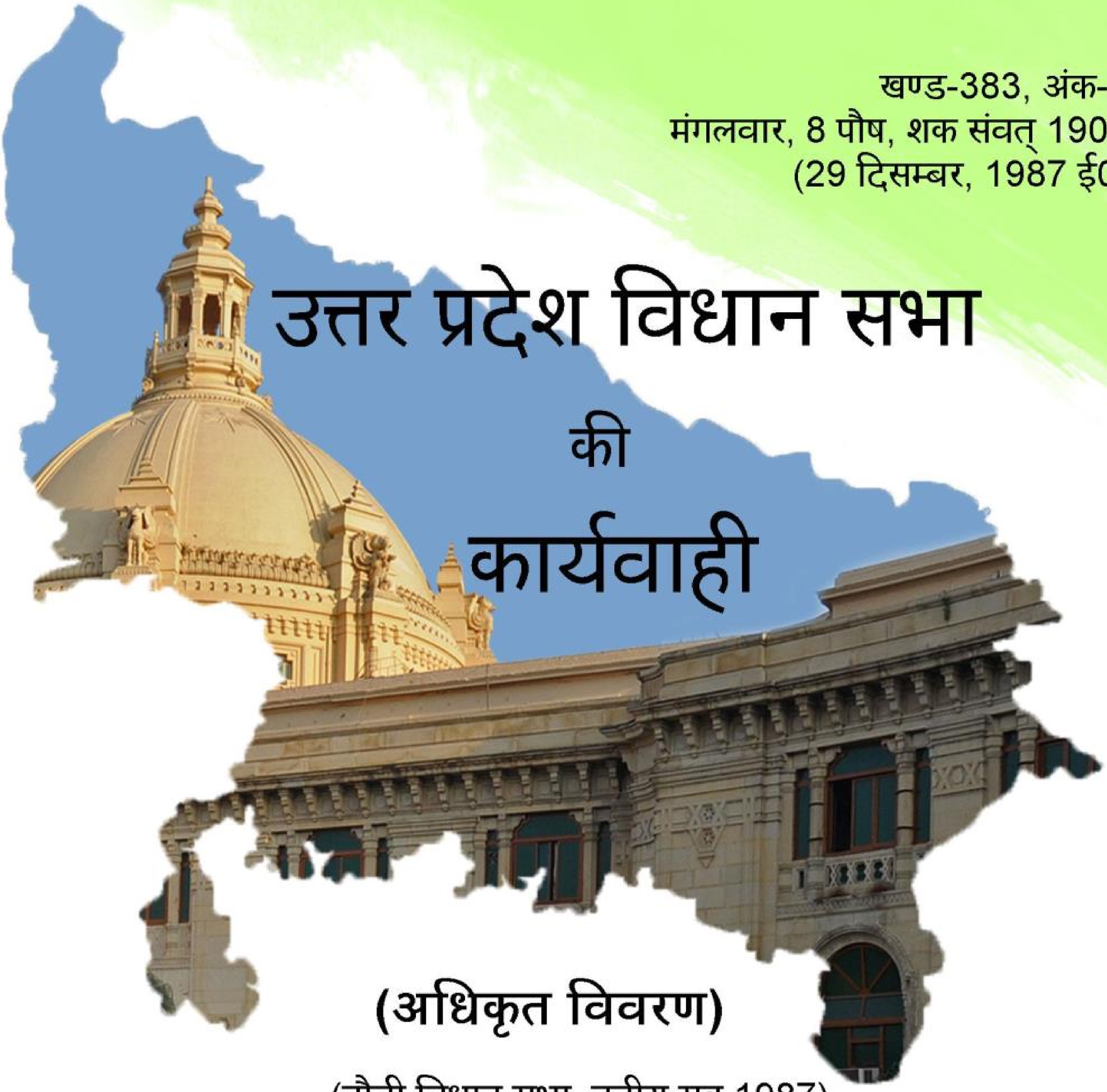

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, तृतीय सत्र 1987)

खण्ड 383 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1987

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल १० रुपये, महसूल सहित १२ रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
राज्यपाल, मन्त्रि-परिषद तथा नेता, विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी, अधिष्ठाता मण्डल	क–घ
उपस्थित सदस्य	ङ
प्रश्नोत्तर	1–73
विधान सभा की वर्तमान सदस्या श्रीमती सरोज वर्मा के निधन पर शोकोद्गार ..	74–77
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रोशन जमा खां, श्री राम किशोर वर्मा, श्री मूलचन्द, कुमारी कमल कुमारी गोईन्दी, श्री सत्य प्रकाश, श्री सुखद राज सिंह, श्री शिव नारायण, श्री कृष्ण सिंह, श्री केशोराम, श्री कन्हई सिंह के निधन पर शोकोद्गार	78–86
तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री श्री एम0 जी0 रामचन्द्रन के निधन पर शोकोद्गार ..	87–91
कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा के निधन पर शोकोद्गार	92–98
नत्थियां	99–116

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राज्यपाल

श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ

मन्त्रि-परिषद्

1—श्री वीर बहादुर सिंह	मुख्य मन्त्री एवं मन्त्री सामान्य प्रशासन, प्राविधिक शिक्षा, विज्ञान एवं प्रोद्योग, पर्यावरण एवं परिस्थिति विज्ञान, पर्वतीय विकास, नागरिक उड्डयन, सार्वजनिक निर्माण, वित्त न्याय, गन्ना विकास, वन, पर्यटन, सांस्कृतिक कार्य, राष्ट्रीय एकीकरण, सूचना, पूर्त-धर्मस्व, सिंचाई, खाद्य तथा रसद, आबकारी, एवं मद्य निषेध, उद्योग, पशुधन, जेल एवं राजनैतिक पेंशन, नियोजन, ऊर्जा तथा परिवहन।
2—श्री बल्देव सिंह आर्य	वन मन्त्री ।
3—श्री लोकपति त्रिपाठी	जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री।
4—श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी।	हरिजन कल्याण, समाज कल्याण एवं सैनिक कल्याण मन्त्री ।
5—श्री नरेन्द्र सिंह	कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसन्धान, उद्यान एवं फल उपयोग।
6—श्री श्याम सूरत उपाध्याय	ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज, क्षेत्रीय विकास, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मन्त्री।
7—श्री अरुण कुमार सिंह (सदस्य, विधान परिषद्)	सहकारिता मन्त्री।
8—श्री सिब्ते रजी (सदस्य विधान परिषद्)	शिक्षा, मुस्लिम वक्फ मन्त्री।
9—श्री गोपीनाथ दीक्षित	गृह मन्त्री।
10—श्री अम्मार रिजवी (सदस्य विधान परिषद्)	संसदीय कार्य एवं राजस्व, अभाव तथा सहायता एवं पुनर्वास मन्त्री।
11—श्री सईदुल हसन	श्रम, सेवायोजन मन्त्री।

राज्य मन्त्री

1—श्री हुकुम सिंह	संसदीय कार्य, खाद्य एवं रसद तथा पशुधन मंत्री।
2—श्रीमती पद्मा सेठ	नगर विकास, जल सम्पूर्ति एवं नगर भूमि तथा आवास मंत्री
3—श्री शिव बालक पासी	कृषि मंत्री।
4—श्री ओम प्रकाश रिछारिया	वित्त तथा नियोजन मंत्री।
5—श्री गौरी शंकर	राजस्व मंत्री।
6—श्री मानपाल सिंह	खाद्य तथा रसद मंत्री।

7—श्री प्रमोद कुमार तिवारी	ऊर्जा एवं पर्यटन मंत्री।
8—श्री भोला शंकर मौर्य	सार्वजनिक निर्माण मंत्री।
9—श्री निसार अहमद अन्सारी (सदस्य विधान परिषद्)	लघु उद्योग एवं हथकरघा मंत्री।
10—श्री राम औतार दीक्षित	पर्वतीय विकास एवं सहकारिता मंत्री।
11—श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान	गृह, न्याय एवं जेल मंत्री।
12—श्री चेतराम गंगवार	प्राविधिक शिक्षा, बीस सूत्री कार्यक्रम एवं ग्राम्य विकास मंत्री।
13—श्री राम नरेश शुक्ल	सामान्य प्रशासन, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा तथा राजनीतिक पेंशन मंत्री।
14—श्री सीताराम निषाद	मत्स्य, सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण मंत्री।
15—कु0 सरस्वती अम्माल (सदस्य विधान परिषद्)	श्रम मंत्री।
16—श्री संकठा प्रसाद शास्त्री	शिक्षा मंत्री।
17—श्री प्रवीण कुमार शर्मा	उच्च शिक्षा मंत्री।
18—श्रीमती दीपा (सदस्य निधान परिषद्)	पर्यावरण एवं परिस्थिति विज्ञान, विज्ञान एवं प्रोद्योग, सांस्कृतिक कार्य तथा सूचना मंत्री।
19—श्री राम नाथ मुन्शी	आबकारी तथा गन्ना विकास मंत्री।

उप मंत्री

श्रीमती प्रेमीला बद्धवार मेहरा	पर्यटन मंत्री।

नेता, विरोधी दल

श्री सत्यपाल सिंह

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री नियाज हसन

उपाध्यक्ष

श्री त्रिलोक चन्द्र

सचिव

श्री भाल चन्द्र शुक्ल

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अधिष्ठाता मण्डल

1—श्रीमती कमला साहनी (बस्ती) ।

2—डा० कृष्णवीर सिंह कौशल (आगरा) ।

3—श्री खान गुफरान जाहिदी (फतेहपुर) ।

4—श्री जयदीप सिंह बरार (बरेली) ।

5—श्री भगवती सिंह विशारद (उन्नाव) ।

6—श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी (उन्नाव) ।

7—श्री बेनी प्रसाद वर्मा (बाराबंकी) ।

8—कुंवर रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद) ।

9—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (सीतापुर) ।

10—डा० शिवानन्द नौटियाल (गढ़वाल) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार दिनांक 29 दिसम्बर, 1987

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे —

अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर
अलमेलू अम्माल, कुमारी	बस्ती
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बहराइच
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा
काजी कलीमुर्रहमान, श्री	आजमगढ़
कौशिक रमा शंकर, श्री	मुरादाबाद
दूधनाथ, श्री	जौनपुर
नारायण हरि शर्मा, श्री	अलीगढ़
प्रभु दयाल, प्रधान	मेरठ
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रेमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती	बदायूं
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
बसन्त सिंह गहलौत, श्री	बिजनौर
बाबू सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	बुलन्दशहर
राम नरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर, श्री	बाराबंकी
रीता कुमारी, श्रीमती	मुरादाबाद
लालता प्रसाद निषाद, चौधरी	गाजीपुर
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवमंगल सिंह, श्री	बलिया
शूर वीर सिंह सजवाण, श्री	टेहरी गढ़वाल
संजय सिंह, डा0	सुल्तानपुर
सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
सतीश अजमानी, श्री	खीरी
सन्तन बड़थ्वाल, श्री	चमोली
समर पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
सुरेश चन्द्र, श्री	नैनीताल
हीरा सिंह बिष्ट, श्री	देहरादून

विधान सभा उत्तर प्रदेश

बिहार मजदूर सभा

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, दिनांक 29 दिसम्बर, 1987

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

विद्युत अभियन्त्रण खण्ड (सा0 नि0 वि0) काशीपुर के कर्मचारी श्री गौरी शंकर के ऊपर कथित प्राणघातक हमला

*1—श्री पूरन सिंह माहरा—

क्या सरकार को जानकारी है कि विद्युत अभियंत्रण खण्ड (सा0 नि0 वि0) काशीपुर के एक हरिजन कर्मचारी श्री गौरी शंकर के ऊपर उसी विभाग के उच्च पदस्थ अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ चार जुलाई को प्राणघातक हमला किया तथा दुर्व्यवहार किया जिसके विरोध में न्याय प्राप्ति हेतु श्री गौरी शंकर दिनांक 21 अगस्त, 86 से आमरण अनशन पर बैठा था? इसी आशय की जानकारी अध्यक्ष नगर युवक कांग्रेस (ई) द्वारा जिलाधिकारी नैनीताल को अपने पत्र दिनांक 18-8-86 द्वारा दी गई थी? यदि हां, तो शासन द्वारा उक्त अधीक्षण अभियन्ता व उसके साथियों के विरुद्ध हरिजन युवक के साथ दुर्व्यवहार करने पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

सूचना एकत्र की जा रही है।

[मंगलवार, दिनांक 29 दिसम्बर, 1987 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

शिक्षा अनुभाग—11 में अधिक समय से कार्यरत प्रवर वर्ग सहायकों की संख्या

*1—श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शिक्षा अनुभाग—11 में कितने ऐसे प्रवर वर्ग सहायक हैं जो इसी अनुभाग में 6 वर्ष से अधिक अवधि से लगातार कार्यरत हैं? इनके एक ही अनुभाग में कार्यरत रहने का औचित्य क्या है? क्या सरकार ऐसे प्रवर वर्ग सहायकों का तत्काल शिक्षा विभाग से अन्यत्र स्थानान्तरण करने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शिक्षा (11) अनुभाग में दो प्रवर वर्ग सहायक 6 वर्ष से अधिक अवधि से लगातार कार्यरत हैं। कार्य हित में उन्हें इस अनुभाग में बनाये रखा गया है और कार्य हित में ही सम्प्रति इनका स्थानान्तरण प्रस्तावित नहीं है।

रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच

*2—श्री बिहारी लाल दोहरे तथा श्री बदन सिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि वर्तमान रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसाइटीज के विरुद्ध गत वर्ष 1986 से नागरिकों तथा विधायक श्री सुन्दर लाल के कई शिकायती-पत्र भ्रष्टाचार आदि के संबंध में प्राप्त हुए थे? यदि हां, तो वे शिकायतें क्या हैं तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। वर्तमान रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, उ0 प्र0 के विरुद्ध कतिपय नागरिकों तथा विधायकों के शिकायती-पत्र भ्रष्टाचार आदि के संबंध में शासन को प्राप्त हुए हैं। किन्तु विधायक श्री सुन्दर लाल का इस विषय में कोई शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

वर्तमान रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्रों में उल्लिखित मुख्य शिकायतें यह हैं कि दिन भर कार्यालय में नहीं बैठते, इनामी चिट योजनाओं में नियंत्रण न रखना तथा यह योजनायें कतिपय आडिटरों द्वारा कमीशन लेकर चलवाई जाना, फरवरी, 1987 में लिपिकों, फोटो स्टेट मशीन आपरेटर आदि के चयन में गड़बड़ी करना, विभाग के दो आडिटरों को अनियमित रूप से प्रोन्नति देना लाखों रुपये की अवैध कमाई करना, फोटो स्टेट मशीन आपरेटर श्री लाल सिंह से घरेलू कार्य करवाना, क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक रजिस्ट्रारों की मासिक बैठक बुलाकर यात्रा व्यय में हजारों रुपये व्यय करना, कार का निजी कार्य में दुरुपयोग करना, एक कर्मचारी से धमकी आदि देकर त्याग-पत्र लिखवाना आदि हैं।

प्राप्त शिकायती पत्रों में से एक शिकायती-पत्र का निस्तारण किया जा चुका है। शेष अन्य शिकायती-पत्रों पर जांच संबंधी कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश सरकार द्वारा सभी उपक्रमों की प्रबन्ध व्यवस्था हेतु तकनीकी तथा प्रशासनिक अधिकारियों का पैनल बनाने पर विचार

*3–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय सार्वजनिक उपक्रमों को चलाने हेतु संबंधित उपक्रम की पूरी तकनीकी जानकारी रखने वाला कोई भी मैनेजमेंट पूल नहीं है जो इन सभी उपक्रमों की प्रबन्ध व्यवस्था देख सके ? क्या प्रदेश सरकार केवल तकनीकी तथा प्रबन्धकीय जानकारी रखने वाले और अवकाश प्राप्त प्रशासनिक अधिकारियों को ही सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबन्धक बनाने की नीति से सिद्धान्ततः सहमत है? यदि हां, तो क्या इस हेतु शासन एक स्थायी तथा प्रशिक्षित मैनेजमेंट पूल बनाने की नीति निर्धारित करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

प्रदेश सरकार तकनीकी, प्रबन्धकीय तथा प्रशासनिक अनुभवी अधिकारियों का एक ऐसा पैनल बनाने पर विचार कर रही है जिसमें से विभिन्न सरकारी उद्यमों/उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी पदों पर नियुक्ति के लिए चयन पर विचार किया जायेगा, शेष प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर में हरियाणा प्रदेश को जोड़ने हेतु जमुना नदी पर पुल बनाने की योजना

*4–श्री राम शरण दास–

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 सरकार जनपद सहारनपुर के ब्लाक मंगलौर में जमुना नदी के किनारे किसी ग्राम से हरियाणा प्रदेश को जोड़ने के

लिए जमुना नदी पर पुल बनाने की योजना पर विचार कर रही है, जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने जून, 1986 के अपने सहारनपुर जनपद के दौरे के समय कस्बा गंगोह की जनसभा में घोषणा की थी? यदि हां, तो उक्त के संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुयी है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

पान्टून की उपलब्धता की जानकारी विभाग से की जा रही है।

अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आजमगढ़ (श्री राजेन्द्र कुमार टण्डन) के विरुद्ध जांच आदेश

*5–श्री बलराम यादव–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, आजमगढ़ (श्री राजेन्द्र कुमार टण्डन) के विरुद्ध मा0 सीताराम निषाद राज्य मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपने पत्र संख्या 497/86 दिनांक 30-5-86 तथा पत्र संख्या 1029/एस0एम0-पी0 डब्लू0 एफ0/86 दि0 18-7-86 के द्वारा सचिव एवं प्रमुख अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग को सतर्कता विभाग द्वारा जांच कराने तथा स्थानान्तरण करने को लिखा है? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

पत्र संख्या-497/86 दिनांक 30-5-86 के अनुपालन में श्री राजेन्द्र कुमार टण्डन अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग के विरुद्ध जांच पूरी हो चुकी है तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है एवं इनका स्थानान्तरण विचाराधीन है। पत्र संख्या-1029/एस0एम0पी0डब्लू0एफ/86, दिनांक 18-7-86 के अनुपालन में श्री बहाउ राम यादव लिपिक एवं श्री उदय भान यादव स्टोर कीपर के स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर दिये गये हैं एवं उन्हें प्रान्तीय खण्ड आजमगढ़ में रोक लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के पत्रकारों के परिवहन एवं चिकित्सा की निःशुल्क सुविधा प्रदान करने की मांग

*6–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों को परिवहन तथा चिकित्सा संबंधी निःशुल्क सुविधायें देने के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं? यदि हां, तो यह विचार कब तक पूर्ण हो जायेगा?

पर्यावरण एवं परिस्थिति विज्ञान राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा

कालीदास मार्ग पर अनधिकृत रूप से काबिज छः व्यक्तियों का मामला न्यायालय के विचाराधीन

*7—श्री शारदा प्रताप, श्री अर्जुन सिंह यादव तथा श्री मूल चन्द्र—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के पहले मंगल के तारांकित प्रश्न सं0 5 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक राज्य सम्पत्ति अधिकारी के पत्रांक संख्या 247/32-ए0 आर0 एस0 ए0/87 दिनांक 24 अगस्त, 1987 के अनुसार अनधिकृत काबिज 6 व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ? इन्हें कब तक उक्त भूमि से हटा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह —

अनधिकृत रूप से काबिज छः व्यक्तियों के विरुद्ध विहित प्राधिकारी न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है, जो अभी न्यायालय के विचाराधीन है ।

न्यायालय के निर्णय के अनुसार मामले में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अंग्रेजी की अनिवार्यता

*8—श्री कल्यान सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा हिन्दी होने के बावजूद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सेवाओं में भर्ती हेतु सामान्य अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में माना हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार लोक सेवा आयोग उ0 प्र0 से सामान्य अंग्रेजी के विषय की अनिवार्यता को समाप्त करने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में से केवल सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा तथा उच्च वन सेवा परीक्षा में ही सामान्य अंग्रेजी का प्रश्नपत्र अनिवार्य प्रश्नपत्र के रूप में रहता है । यह इसलिए आवश्यक समझा गया क्योंकि उक्त परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के, नियुक्ति के उपरान्त प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति पर, अखिल भारतीय सेवाओं आदि तथा विभिन्न संस्थानों में जाने की संभावना रहती है, जिनमें अंग्रेजी भाषा का भी सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है । उपरोक्त कारण से वर्तमान में सामान्य अंग्रेजी के विषय की अनिवार्यता समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई में सार्व0 निर्माण विभाग द्वारा श्रमिकों के भुगतान हेतु बैंक में जमा चेक की वापसी

*9—श्री अशोक बाजपेयी —

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जिला अधिकारी हरदोई ने दिनांक 30-3-87 को गंगा पुल पहुंच मार्ग के एक फर्जी चेक 1,27,365/-रुपये के श्रमिकों के भुगतान को रोकने के आदेश दिये थे व कार्य अधीक्षक द्वारा चेक बैंक में भुगतान हेतु जमा होने के बाद वापस मंगाया गया था ? यदि हां, तो क्यों व भुगतान रोकने के क्या कारण थे ? इसके लिए दोषी व्यक्तियों को क्या दण्ड प्रस्तावित किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

कार्य अधीक्षक सार्वजनिक निर्माण विभाग, द्वारा गंगा पुल पहुंच मार्ग के कार्यों से संबंधित श्रमिकों के भुगतान के विरुद्ध एक चेक संख्या-087/204290, दिनांक 27-3-87 रु0 127287/-रु0 का जारी किया गया था । जिलाधिकारी हरदोई ने अपने पत्र दिनांक 30-3-87 द्वारा कार्य अधीक्षक, हरदोई को भुगतान श्रमिकों को स्वयं अपनी उपस्थिति में कराने हेतु निर्देश दिया। अतः कार्य अधीक्षक ने चेक कैश न कराने के निर्देश स्थानिक अभियन्ता द्वितीय को दिये । इसके अनुपालन में चेक, बैंक से वापस मंगवा लिया गया था ।

इसमें किसी को दोषी नहीं पाया गया है ।

राजकीय पालीटेक्निक में प्रधानाचार्यों एवं विभागाध्यक्षों के रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया

*10–श्री सुख पाल पाण्डे–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक का सत्र 13 जुलाई से चालू होने जा रहा है ? यदि हां, तो विभिन्न राजकीय पालीटेक्निक में प्रधानाचार्यों के तथा विभागाध्यक्षों के कुल कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों को सत्र प्रारम्भ होने के पहले विभागीय प्रोन्नति के द्वारा भरने की सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, सत्र आरम्भ होने के समय प्रधानाचार्य के 10 तथा विभागाध्यक्ष के 21 पद रिक्त थे ।

जी नहीं । यह पद सीधी भर्ती से लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों से भरे जाते हैं । प्रधानाचार्य के समस्त रिक्त पदों के लिए तथा अध्यक्षों के 13 पदों के लिए आयोग को अधियाचन भेजे जा चुके हैं ।

जनपद इलाहाबाद में यमुना नदी पर पुल बनाने का प्रस्ताव

*11–अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में यमुना नदी पर कोई नया पुल बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस का प्रस्ताव कब किया गया एवं स्वीकृत कब हुआ? कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

इसका प्रस्ताव दिनांक 14-11-86 को किया गया तथा 27-11-86 को परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृत हुआ है ।

पुल का निर्माण कार्य अभी स्वीकृत नहीं है। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ हो सकेगा।

जनपद आगरा में पी0 सी0 एस0 परीक्षाओं के केन्द्र

*12—श्री सरदार सिंह—

क्या मुख्य मंत्री की जानकारी में है कि पी0सी0एस0 परीक्षाओं का केन्द्र आगरा में नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा संचालित समस्त परीक्षाओं का केन्द्र आगरा में रखने की कृपा करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

पी0सी0एस0 परीक्षाओं में पहले आगरा केन्द्र नहीं था । किन्तु सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा 1987 से आगरा में भी परीक्षा केन्द्र रक्खा जा रहा है ।

आयोग विभिन्न परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर परीक्षा केन्द्र निर्धारित करते हैं । कई परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की संख्या कम रहती है और इलाहाबाद तथा लखनऊ जहां आयोग के अपने परीक्षा केन्द्र हैं, ही पर्याप्त रहते हैं । अतः आयोग द्वारा संचालित समस्त परीक्षाओं का केन्द्र आगरा में रक्खा जाना संभव नहीं है ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में टेलीप्रिंटर आपरेटरों को प्रोन्नति देने की प्रक्रिया

*13—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि सचिवालय में कार्यरत टेलीप्रिंटर आपरेटरों को 6-7 वर्ष की नियमित सेवा के उपरान्त भी अवर वर्ग सहायक के पद पर प्रोन्नति नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री सचिवालय में कार्यरत टेलीप्रिन्टर आपरेटरों, जो कि टंकक के समकक्ष हैं, की प्रोन्नति के लिए वही प्रक्रिया अपनायेंगे जो कि सचिवालय में कार्यरत टंककों के लिए अपनायी गयी है ? यदि नहीं, तो इस प्रक्रिया को अपनाने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नियमित सेवा के टेलीप्रिन्टर आपरेटरों को अंकर वर्ग सहायक के पदों पर उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता के क्रम में अन्य संवर्ग के कर्मचारियों के साथ शाखा स्तर पर उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध प्रोन्नतियां दी जा रही हैं । प्रोन्नतियां सेवा अवधि पर निर्भर नहीं करती । टेलीप्रिन्टर आपरेटर टंककों के समकक्ष नहीं हैं अतएव टंककों के लिए अपनायी गयी प्रक्रिया उनके बारे में नहीं अपनायी जा सकती ।

जनपद गोरखपुर के वन विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायती पत्र

*14—श्री हर्ष वर्धन—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा कम्पेरगंज वन रेन्ज में वन टांगिया मजदूरों द्वारा बोयी गयी लगभग 300 एकड़ में खड़ी फसल को जुतवा डालने के विषय में प्रश्नकर्ता द्वारा 9 जनवरी, 1986 को प्रेषित पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

वन मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

जी हां ।

जांचोपरान्त शिकायत निराधार पायी गयी है । किसी अन्य कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बलिया में गाय घाट स्थित गंगा नदी पर बने पीपे के पुल का टूटना

*15–श्री मैनेजर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में गंगा नदी पर स्थित गाय घाट पैनटून पुल के साधारण हवा में गत माह टूटने के क्या कारण थे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद बलिया में दिनांक 11 मार्च, 1987 की रात्रि में भीषण तूफान आने के परिणाम स्वरूप गंगा नदी पर स्थित गाय घाट पीपे का पुल, जो नारियल के रस्सों तथा लोहे की चैन से बधा था, रस्सा व चैन टूटने के कारण टूट गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाई छितौनी के कर्मियों के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

*16–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या गन्ना मंत्री कृपया बतायेंगे कि चालू सत्र 1986-87 के माह नवम्बर 86 में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाई छितौनी के गन्ना काश्तकारों के गन्ना तौल में मिल के कांटे पर मिल द्वारा नियुक्त काटा क्लर्कों ने प्रति काश्तकार 2 से 3 कुन्तल प्रति टायर कम तौल कर लगभग 5000 कुन्तल गन्ने की भारी कटौती की थी ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में गन्ना काश्तकारों ने लिखित शिकायत प्रमाण सहित दिसम्बर 1986 में शासन में भेजकर जांच की मांग की थी ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच में दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

पेराई सत्र 86-87 में उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई छितौनी के गन्ना कृषकों के गन्ना तौल में मिल के क्लर्कों द्वारा प्रति काश्तकार 2 से 3 कुन्टल प्रति टायर कम तौल कर लगभग 5000 कुन्टल गन्ने की भारी कटौती करने सम्बन्धी कोई स्पष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है किन्तु छितौनी चीनी मिल क्षेत्र के कृषकों द्वारा मिल क्षेत्र में पर्चियों के विक्रय, गन्ने के तौल में भारी कटौती, गलत सर्वे सट्टा आदि की शिकायत करते हुए एक छः सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसकी जांच उप गन्ना आयुक्त, गोरखपुर से कराई जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

भूतपूर्व मंत्रियों एवं विधायकों द्वारा सरकारी आवासों पर अध्यासन की संख्या एवं अवशेष किराया

*17–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 की राजधानी में कितने भू0 पू0 मंत्री इस समय सरकारी बंगलों में रहते हैं और उन पर कुल कितना किराया शेष है ? क्या मंत्री जी बिना किराया भुगतान किये अनधिकृत रूप से रहने वाले लोगों की सूची सदन के पटल पर रखेंगे ? क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि दारुलशफा ए, बी व सी में कितने गैर विधायक लोग रहते हैं और उनसे कितना किराया प्रति माह लिया जा रहा है ? दारुलशफा के कमरे गैर विधायकों को किराये पर देने में शासन की नीति क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

इस समय 23 भूतपूर्व मंत्री सरकारी बंगलों में रह रहे हैं तथा उन पर कुल रु0 19,49,570.73 किराया शेष है । बंगले में रहने वाले अनधिकृत अध्यासियों की सूची संलग्न है ।

दारुलशफा ए, बी व सी ब्लाक में क्रमशः 57, 40 व 2 गैर विधायक रहते हैं नियमित आवंटियों से रु0 9 प्रतिदिन ("क" श्रेणी) तथा रु0 7 प्रतिदिन ("ख" श्रेणी) की दर से किराया लिया जाता है तथा अनधिकृत अध्यासन की स्थिति में किराए की दर रु0 30 व 20 क्रमशः प्रतिदिन है । उक्त दरें 1-1-88 से संशोधित करके बढ़ा दी गई हैं ।

विधायक निवासों में उपलब्ध रिक्त आवासों का अस्थायी आवंटन अधिकारियों/पत्रकारों के पक्ष में किया गया है । यह व्यवस्था आवासीय कठिनाई को दृष्टि में रखते हुए अल्पकालिक अवधि के लिए की गयी है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 99 पर)

जनपद गोरखपुर निचलौल ब्लाक में ओडवलिया मेरी सड़क पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत मिट्टी कार्य

*18–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के निचलौल ब्लाक में डबलिया मेरी सड़क का निर्माण डी0 आर0 डी0 ए0 के धन से गन्ना समिति सिसवा ने जनवरी-फरवरी, 1985 में कराया है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त सड़क पहले ही खाद्यान योजना में बन चुकी थी और गत चुनाव में फर्जी मस्टर रोल बनवा कर 1 लाख 20 हजार रुपये का भुगतान कराया गया ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी पूरे प्रकरण की जांच कराकर सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

गोरखपुर जिले के निचलौल ब्लाक में ओडवलिया-मेरी सड़क पर मिट्टी कार्य डी0 आर0 डी0 ए0 के धन से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 में गन्ना विकास परिषद्, सिसवा बाजार द्वारा कराया गया ।

खाद्यान्न योजना में ओडवलिया-मेरी सड़क पहले नहीं बनी थी । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण हेतु धन का आवन्टन

*19–श्री पुष्कर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री जी को यह जानकारी है कि पर्वतीय क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिये लगभग 250 करोड़ रुपये की आवश्यकता है और अभी नई सड़कों की मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है जिसका नियमित बजट से पूरा होना असंभव है ? क्या सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में मोटर मार्गों के निर्माण के लिये अतिरिक्त धन की व्यवस्था कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

पर्वतीय क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए दिनांक 1-4-87 को वर्तमान लागत के आधार पर चालू कार्य के लिए 180.80 करोड़ रु0 की आवश्यकता है ।

जी हां । बजट की व्यवस्था उपलब्ध संसाधनों तथा पर्यावरण की सुरक्षा एवं अवशेष कार्यों को ध्यान में रखकर की जा रही है ।

सड़क/पुल के लिए चालू वर्ष 1987-88 में 33.00 करोड़ रु0 आवंटित किया जा चुका है और रु0 2.00 करोड़ की व्यवस्था प्रथम अनुपूरक मांगों के माध्यम से की जा रही है । यह परिव्यय पर्वतीय क्षेत्र के लिए केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई कुल 235 करोड़ रु0 की धनराशि में से अन्य सभी सेक्टरों से अधिक है । अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था केन्द्रीय योजना आयोग के आवंटन पर निर्भर करती है ।

शासन द्वारा नेशनल कारबेट पार्क एवं अन्य जनपदों में वाइल्ड लाइन वार्डनों की नियुक्ति

*20–श्री अजीत प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार के कई वर्षों से लगातार अनुरोध करने पर भी उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्रों एवं कारबेट नेशनल पार्क जिला नैनीताल में तथा प्रदेश के अन्य जनपदों में आनरेरी वाइल्ड लाइफ वार्डनों की तैनाती शासन द्वारा नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इनकी शीघ्र तैनाती करेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

शासन द्वारा कार्बेट नेशनल पार्क एवं 13 अन्य जनपदों में आनरेरी वाइल्ड लाईफ वार्डनों की नियुक्ति की गई है ।

अन्य जनपदों में भी नियुक्तियां विचाराधीन है ।

अतारांकित प्रश्न

आजमगढ़ घोसी रोड के लिए अर्पित भूमि का मुआवजा

1–श्री राम जनम–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ से घोसी रोड पर बनी हुई सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क से सम्बन्धित भूमि का कितने ग्रामों में कितने लोगों को जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है ? क्या यह भी बतायेंगे कि श्री फौजदार सिंह आदि ग्राम कंजरा दिलशादपुर, जिला आजमगढ़ का मुआवजा अब तक क्यों नहीं दिया गया ? क्या शीघ्र मुआवजा दिलाने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

आजमगढ़-घोसी रोड के लिये ग्रामों में भूमि अर्जित की गई थी उन सभी ग्रामों के प्रभावित भू-स्वामियों को प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है । श्री फौजदार सिंह आदि ग्राम कंजरा दिलशादपुर जिला आजमगढ़ का कोई भू-खण्ड अर्जित नहीं किया गया है । अतः उन्हें कोई मुआवजा भुगतान नहीं किया जाना है ।

प्रदेश में युवा कल्याण विभाग द्वारा ब्लाक स्तर पर व्यायामशाला निर्माण की योजना

2–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारतवर्ष की प्राचीन कला कुश्ती के प्रोत्साहन के लिए प्रदेश, जिला, तहसील, विकास खण्डों एवं न्याय पंचायत स्तर पर कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपदों के उक्त स्थानों पर अखाड़े, व्यायामशाला आदि बनाने व उसके सहायतार्थ अनुदान इत्यादि देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

हां । युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद में कम से कम एक-एक व्यायामशाला का निर्माण कराया जाता है । अब प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर भी, जहां निःशुल्क भूमि उपलब्ध हो, व्यायामशाला के निर्माण की योजना है । इन व्यायामशालाओं के संचालन/उपकरण आदि की व्यवस्था विभाग की ओर से की जाती है । अखाड़ों के निर्माण एवं अनुदान देने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

श्री अब्दुल गनी, बन्ने मियां बनाम विक्रीकर अधिकारी के अपील के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील के परिणाम की मांग

3–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के दूसरे मंगलवार के अता0 प्रश्न सं0 127 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि द्वितीय अपील का क्या परिणाम रहा ? करदाता के ऊपर कितना कर लगाया गया एवं उसने कितना कर जमा किया ? करदाता को किस तिथि को रिफंड किया गया और क्या इस रिफंड पर ब्याज भी देय हो गया था ? यदि हां, तो कितना ? क्या करदाता को देय ब्याज भी दे दिया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

4–श्री यदुनाथ सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

श्री ऋषि मुनी पाण्डेय, अवर अभियन्ता सार्व0 निर्माण विभाग मिर्जापुर के डिप्लोमा की डिग्री न होने की शिकायत

5–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि ऋषि मुनी पाण्डेय, जो अवर अभियन्ता के पद पर इस समय मिर्जापुर जनपद में कार्यरत है, उन्होंने डिप्लोमा पास नहीं किया है जो कि अनिवार्य है ? यदि हां, तो यह उक्त पद पर किस आधार पर कार्य कर रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जनपद झांसी के कतिपय कार्यालयों में की गई नियुक्तियां

6—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि झांसी में 16-5-85 से 30-6-86 तक जिला स्तरीय चयन समिति शासनादेशों के अनुसार गठित थी ? यदि हां, तो इस अवधि में बिना चयन समिति के जिलाधिकारी व उनके अधीनस्थ कार्यालयों में किन-किन की सीधी नियुक्तियां किन अधिकारियों द्वारा की गयी तथा जिला स्तरीय चयन समिति के होते हुए अधिकारियों द्वारा सीधी नियुक्तियां किये जाने का क्या औचित्य है ? क्या ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध शासन कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दिनांक 16-5-85 से 30-6-86 तक जिलाधिकारी, झांसी व उनके अधीनस्थ कार्यालयों में तृतीय श्रेणी में कोई नियुक्तियां नहीं की गयीं ।

तहसीलदार झांसी के कार्यालय में एक चपरासी की नियुक्ति उ0 प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली के अधीन की गई । दूसरे चपरासी की नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की प्रतीक्षा सूची से की गयी ।

तहसीलदार गरौठा के कार्यालय में एक चौकीदार व एक चपरासी की नियुक्तियां तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण नियमावली के अधीन नियमित की गयीं ।

तहसीलदार मऊरानीपुर के कार्यालय में 20 चपरासियों की नियुक्तियां समय-समय पर नियमित चपरासियों के अवकाश पर चले जाने के कारण की गयी थीं जो नियमित कर्मचारियों के वापसी पर समाप्त हो गयीं । यह नियुक्तियां सीजनल चपरासियों के लिए बनायी गयी चयन सूची में से ही की गयी थीं ।

तहसीलदार मोठ द्वारा 6 चपरासियों की नियुक्तियां अल्प अवधि के लिए की गयीं थीं, जो समाप्त कर दी गयी थीं ।

इस प्रकार उपर्युक्त नियुक्तियों में कोई अनियमितता सामने नहीं आई है ।

कानपुर की ट्रांसपोर्ट कम्पनी पर बिक्रीकर अधिकारियों के द्वारा छापा मारने के संबंध में प्रेषित पत्र पर कार्यवाही की मांग

7—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के सातवें मंगलवार के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 88 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 475 मुख्य मंत्री को ता0 5-4-86 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आयुक्त बिक्रीकर के विरुद्ध सरकारी गाड़ी के दुरुपयोग के सम्बन्ध में कथित शिकायती पत्र

8—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि वर्तमान आयुक्त बिक्रीकर द्वारा सरकारी गाड़ी प्रयोग करने के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 402 मुख्य मंत्री जी को ता0 4-4-86 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री ए0 के0 अग्रवाल, तत्कालीन बिक्रीकर अधिकारी श्रेणी–2 सचल दल गाजियाबाद के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच

9–श्री फूल कुंवर–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि वर्ष 1983-84 में श्री ए0 के0 अग्रवाल तत्कालीन बिक्रीकर अधिकारी श्रेणी 2 सचल दल गाजियाबाद द्वारा सचल दल में तथा मोहन नगर जांच चौकी पर गेट ड्यूटी के दौरान कितने ऐसे वाहनों से बिक्रीकर जमा कराया गया जो मोहन नगर जांच चौकी के अधिकारियों द्वारा पास किये जा चुके थे ? क्या ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्ष 83-84 में श्री ए0 के0 अग्रवाल, बिक्रीकर अधिकारी श्रेणी–2 ने दिनांक 24-9-83 से 28-10-83 तक जांच चौकी, इन्द्रापुरी में कार्य किया । दिनांक 29-10-83 से 22-2-84 तक कुछ समय गेट पर वायरलेस जीप पर तथा कुछ समय मोहननगर की शिफ्ट "ए" में कार्य किया । वायरलेस जीप पर दी गयी ड्यूटी के दौरान 3 वाहन ऐसे पकड़े गये जो कागजों के आधार पर चेकपोस्ट से पास किये गये थे तथा एक वाहन बिना गेटपास के भागा था । श्री अग्रवाल ने दिनांक 22-2-84 से 31-3-84 के दौरान सचल दल यूनिट (ए) में कार्य किया । इस अवधि में एक वाहन पकड़ा गया जो चेक पोस्ट अधिकारियों ने प्रस्तुत कागजातों के आधार पर पास किया था । चेकपोस्ट से पास किए गये वाहनों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था । इस संबंध में जांच की जाएगी ।

गाजियाबाद परिक्षेत्र के बिक्रीकर के लम्बित मामले का अपराध अनुसंधान द्वारा जांच

10–श्री फूल कुंवर–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि गाजियाबाद परिक्षेत्र के बिक्रीकर विभाग से 1-4-87 को किन-किन मामलों में आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा जांच लम्बित थी ? इन मामलों में लिप्त किन-किन अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बिक्रीकर विभाग द्वारा गाजियाबाद परिक्षेत्र के विजयपाल आदि विजयनगर गाजियाबाद, संतसिंह आदि दादरी गाजियाबाद, मक्खन सिंह पुत्र श्री निरंजन सिंह साहिबाबाद, गाजियाबाद तथा श्री रज्जाक पुत्र श्री सिद्दीक विजयनगर गाजियाबाद से संबंधित 4 मामलों की विवेचना आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा से करायी जा रही है ।

जांच पूर्ण होने पर ही मामलों में लिप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा ।

गाजियाबाद के खण्ड 3 में फार्म 31 के जारी होने व दुरुपयोग करने के संबंध में विभागीय कार्यवाही

11—श्री फूल कुंवर, श्री गया प्रसाद वर्मा तथा श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

क्या संस्थागत वित्त मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि वर्ष 1984-85 में गाजियाबाद के खंड 3 में फर्जी व्यापारी व बन्द फर्म को फार्म नं0 31 के जारी होने व दुरुपयोग का एक मामला प्रकाश में आया था ? क्या मंत्री जी उक्त मामले के तथ्यों का विवरण देने का कष्ट करेंगे ? इस प्रकरण में किस-किस व्यक्ति के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1984--85 में गाजियाबाद की तीन फर्मों को विभिन्न तिथियों में फार्म 31 जारी किए गये । कुछ फार्म 31 के दुरुपयोग का मामला प्रकाश में आया । इस प्रकरण में श्री ईश्वर दयाल वरिष्ठ लिपिक को अनियमित ढंग से फार्म 31 जारी करने, फार्म 31 का दुरुपयोग कराने, राजस्व की क्षति पहुंचाने, अभिलेख ठीक प्रकार से न रखने व फर्जी हस्ताक्षर बनाये जाने के लिए दोषी पाया गया एवं इसके लिए उन्हें निलम्बित किया गया तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही सम्पन्न की गयी । जांच अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार श्री ईश्वर दयाल को दण्डित करते हुए दण्ड स्वरूप उनकी तीन वार्षिक वेतन वृद्धियां स्थायी रूप से रोकी गयी । सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी की जा रही है ।

श्री ओम प्रकाश भांग व्यापारी चौक, लखनऊ के कर निर्धारण की कार्यवाही

12—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के दूसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 15 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 1973-74 के दौरान रूप पत्र 4 न दाखिल करने के कारण अस्थायी कर आदेश पारित किये गये और पंजीयन न कराने के कारण अर्थदण्ड की कार्यवाही की गयी थी ? क्या उक्त वर्ष के दौरान सर्वेक्षण किया गया और असली मालिक व सम्पत्ति का पता लगाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1973-74 के दौरान माह अप्रैल 1973 से फरवरी, 1974 तक मासिक नक्शे दाखिल किये गये । अतः अस्थायी आदेश नहीं पारित किये गये । व्यापारी ने पंजीयन प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रारूप में दिया । अतः अर्थ-दण्ड की कार्यवाही नहीं की गयी ।

जी नहीं ।

पजीयन प्रार्थना-पत्र में दिये गये नाम को असली मालिक माना गया ।

सरजू नदी के किनारे स्थित न्याय पंचायत दहौरा की सुरक्षा हेतु कार्यवाही

13—श्री मयंकर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरयू नदी की भयानक बाढ़ से न्याय पंचायत दहौरा की सुरक्षा के लिए सरयू नदी के किनारे हालपारा ग्राम सभा में एक

बांध था, जो बह गया है? क्या न्याय पंचायत दहौरा में जनधन को सुरक्षित रखने के लिए पुनः बांध बांधने के आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण एवं मत्स्य राज्य मंत्री (श्री सीताराम निषाद)–

जी हां ।

पुनः बांध बांधने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय के खण्ड–10 में अभिलेखों की हेराफेरी के संबंध में निलम्बित लिपिक की बहाली का आरोप

14–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय के खण्ड 10 में स्थित फर्म नरायन भण्डार, डालीगंज के वर्ष 75-76 के पंजीयन प्रार्थना-पत्र में हेरा-फेरी व कटिंग के बारे में सी0 आई0 डी0 जांच सं0 615/82 चल रही है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जांच रपट का क्या परिणाम रहा ? क्या यह सही है कि जांच के दौरान एक लिपिक श्री पी0 के0 वर्मा को इस आरोप में ता0 1-9-86 से सेवा से अलग कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि मुख्य सचिव के अ0 शा0 पत्र सं0 4689 दिनांक 2-9-77 व शासनादेश सं0 2693/कार्मिक-1/81, दिनांक 18-2-81 के अनुसार जब सी0 आई0 डी0 जांच आरम्भ हो जाती है तब विभागीय कार्यवाही रोक दी जाती है? यदि हां, तो सी0 आई0 डी0 की जांच के दौरान श्री वर्मा को सेवा से कैसे अलग किया गया?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनपद लखनऊ के कतिपय भांग ठेकेदारों के विरुद्ध कर चोरी के आरोप

15–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के चौथे मंगलवार के अता0 प्रश्न संख्या 84 के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष के दौरान न तो सर्वेक्षण किया गया और न अस्थायी कर आदेश पारित किये गये ? तारीख 3-7-82 तक रहने वाले अधिकारी ने इस करदाता के बारे में राजस्व के हित में पंजीयन कराने व न कराने के बारे में क्या कार्यवाही की ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 86 के चौथे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 84 में 3 व्यापारियों का उल्लेख किया गया था जिनके बारे में अलग-अलग टिप्पणी निम्न प्रकार है :—

(1) बाबूलाल पुत्र रामविलास भांग ठेकेदार, विक्टोरियागंज, लखनऊ ।

हां, वर्ष के दौरान न सर्वेक्षण किया गया न अस्थाई आदेश पारित हुए।

दिनांक 3-7-82 तक रहने वाले अधिकारी ने राजस्व के हित में पंजीयन कराने व न कराने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की, क्योंकि व्यापारी द्वारा ठेका लिये जाने की सूचना बिक्रीकर अधिकारी (वि0 अनु0 शा0) लखनऊ से दिनांक 24-12-82 को प्राप्त हुई थी।

(2) राकेश कुमार राधेश्याम भांग ठेकेदार, अमीनाबाद, लखनऊ ।

वर्ष के दौरान कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया । परन्तु अप्रैल, 82 से जनवरी, 83 तक मासिक अस्थाई आदेश पारित किये गये ।

दिनांक 3-7-82 तक रहने वाले अधिकारी ने राजस्व के हित में पंजीयन कराने व न कराने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि ठेके की सूचना बिक्रीकर अधिकारी (वि0 अनु0 शा0) लखनऊ से दिसम्बर, 82 में प्राप्त हुई थी।

(3) श्री बिहारी लाल भांग ठेकेदार चौक, लखनऊ का 82-83 में दिनांक 22-12-82 को सर्वेक्षण किया गया तथा दिनांक 11-1-83 को अप्रैल, 82 से अक्टूबर, 82 तक के लिए अस्थायी कर निर्धारण आदेश प्रति माह के लिए अलग-अलग पारित किये गये ।

दिनांक 3-7-82 तक रहने वाले बिक्रीकर अधिकारी के द्वारा व्यापारी के पंजीयन न कराने के सम्बन्ध में इस कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी क्योंकि व्यापारी के सम्बन्ध में सूचना बिक्रीकर अधिकारी (वि0 अनु0 शा0) लखनऊ के पत्रांक 763, दिनांक 10-12-82 के द्वारा प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने के उपरान्त बिना पंजीयन व्यापार करने के कारण व्यापारी पर दिनांक 2-4-83 को 4800 रुपये का अर्थ-दण्ड आरोपित किया गया ।

वर्तमान बिक्रीकर आयुक्त (श्री जोजफ) द्वारा किये गये हवाई यात्राओं के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच की मांग

16—कुंवर मानवेन्द्र सिंह, श्री पारसनाथ यादव तथा श्री फूल कुंवर—

क्या संस्थागत वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान आयुक्त, बिक्रीकर (श्री जोजफ) द्वारा वर्तमान पद का कार्यभार ग्रहण करने के बाद से दिनांक 30-4-87 तक किन-किन तिथियों में कहां से कहां तक की सरकारी खर्चे पर हवाई यात्रायें की गई हैं? क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त वर्तमान आयुक्त द्वारा जिला बुलन्दशहर, गाजियाबाद, मेरठ परिक्षेत्रों की किन-किन तिथियों में सरकारी खर्च पर यात्रायें की गयीं ? क्या सरकार उन यात्राओं के औचित्य की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचनायें एकत्रित की जा रही हैं।

श्री के0 पी0 बिश्नोई, वरिष्ठ लिपिक, बिक्रीकर कार्यालय, नोएडा के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच

17—श्री फूल कुंवर—

क्या संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिक्रीकर कार्यालय नोएडा (गाजियाबाद) द्वारा इशू रजिस्टर के अनुसार फार्म 31 नं0 1096323 से 1096327 तक के पांच फार्म 31 दिसम्बर, 84 जनवरी, 85 में नोएडा की किस फर्म को किस अधिकारी द्वारा दिये गये ? क्या यह सत्य है कि उक्त फार्म का गम्भीर रूप से दुरुपयोग हुआ ? इस मामले में आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो मेरठ द्वारा किन-किन कर्मचारियों व अधिकारियों के विरुद्ध जांच की जा रही है ? जांच के क्या परिणाम हुए?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री के0 जी0 विश्नोई, वरिष्ठ लिपिक ने बिक्रीकर कार्यालय, नोएडा की अपनी कार्यावधि में दिनांक 21-12-84 को नं0 1096323 से 1096327 तक के फार्म–31 बिना अधिकारी के हस्ताक्षर कराये एवं प्रथम पांच कालम बिना भरे तथा बिना कार्यालय की मोहर लगाये सर्वश्री स्टीजैक इण्टरप्राइजेज नोएडा की ओर से आवेदनकर्ता को प्राप्त कराये गये ।

फार्मों का दुरुपयोग करके अनधिकृत रूप से माल का आयात किया गया और राजस्व की हानि हुई। इस सम्बन्ध में आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो मेरठ द्वारा श्री के0 जी0 विश्नोई के विरुद्ध जांच की जा रही है। अभी तक कोई अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

जिला निबन्धन वाराणसी द्वारा फर्जी बैनामा प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की स्वीकृति

18–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानिरीक्षक निबंधन उ0 प्र0 इलाहाबाद ने अपने पत्र संख्या 123/परि0/59/86 दिनांक 27 फरवरी, 1986 द्वारा जिला निबन्धक वाराणसी को पत्र लिख कर आदेश दिया था कि कमला देवी बेवा चमन निवासिनी झझौर परगना कोल असला तह0 व जिला वाराणसी के शिकायती-पत्र व श्री उदल भूतपूर्व सभापति लोक लेखा समिति उत्तर प्रदेश के दिनांक 26-2-86 के पत्र की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करें और कृत कार्यवाही की सूचना जांच आख्या के साथ महानिरीक्षक निबन्धक को भेजे ? यदि हां, तो जिला निबन्धक ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही अब तक की और कमला देवी के झंझौर खरगतुर व औरांव की पूरी जमीन का फर्जी बैनामा कराने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जिला निबंधक ने फर्जी बैनामा प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध श्रीमती कमला देवी को निबंधन अधिनियम की धारा 82(सी) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिये अभियोजन की कार्यवाही किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है ।

सेवा निवृत्त श्री आर0 जी0 जौहरी, उपायुक्त बिक्रीकर के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच की मांग

19–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि उनको प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 470 दिनांक 3-12-85, दिनांक 31-11-82 को सेवा निवृत्त बिक्रीकर उपायुक्त श्री आर0 जी0 जौहरी के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच करने के बारे में ता0 3-12-85 को मिला है ? यदि हां, तो क्या इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करायी गयी? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री गुप्ता ट्रेडिंग कम्पनी फर्रुखाबाद को सरकारी अदायगी के संबंध में जारी परिपत्र

20—श्री यदुनाथ सिंह

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित अता0प्र0सं0 145 के उत्तर के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 71-72 का कर आदेश किस तारीख को पारित किया गया, करदाता के ऊपर किस तिथि को तामील हुआ और रिकवरी किस तारीख को निकाली गई? वर्ष 71-72 के दौरान इस कर-दाता को कौन-कौन से फार्म किस तिथि को दिये गये? क्या करदाता ने लिये गये फार्मों का प्रयोग का विवरण समय पर दाखिल किया और देय कर जमा किया ? क्या अधिकारी ने राजस्व के हित में करदाता के पंजीयन में व कर निर्धारण में व फार्म देने में सतर्कता बरती थी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सर्वश्री गुप्ता ट्रेडिंग कम्पनी फर्रुखाबाद के वर्ष 71—72 का मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 20-7-72 को पारित किया गया, जिसकी तामीली व्यापारी पर दिनांक 31-7-72 को हुई और वसूली प्रमाण-पत्र दिनांक 16-9-72 को जारी किया गया। इसी वर्ष के लिए धारा-21 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 30-3-76 को पारित किया गया, जिसकी तामीली दिनांक 3-8-76 को हुई और वसूली प्रमाण-पत्र दिनांक 1-4-77 को जारी किया गया ।

वर्ष 71-72 में करदाता को 5-सी फार्म दिनांक 7-10-71, 5-सी फार्म, दि0 25-1-72 तथा 5-सी फार्म दिनांक 10-2-72 को कुल 15 सी फार्म दिये गये, जिसमें से दिनांक 19-7-72 को फर्म बन्द की सूचना देते हुए एक सी फार्म वापस किया गया। इस प्रकार करदाता द्वारा 14 फार्म सी का प्रयोग किया गया । व्यापारी ने वर्ष 71-72 में त्रैमासिक नक्शे दाखिल किये हैं जिसमें कुल बिक्री रुपया 59,780 और कर योग्य बिक्री रु0 14,000 दिखाई गई है और स्वीकृत कर रुपया 2000 जमा किया है ।

पंजीयन देते समय अधिकारी द्वारा व्यापारी से राजस्व हित में रुपया 5000 की जमानत ली गई थी ।

उपायुक्त (मुख्यालय) बिक्रीकर द्वारा डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) के विरुद्ध गबन की रिपोर्ट

21—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के छठे मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 146 के उत्तर के सन्दर्भ में वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्न-कर्ता का पत्र संख्या 247 दिनांक 28-9-85 मुख्य मंत्री के कार्यालय में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद चमोली के कतिपय चाय बागानों की भूमि की राष्ट्रीयकरण करने का मामला न्यायालय के विचाराधीन

22—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद चमोली में विकास खण्ड मुख्यालय गैरसैंण में सिलकोट और नैनीताल की चाय बागान प्रभावित क्षेत्र की जनता ने 15 अप्रैल, 1975 को उपरोक्त चाय बागानों के क्षेत्र में बंजर व जंगल फैलने के कारण चाय बागान बीमार हो जाने और वहां परम्रागत रोजगार की समाप्ति के कारण, उपरोक्त बागानों का शीघ्र राष्ट्रीयकरण करने हेतु विशाल प्रदर्शन किया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इस जिले में अवस्थित नैनीताल की सिम्पल स्टेट तथा सिलकोट टी-स्टेट चाय बागानों से संबंधित भूमि का जंगलों के रूप में परिवर्तत हो जाने के कारण अपने सुखाधिकारों को लेकर प्रभावित क्षेत्र की जनता नें माह मई जून, 1975 में इन जंगलों सो धृत भूमि को भूमि अभिलेखों में काश्तकारों का नाम खारिज करने का आन्दोलन किया था। कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम-1960 में संशोधन करके एक नयी धारा श्रेणी-4(क) इस आशय की बनायी गयी कि यदि भू-अभिलेखों में जंगलों से धृत क्षेत्रफल किसी भूमिधर की जोत में उसके भूमि के रूप में उल्लिखित कर दिया गया हो तो उस भूक्षेत्र को संबंधित खतौनी में उसकी वास्तविक स्वरूप अर्थात जंगल में दर्ज करने का उल्लेख किया जाय तथा इस भूमि को उ0 प्र0 सरकार की भूमि के रूप में अंकित की जाय। इस संबंध में नियत प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार धारा 10(2) के अन्तर्गत खातेदारों को नोटिस दिया गया तथा आपत्तियों की सुनवाई की गयी लेकिन सुनवाई के दौरान ही खातेदारों के द्वारा उच्च न्यायालय में दायर किया गया और न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करके प्रस्तुत भी किया गया। माननीय न्यायालय से इस मामले में अभी तक अन्तिम निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है।

उक्त मामला विवादग्रस्त होने के कारण उसमें अभी अग्रिम कार्यवाही करना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अन्तिम निर्णय प्राप्त होने के पश्चात ही इस संबंध में कार्यवाही की जा सकेगी।

पर्वतीय जनपद में स्थित चाय बागानों के लाइसेंस

23—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय जनपद में स्थित चाय बागानों में से किन-किन बागानों के पास भारत सरकार के चाय बोर्ड के लाइसेंस हैं ? जिन उद्योगों के पास यह लाइसेंस नहीं हैं उन्हें किस विधान के अनुसार चाय निर्माण बिक्री की अनुमति दी जाती रही है, इस हेतु राज्य सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बिक्रीकर विभाग झांसी में कनिष्ठ लिपिकों की नियमानुसार भर्ती एवं चयन

24—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या संस्थागत वित्त मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि अप्रैल, 87 में झांसी में बिक्रीकर विभाग में 28 कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती हेतु टाइप टेस्ट में अभ्यर्थियों को कोई सीरियल नम्बर नहीं दिया गया, न ही टाइप शीट पर अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर कराये गये? यदि हां, तो विभाग ने यह कैसे जानकारी की कि किस अभ्यर्थी की कौन सी टाइप शीट है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह सही नहीं है कि प्रश्नगत टाइप टेस्ट में अभ्यर्थियों को कोई रोल नम्बर नहीं दिया गया और न ही टाइप शीट पर अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर कराये गये । समस्त प्राप्त प्रार्थना पत्रों को अभ्यर्थियों के नामों के अनुसार अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्रमांकित करके रोल नम्बर निर्धारित किये गये थे, जिसकी सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड के माध्यम से अभ्यर्थियों को दी गयी थी । अभ्यर्थियों से उनका नाम व उनके पिता का नाम टाइप शीट पर अंकित कराया गया था ।

25—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह भी बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 87 में झांसी में बिक्रीकर विभाग द्वारा कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती में कुल चयनित अभ्यर्थियों में झांसी मण्डल के निवासी कितने हैं तथा झांसी मण्डल से बाहर के मूल निवासी कितने हैं ? इतनी अधिक संख्या में झांसी मण्डल से बाहर के अभ्यर्थियों को चयनित करने का क्या औचित्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत चयन द्वारा कुल 26 अभ्यर्थियों का चयन किया गया जिनमें से, अभ्यर्थियों द्वारा सूचित पते के अनुसार, 14 अभ्यर्थी झांसी मण्डल के तथा 12 अभ्यर्थी झांसी मण्डल के बाहर के जिलों के निवासी हैं । प्रश्नगत चयन नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करके किया गया है । नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अनुसार परीक्षा में सफल होने के बावजूद सम्बन्धित मण्डल के बाहर के अभ्यर्थियों का चयन न किया जाय ।

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री शारदा प्रसाद शिवहरे, जालौन का विकलांग कोटे में नियमानुसार नियुक्ति

26—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री यह बतायेंगे कि श्री अशोक कुमार पुत्र श्री शारदा प्रसाद शिवहरे को फर्जी प्रमाण पत्र पर विकलांग कोटे में चयनित किया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त प्रमाण पत्र की जांच एवं अभ्यर्थी का परीक्षण करा कर संबंधित दोषी अधिकारियों को दण्डित करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री शारदा प्रसाद शिवहरे को जिला अस्पताल के जिला आर्थो सर्जन डा0 एच0के0 बांदिल के विकलांगता प्रमाण-पत्र दिनांक 20-9-85 के आधार पर चयनित किया गया है। प्रमाण-पत्र के अनुसार श्री अशोक कुमार की दाहिनी

आंख नकली है और बांयी आंख में एम्पलीयोपियाविजन है। उक्त प्रमाण-पत्र पर सहमति व्यक्त करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला जालौन का प्रमाण-पत्र दिनांक 11-4-87 भी श्री अशोक कुमार का नियमानुसार चयन किया गया है और इस मामले में कोई अनियमितता नहीं हुई है। अतः किसी को दण्डित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बिक्रीकर विभाग में अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किए गये अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या

27—श्री फूल कुंवर—

क्या संस्थागत वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्रमशः कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, तृतीय श्रेणी कर्मचारी तथा बिक्रीकर अधिकारी श्रेणी-2 दिनांक 30-4-80 से दिनांक 30-4-87 तक अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किये गये हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत अवधि में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, तीन तृतीय श्रेणी कर्मचारी तथा तीन, बिक्रीकर अधिकारी श्रेणी-2, अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किये गये।

बिक्रीकर जांच चौकी कोटवन मथुरा आगरा क्षेत्र में टिन शेड गोदाम के निर्माण हेतु धन की स्वीकृति

28—श्री वीरेन्द्र सोन—

क्या संस्थागत वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिक्रीकर जांच चौकी कोटवन मथुरा आगरा क्षेत्र पर जो गोदाम का निर्माण मार्च 1987 में हुआ है, उसके लिए क्या शासन ने कोई धनराशि स्वीकृत की थी? यदि हां, तो वह धनराशि कब स्वीकृत की गयी थी और कितनी ? इस धनराशि को कोषागार से कब निकाला गया था ? यदि कोई धनराशि गोदाम के निर्माण हेतु स्वीकृत नहीं की गयी थी, तो क्या कराया गया निर्माण कार्य अवैध स्त्रोतों से प्राप्त धनराशि से कराया गया था ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही की जा रही है और कब तक कार्यवाही पूर्ण हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बिक्रीकर विभाग में लघु निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 1987—88 में रु0 3,00,000 की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की गयी है। जांच चौकी कोटवन (मथुरा) के टिन शेड के निर्माण में निहित व्यय का भुगतान इसी धनराशि में से किया जाएगा।

राज्य चीनी निगम की बिजनौर चीनी मिल के आधुनिकीकरण में हुए व्यय एवं विलम्ब के कारण

29—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य चीनी निगम की बिजनौर चीनी मिल के आधुनिकीकरण पर कितना धन वर्ष 1986-87 में व्यय किया गया है तथा आधुनिकीकरण का कार्य समय पर पूरा न होने का क्या कारण है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि आधुनिकीकरण का कार्य समय पर पूरा न करने के कारण जहां किसानों को गन्ना सप्लाई करने में भारी कठिनाई हुई है वही निगम को भी मिल के समय पर चालू न होने के कारण करोड़ों रुपए का भारी घाटा हुआ है? क्या मंत्री जी समय पर कार्य को पूरा न करने की जिम्मेदारी एक महीने के अन्दर निर्धारित करके जिम्मेदार व्यक्तियों को दण्डित करेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ? पिराई हेतु मिल को चालू करने की लक्ष्य तिथि क्या थी, मिल कब चालू हुई तथा इस पिराई सीजन के कितने दिनों में उसने कितना गन्ना पेरा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बिजनौर इकाई के आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण परियोजना पर वर्ष 1986-87 में लगभग 450 लाख रुपये का व्यय हुआ। परियोजना का कार्य समय पर पूर्ण न होने के प्रमुख कारण निम्न हैं।

(1) वित्तीय संस्थाओं से ऋण की स्वीकृति में विलम्ब।

(2) मिल परिसर में स्थानाभाव के कारण और पुराने प्लांट के पेराई सत्र, 1985–86 में कार्यरत रहने के कारण इस परियोजना के सिविल निर्माण कार्यों में व्यवधान।

(3) निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक लोहे तथा इस्पात की कुछ विशेष श्रेणियां लम्बी अवधि तक उपलब्ध न होना।

(4) परियोजना के कुछ आपूर्ति कर्ता त्रिवेणी इंजीनियरिंग वर्क्स लि0, एवं बालचंदनगर इंडस्ट्रीज लि0 के कारखानों में औद्योगिक अशांति एवं तालाबंदी के कारण यंत्र सयंत्रों की सामयिक आपूर्ति पर प्रभाव।

परियोजना के पूर्ण होने में विलम्ब को देखते हुए बिल के आरक्षित क्षेत्र के गन्ने के व्यावर्तन का समुचित प्रबन्ध किया गया। परियोजना के समय पर पूर्ण न होने के कारण मिल को होने वाली हानि का आंकलन अभी नहीं किया जा सका है। परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के लिये उत्तरदायित्व निर्धारण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। प्रारम्भ में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार विस्तारित क्षमता से मिल को 1-12-85 से पेराई शुरू करनी थी। पुनरीक्षण के पश्चात् पेराई के प्रारम्भ की तिथि 1-1-57 निर्धारित की गयी थी। अंततः मिल में 7-4-87 से पेराई प्रारम्भ हुई। 5-5-87 को टरबों-आलटरनेटर में खराबी के कारण मिल को बन्द कर देना पड़ा। प्रारम्भिक तकनीकी कठिनाई के कारण मिल में पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं हो सका और 29 दिनों में 1 लाख 2 हजार कुन्टल गन्ने की पेराई हुई।

जनपद गाजियाबाद के सिम्भावली गन्ना समिति के तत्कालीन कामदार एवं पर्यवेक्षक के विरुद्ध कथित शिकायत

30–श्री किरन पाल सिंह–

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिम्भावली गन्ना समिति जनपद गाजियाबाद के तत्कालीन कामदार व पर्यवेक्षक ने श्री हरपाल सिंह पुत्र श्री लहरी सिंह निवासी लाड़पुर जनपद बुलन्दशहर के नाम से सन् 83 में फर्जी तरीके से दो हजार रुपये का यूरिया निकाल कर बेंच खाया था? यदि हां, तो उक्त दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सिम्भावली गन्ना समिति जनपद गाजियाबाद के रिकार्ड के अनुसार वर्ष 1983 के दौरान कृषक श्री हरपाल सिंह पुत्र श्री लहरी सिंह, निवासी लाडपुर जनपद बुलन्दशहर के नाम कोई खाद नहीं दी गयी। अतः शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

डिप्टी कलेक्टर बिक्रीकर के विरुद्ध राजस्व के गबन सम्बन्धी शिकायत पर जांच

31—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 21 के उत्तर के सन्दर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 942 वित्त राज्य मंत्री को तारीख 23-6-86 को व पत्र सं0 2102 मुख्य सचिव को तारीख 18-9-86 को मिला है? यदि हां, तो इन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जांच की जा रही है।

श्री मिश्रा 31-12-87 को सेवा निवृत्त होंगे।

श्री पी0एस0 मिश्र को उक्त प्रकरण में जांच करने के आदेश हुए थे परन्तु उनसे जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुयी। इस सम्बन्ध में श्री मिश्र से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

बिक्रीकर विभाग में तरबदों की खरीद फरोख्त के बारे में उच्च स्तरीय जांच परिणाम की मांग

32—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के दूसरे मंगलवार के अता0 प्रश्न सं0 178 के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्र सं0 623 में मांगे गये बिन्दुओं पर जानकारी न दिए जाने का क्या कारण है? क्या यह सही है कि तीन सचिवों की समिति ने इन शिकायती पत्रों का परीक्षण किया था? यदि हां, तो जांच में क्या पाया गया?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

रामनगर में गंगापुल (वाराणसी) के टेण्डर के सम्बन्ध में संस्तुति

33—श्री सरदार सिंह—

क्या मुख्य मंत्री की जानकारी में है कि मुख्य अभियन्ता (राष्ट्रीय मार्ग) ने राम नगर पर गंगापुल (वाराणसी) के टेण्डर के सम्बन्ध में शासनादेश के विपरीत द्वितीय नम्बर के टेण्डर मेसर्स हिन्दुस्तान कांस्ट्रक्शन कम्पनी से निगोशिएशन कर उसके टेण्डर की संस्तुति सीधे केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय को अपने पत्र दिनांक 4-1-87 से की थी? यदि हां, तो क्यों और किसके आदेश से? उक्त मुख्य अभियन्ता के खिलाफ शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या शासन कोई कार्यवाही करेगा? यदि हां, तो क्या?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मुख्य अभियन्ता (राष्ट्रीय मार्ग) ने राम नगर पर गंगापुल (वाराणसी) के लिए दूसरे नम्बर के निविदादाता मेसर्स हिन्दुस्तान कान्स्ट्रक्शन कम्पनी की निविदा की संस्तुति केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय को नहीं की थी।

प्रश्न नहीं उठता ।

34—श्री सरदार सिंह—

[1ले बुधवार में अता0 प्र0 सं0 150 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री खियामल कम्पनी (कपड़ा विक्रेता) अमीनाबाद लखनऊ के यहां कथित छापा

35—श्री मयंकर सिंह तथा श्री कौशिक रमा शंकर—

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 29 जुलाई, 87 को श्री खियामल कम्पनी (कपड़ा विक्रेता) 38 अमीनाबाद लखनऊ के यहां बिक्रीकर का कोई छापा पड़ा था? यदि हां, तो क्या सही है कि उक्त जांच में भारी मात्रा में जेवरात पाया गया और हिसाब किताब में भारी गोल माल पाया गया और जांच टीम द्वारा बड़े पैमाने पर लूट खसोट भी की गयी? क्या सरकार जांच की पूरी रिपोर्ट सदन पटल पर रखने की कष्ट करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। दिनांक 29 जुलाई, 87 को श्री खियामल कम्पनी (कपड़ा विक्रेता) 38, अमीनाबाद, लखनऊ के यहां बिक्रीकर का कोई छापा नहीं पड़ा।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की राम कोला इकाई द्वारा गन्ने की तौल में कमी संबंधी कथित शिकायती-पत्र

36—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में राज्य चीनी निगम की राम कोला इकाई द्वारा गन्ने की तौल में व्यापक पैमाने पर घपला तथा तौल में कमी की शिकायत चालू सत्र में सरकार और गन्ना से संबंधित अधिकारियों को प्राप्त हुई है ? क्या यह सही है कि 13 नवम्बर, 86 को अमवा निवासी हाशिम के रिक्त पर्ची संख्या 219403 तथा मिल पर्ची सं 7425 पर गाड़ी सहित वजन 23 क्विंटल, 67 किलो अंकित किया गया और बाद में गाड़ीवान तथा अन्य लोगों के आपत्ति पर पुनः तौल कराने पर उस गाड़ी के गन्ने का वजन गाड़ी सहित 29 क्विंटल 61 किलोग्राम निकला ? यदि हां, तो इस गम्भीर अनियमितता से संबंधित लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है और भविष्य में तौल में की जाने वाली धांधली को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की रामकोला इकाई द्वारा गन्ने की तौल में व्यापक पैमाने पर घपला तथा तौल में कमी की शिकायत चालू पिराई सत्र में प्राप्त नहीं हुई है।

यह सही नहीं है कि 13 नवम्बर, 86 को अमवा निवासी हाशिम की मिल पर्ची संख्या 7425 पर अंकित वजन को पुनः तौल कराने पर वजन में अन्तर निकला क्योंकि पिराई सत्र 86-87 में दिनांक 13-11-86 को उक्त चीनी मिल ने गन्ने की खरीद एवं पेराई कार्य ही प्रारम्भ नहीं किया था अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

तौल में की जाने वाली गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए चालू सत्र में अनेकों शासकीय एवं अशासकीय पदाधिकारियों को क्रय केन्द्रों की जांच करने के अधिकार दिये गये हैं तथा विभागीय अधिकारियों के निरीक्षण लक्ष्य निर्धारित करने के साथ ही अन्तर्जिला जांच दल गठित करके केन्द्रों के निरीक्षण के आदेश दिये गये हैं।

दि किसान सहकारी चीनी मिल, सठियांव, आजमगढ़ द्वारा पेरे गये गन्ने का विवरण

37—श्री राम जनम—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि सहकारी चीनी मिल, सठियांव, आजमगढ़ में सन् 1983-84, 84,85, 85-86 में कितनी मात्रा में गन्ना पेरा गया उसका अलग-अलग विवरण मय रिकवरी एवं सुखान के क्या रहा ? यदि 85-86 में सुखान का प्रतिशत कम रहा है तो विगत वर्षों की अपेक्षा रिकवरी का प्रतिशत कम क्यों रहा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दि किसान सहकारी चीनी मिल, सठियांव, जनपद आजमगढ़ द्वारा पेराई सत्र 1983-84, 84-85 तथा 85-86 में पेरे गये गन्ने की मात्रा तथा चीनी पर्ता व सूख के आंकड़े निम्नवत् हैं :—

पेराई सत्र	पेरे गए गन्ने की मात्रा (ला0 कु0)	चीनी का पर्ता (प्रतिशत)	गन्ने की सूख का प्रतिशत
1983—84	7.66	9.40	0.95
1984—85	4.46	8.83	0.67
1985—86	7.21	8.87	0.37

किसी भी चीनी मिल की रिकवरी गन्ने की सूख पर निर्धारित नहीं होती है बल्कि यह मिल क्षेत्र में उपलब्ध गन्ने की जाति, गन्ने में चीनी का प्रतिशत, गन्ने की प्रौढ़ता, चीनी मिल की कार्य प्रणाली, मिल की यांत्रिक स्थिति आदि कई बातों पर निर्भर करती है।

प्रदेश के वन निगम के डिपोज में हुई आगजनी का विवरण

38—श्री बलराम यादव—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत तीन वर्षों (1985-1986 तथा 31-8-87 तक) में वन निगम के कितने डिपोज में आगजंनी हुई तथा उनमें कितना-कितना नुकसान हुआ ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

विगत तीन वर्षों की उल्लिखित अवधि में वन निगम के 7 डिपोज में अग्नि दुर्घटनायें हुई जिनमें हुई क्षति का विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 100—101 पर)

वन निगम के टनकपुर विक्रय प्रभाग में कथित अनियमितता

39–श्री बलराम यादव

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि वन निगम के टनकपुर डिपो के लाट नं0-390 और 399 में कुकाठ की लकड़ी दिखा कर शीशम की लकड़ी उठाई गई ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं । वन निगम के टनकपुर विक्रय प्रभाग में कोई भी शीशम की लड़की कुकाठ दिखाकर नहीं उठाई गई । उल्लिखित लाट संख्या-390 व 399 शीशम प्रकाष्ठ की ही लाटें थी ।

मत्स्य विभाग में अतिरिक्त निदेशक के कथित पद पर नियुक्ति

40–श्री मैनेजर सिंह–

क्या मत्स्य पालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त निदेशक मत्स्य के पद पर नियुक्ति अधिकारी को विगत तीन वर्षों से प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी कौन है तथा उक्त नियुक्ति किस नियम के अंतर्गत एवं कब तक के लिए की गयी है ?

श्री सीता राम निषाद–

मत्स्य विभाग में अतिरिक्त निदेशक का न तो कोई पद है और न ही इस पद पर किसी की नियुक्ति की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ के प्राणी उद्यान की सुहेली नामक शेरनी के एक्सरे के संबंध में कथित पत्र

41–श्री मैनेजर सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राणी उद्यान लखनऊ में राष्ट्रीय दुधवा पार्क से लायी गयी सुहेली नामक शेरनी का दिनांक 23-11-85 को प्राणी उद्यान परिसर में ही हुआ एक्सरे किस विशेष कर्मचारी के विशेष प्रयास से संभव हुआ था ? क्या इस सम्बन्ध में एक्सरे करने वाले विशिष्ट तकनीकी कर्मचारी द्वारा दिनांक 18-2-86 का रजिस्टर्ड पत्र तत्कालीन निदेशक प्राणी उद्यान लखनऊ को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो इस पत्र का मूल विषय क्या था तथा इस पत्र के क्रम में वहां के कर्मचारी द्वारा हुए पत्राचार पर निदेशक द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

शेरनी सुहेली का एक्सरे 22-11-85 को प्राणी उद्यान, बलरामपुर एवम् सिविल अस्पताल के कर्मचारियों के संयुक्त प्रयास से किया गया है। इस संबंध में संदर्भित किसी विशिष्ट तकनीकी कर्मचारी का रजिस्टर्ड पत्र तत्कालीन निदेशक को प्राप्त होना नहीं पाया जाता है । प्रश्न में पत्र का विषय इंगित न होने के कारण इस बारे में अन्य कोई टिप्पणी दिया जाना सम्भव नहीं हो सका है ।

गन्ना विभाग में अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों को सचिव प्रभारी के पद पर प्रोन्नति

42–श्री नत्थू लाल विकल–

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विभाग में अनुसूचित जाति व जन जाति के कितने सी0 डी0 आई0/एस0 सी0 डी0 आई0, गन्ना समितियों में सचिव प्रभारी के पद पर प्रोन्नत किए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

गन्ना विकास विभाग के अंतर्गत नियुक्त सी0डी0 आई0/एस0 सी0 डी0 आई0 को सहकारी गन्ना समितियों में सचिव प्रभारी के पद पर प्रोन्नत किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है । विभाग में कार्यरत सी0 डी0 आई0 में से सचिव प्रभारी के पद पर प्रदेश की सहकारी गन्ना समितियों में स्थानान्तरण द्वारा तैनात किया जाता है । प्रदेश की सहकारी गन्ना समितियों में 9 अनुसूचित जाति के सी0 डी0 आई0 की तैनाती स्थानान्तरण द्वारा सचिव प्रभारी के पद पर की गयी है । जनजाति का कोई भी सी0 डी0 आई0/एस0 सी0 डी0 आई0 सेवा में नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड इकौना में इकौना भिनगा मार्ग पर गांव भामापार के पास बने लकड़ी के पुल का मरम्मत कार्य

43–श्री राम सागर राव–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में विकास खण्ड इकौना में इकौना भिनगा मार्ग पर गांव भामापार के पास बने लकड़ी के पुल की मरम्मत का कार्य शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? क्या इस कार्य में शिथिलता बरतने में दोषी अधिकारियों को दण्डित करने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

इस कार्य के वर्तमान वित्तीय वर्ष (1987-88) के अंत तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

इस कार्य में कोई भी विभागीय अधिकारी शिथिलता का दोषी नहीं है ।

जनपद बदायूं की तहसील सहसवान में मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थापना

44–श्री नरेश पाल सिंह यादव–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बदायूं की सहसवान मुंसिफ न्यायालय में दूसरा दण्डाधिकारी नियुक्ति किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं की सहसवान मुंसिफों का पुराना न्यायालय भवन विभाग में लिया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद बदायूं की तहसील सहसवान में मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थापना इसी वित्तीय वर्ष में 6 अप्रैल, 1987 को की गई है । इसलिये अभी वहां पर दूसरा दंडाधिकारी नियुक्त करना सम्भव नहीं है ।

तहसील सहसवान में मुंसिफी का नया भवन बन गया है । इस कारण पुरानी मुंसिफी का भवन जो वर्ष 1956 में रजिस्ट्रेशन विभाग को स्थायी रूप से हस्तान्तरित कर दिया गया था, उसे पुनः वापिस लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश के सिनेमा स्वामियों के नियमावली के अंतर्गत प्रतिभूति की राशि जमा करने में छूट

45–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न सिनेमाघरों में जो जनता के हित को ध्यान में रखते हुए सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करते हुए, सुचारु रूप से टैक्स अदायगी आदि करते हुए सिनेमा घर चला रहे हैं, को प्रोत्साहन देने हेतु शासन की ओर से कौन-कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

शासन द्वारा अन्तवर्ती सिनेमा से भिन्न ऐसे सिनेमा स्वामियों को जिन्होंने पूर्ववर्ती तीन वर्ष के दौरान कर जमा करने में कोई चूक नहीं की हो, विज्ञप्ति संख्या तीस0 ई0 बी0 6(2)/82-वित्त (मनोरंजन कर) अनुभाग, दिनांक 11 जनवरी, 1983 द्वारा, उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर नियमावली, 1981 के नियम 32 के अंतर्गत प्रतिभूति की राशि जमा करने में पूर्ण छूट प्रदान करने या प्रतिभूति की न्यूनतम धनराशि कम करने के लिये जिला मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत किया गया है ।

स्व0 राम प्रकाश क्योंटरा औरैया इटावा के चल एवं अचल सम्पत्ति के अनियमित निबन्धन की जांच एवं कार्यवाही

46–डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 रामप्रकाश क्योंटरा औरैया इटावा के निधनोपरान्त उनकी समस्त चल अचल सम्पत्ति के अवैधानिक अनियमित निबंधन के संबंध में मृतक की पुत्रियों श्रीमती मुन्नी देवी अवस्थी व उर्मिला देवी अवस्थी के प्रार्थना पत्रों पर जिलाधिकारी इटावा ने दिनांक 22-11-85 द्वारा स्टाम्प्स अनुभाग को सुविस्तृत जांच आख्या प्रेषित की थी व उसके आधार पर दोषी उप निबंधक को आरोपित किया गया था ? यदि हां, तो जिलाधिकारी द्वारा बहुत ही कनिष्ठ व हाल ही में उप निबंधक से प्रोन्नत श्री अब्दुल रऊफ को जांचाधिकारी क्यों बनाया गया, जबकि नियुक्त जांच अधिकारी प्राथमिक जांच करने वाले अधिकारी से वरिष्ठ होना चाहिए था ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

47—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के चौथे मंगलवार के लिए श्री बिहारी लाल दोहरे एम0 एल0 ए0 द्वारा पूछे गये अता0 प्रश्न संख्या 154, 155 व 156 के उत्तर के क्रम में क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, इटावा की सुस्पष्ट जांच आख्या के उपरान्त करापवंचना, आयकर अधिनियम की अवज्ञा जिलाधिकारी के मूल विक्रय पत्र मांगने पर भी दस्तावेज को क्रेता को वापस करने व 15-9-83 की आपत्ति के उपरान्त भी 16-9-83 को निबन्धन करने के लिए दोषी उप निबन्धक औरैया के विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दोषी उप निबंधक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये थे । शासन द्वारा संबंधित अधिकारी के दोषी पाये जाने पर उनकी तीन वर्ष के लिये वेतन वृद्धियां रोक दिये जाने के, जिसका प्रभाव भविष्य के वेतन वृद्धियों पर भी पड़ेगा, आदेश दिये जा चुके हैं ।

इसके अतिरिक्त उनकी चरित्र पंजिका में निन्दात्मक प्रतिकूल प्रविष्ट जिसमें उनका आचरण संदिग्ध बताया गया है, कर दिये जाने के आदेश भी जारी कर दिये गये हैं ।

48—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 राम प्रकाश क्योंटरा औरइया इटावा की समस्त चल-अचल सम्पत्ति को हड़पे जाने विषयक मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन को प्रेषित प्रश्नकर्ता के गोपनीय प्राथमिकता युक्त पत्र दिनांक 13 फरवरी, 87 एवं 31 मार्च, 87 पर अब तक क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

स्व0 राम प्रकाश, क्योंटरा औरैया, इटावा की सम्पत्ति हड़पे जाने विषयक माननीय सदस्य द्वारा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित पत्र दिनांक 13-2-87 एवं 31-3-87 प्राप्त हुये हैं ।

संबंधित दोषी उप निबंधक की तीन वर्ष के लिये वेतन वृद्धियां रोक दिये जाने, जिसका प्रभाव भविष्य की वेतन-वृद्धियों पर भी पड़ेगा तथा उनकी चरित्र पंजिका में उनके आचरण को संदिग्ध बताते हुए निन्दात्मक प्रतिकूल प्रविष्टि किये जाने के आदेश शासन द्वारा दिये गये हैं ।

राज्य सरकार के वायुयान एवं हेलीकाप्टर के ईंधन एवं मरम्मत पर किये गये व्यय

49—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय राज्य सरकार के पास कितने वायुयान तथा हेलीकाप्टर हैं तथा वित्तीय वर्ष 86-87 व अगस्त, 87 तक प्रत्येक पर ईंधन तथा मरम्मत पर कितना-कितना व्यय किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

राज्य सरकार के पास इस समय विशिष्ट व्यक्तियों की उड़ान हेतु दो वायुयान तथा दो हेलीकाप्टर हैं।

वित्तीय वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 में (अगस्त, 87 तक) इन पर ईंधन एवं मरम्मत हेतु लगभग निम्न व्यय किया गया :—

वर्ष		एयरक्राफ्ट	ईंधन	मरम्मत
1986–87	..	वायुयान	14,94,600	10,00,000
1987–88 (अगस्त 87 तक)।	..	वायुयान	5,01,000	2,40,000
1986–87	..	हेलीकाप्टर	5,56,000	23,14,700
1987–88 (अगस्त, 87 तक)।	..	हेलीकाप्टर	2,90,500	1,52,000
		योग	28,42,100	37,06,700

जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील धोरहरा में निबंधन विभाग में तैनात उपनिबंधक का प्रोन्नति कार्य काल

50—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखीमपुर के तहसील धोरहरा में निबंधन विभाग में तैनात उप निबंधक की प्रोन्नति कार्यकाल 28 फरवरी, 87 को समाप्त हो चुका है ? यदि हां, तो वे किस नियम के अन्तर्गत उप निबंधक का कार्य कर रहे हैं ? क्या सरकार इस अवैधानिक उप निबंधक द्वारा कार्य सम्पादित करवाने में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद सीतापुर व खीरी में आर0 एल0 जी0 ई0 पी0 व एन0 आर0 ई0 पी0 तथा जिला सेक्टर योजनाओं के अन्तर्गत किए गए कार्यों का विवरण

51—श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

क्या सा0 नि0 मंत्री को जानकारी है कि सा0 नि0 वि0 21वां वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता ने आर0 एल0 जी0 ई0 पी0 व एन0 आर0 ई0 पी0 तथा जिला सेक्टर योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 20 करोड़ रुपये से जो कार्य कराया गया उसे बनते कभी नहीं देखा केवल घर बैठे कागजों पर फर्जी निरीक्षण किया गया ? यदि नहीं, तो कब और किन-किन तारीखों में किस कार्य को बनते देखा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अप्रैल, 1985 से 30-9-1987 तक 21वां वृत्त, सीतापुर के अन्तर्गत जनपद सीतापुर और खीरी में प्रश्नगत योजनाओं में मात्र 9.64 करोड़ रुपये के ही कार्य कराये गए हैं। इन कार्यों के निरीक्षण समय-समय पर किये गये हैं।

प्रश्नगत योजनाओं के अन्तर्गत जिन-जिन कार्यों का निरीक्षण जिन तिथियों में किया गया उनकी सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 102—103 पर)

जनपद सीतापुर व बहराइच मार्ग पर गोन नदी के पहुंच मार्ग तक हुई तारकोल पेन्टिंग पर हुए अधिक व्यय की छानबीन

52—श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

क्या सा0 नि0 मंत्री को जानकारी है कि सीतापुर बहराइच मार्ग पर गोन नदी के पहुंच मार्ग पर मिट्टी तथा तारकोल पेन्टिंग का कार्य बहुत खराब किया गया है और अनुमानित धनराशि से अधिक खर्च दिखाया गया है? यदि नहीं, तो क्या सम्पूर्ण मामले की जांच कराने का कष्ट करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कार्य में कोई खराबी नहीं है, किन्तु मूल स्वीकृत प्रारम्भिक आगणन से रु0 3.00 लाख से अधिक का व्यय हुआ है। व्यय आधिक्य की छानबीन कराई जा रही है।

बद्री नाथ मंदिर हेतु मास्टर प्लान योजना की स्वीकृति

53—श्री राम पाल सिंह—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बद्रीनाथ मंदिर हेतु मास्टर प्लान योजना स्वीकृत है? यदि हां, तो क्या मास्टर प्लान योजना अनुसार सड़कों का निर्माण किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

संशोधित महायोजना के अनुसार नयी सड़कों का निर्माण निकाय के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण नहीं किया जा रहा है।

54—श्री विष्णु देव—

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

जनपद आजमगढ़ में सहा0 जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की विधि संगत नियुक्ति

55—श्री विष्णु देव—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में जनवरी सन् 1983 में सहायक डी0 जी0 सी0 (फौजदारी) की नियुक्ति हेतु पैनल में केवल चार अधिवक्ताओं के नाम थे जिसे शासन ने निरस्त करते हुए दूसरा पैनल गठित करने का निर्देश, जिलाधिकारी, आजमगढ़ को दिया था? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उसी पैनल से जनवरी, 1983 में ही दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति हो गई जबकि नियमानुसार पैनल में पांच अधिवक्ताओं का नाम रखना चाहिए? यदि हां, तो ऐसी नियम विरुद्ध कार्यवाही का क्या औचित्य था?

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

जी हां, जो पैनल आजमगढ़ के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के पद पर नियुक्ति हेतु 4 पात्र अधिवक्ताओं का शासन को प्राप्त हुआ था उसे शासन द्वारा निरस्त करते हुए नये नाम मांगे गये थे। शासन ने जनवरी सन् 1983 में

अपने पूर्व निरस्त करने के आदेश वापस लेते हुए उस 4 अधिवक्ताओं के पैनल में से एक को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के पद पर नियुक्ति कर दी। ऐसा करने में शासन ने कोई नियमों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की क्योंकि प्रश्नगत मामले में दो पदों के लिए केवल 10 आवेदकों ने प्रार्थना पत्र दिये थे। उनमें से एक आवेदक 62 वर्ष की अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर चुका था अतः शेष 9 पात्र आवेदकों में से प्रथम पैनल में 5 और द्वितीय पैनल में 4 अधिवक्ता रखे गये । द्वितीय पैनल के लिए पांचवां आवेदक आयु सीमा पार कर चुकने के कारण अपात्र होना जिलाधिकारी व जिला जज ने लिखा था। सी0 आर0 पी0 सी0 सी0 की धारा 24 जिसके अन्तर्गत यह नियुक्ति हुई, की अपेक्षानुसार विधि संगत हुई ।

श्री वी0 के0 जौहरी, उपनिदेशक को निदेशक मत्स्य के पद पर अस्थायी नियुक्ति

56–श्री अशोक बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विभागीय चयन समिति अथवा लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किए बिना विभागाध्यक्ष के पद पर तदर्थ/अन्तरिम नियुक्ति करने का कोई प्राविधान है? यदि नहीं, तो श्री वी0 के0 जौहरी, उप निदेशक को किस नियम के अन्तर्गत जुलाई, 85 में निदेशक, मत्स्य के पद पर प्रोन्नति दी गई तथा किन आदेशों के अन्तर्गत अभी तक इनको इस पर चलाया जा रहा है? क्या मुख्य मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री वी0 के0 जौहरी की नियुक्ति तथा उसके द्वारा की गई अनियमितताओं के विरुद्ध कितने शिकायती-पत्र श्री रघुवर दयाल वर्मा द्वारा वर्ष 86 में दिए गए हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सीताराम निषाद–

जी नहीं ।

चूंकि श्री वी0 के0 जौहरी विभाग में एक मात्र स्थायी उप निदेशक हैं अतः उन्हें निदेशक के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक केवल कार्य संचालनार्थ पूर्णतया अस्थायी आधार पर निदेशक नियुक्त किया गया है। श्री रघुवर दयाल वर्मा का एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है जिस पर जांच प्रगति पर है। जांच पूरी होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

किसान सहकारी चीनी मिल सम्पूर्णा नगर, लखीमपुर खीरी के सेवारत स्थानीय कर्मचारियों का विनियमितीकरण

57–श्री मैनेजर सिंह–

क्या चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि किसान सहकारी चीनी मिल, सम्पूर्णानगर, जनपद लखीमपुर खीरी में सेवारत स्थानीय कर्मचारियों की सेवाओं का विनियमितीकरण किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

125 सेवारत स्थानीय कर्मचारियों की सेवाओं का विनियमितीकरण किया जा चुका है। शेष व्यक्तियों के अनुभव एवं कार्यकुशलता पूर्ण होने पर नियमानुसार विनियमितीकरण की कार्यवाही की जायगी।

वन निगम के डिपो में अग्नि दुर्घटनाओं की संख्या

58—श्री बलराम यादव—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत तीन वर्षों में वन निगम के कितने डिपो में आग लगी ? इन वर्षों में वन निगम के अध्यक्ष कौन थे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

विगत तीन वर्षों (निगम वर्ष 1 अक्टूबर से 30 सितम्बर) में वन निगम के सात डिपों में अग्नि दुर्घटनायें हुई थीं।

इन वर्षों में वन निगम के अध्यक्षों के नाम निम्नवत् हैं :—

(1) (स्व0) श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—दिनांक 3-5-1983 से 1-3-85 तक
(2) सचिव, वन विभाग—दिनांक 1-3-85 से 20-3-1985 तक तथा
(3) श्री गोपाल सिंह घपोला—दिनांक 21-3-1985 से वर्तमान समय तक ।

वन निगम के लाल कुआं डिपो में कथित इमारती लकड़ी की नीलामी का आरोप

59—श्री बलराम यादव—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन निगम के लालकुआं डिपो में 12 मार्च, 87 को डिपो नं0—4 में सागौन की लकड़ी का नीलाम डिपो नं0—3 में दिखाया गया है? क्या यह सही है कि नीलाम जलावनी लकड़ी का दिखाया गया पर डिपो से सागौन की लकड़ी उठाई गई? यदि हां, तो इस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

दिनांक 12-3-87 को लालकुआं डिपो में हुए नीलाम के विषय में ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पर्यावरण निदेशालय, उ0 प्र0 के कार्यालय अधीक्षक का प्रत्यावर्तन

60—श्री बलराम यादव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्यावरण निदेशालय, उ0 प्र0 के कार्यालय अधीक्षक को दिनांक 5-11-86 को निदेशक, पर्यावरण द्वारा सीधे तीन श्रेणी नीचे कनिष्ठ लिपिक के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों? क्या यह सही है कि उपरोक्त प्रत्यावर्तन आदेश के विरुद्ध दिनांक 2-12-86 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा कार्यालय अधीक्षक के पक्ष में पारित अन्तरिम आदेश के बाद दिनांक 6-12-86 को निदेशक, पर्यावरण द्वारा अपना प्रत्यावर्तन आदेश निरस्त कर दिया तथा एक माह में पुनः प्रत्यावर्तित कर तदर्थ नियुक्त कर दिया? यदि हां, तो उक्त गलत एवं मनमाने आदेश पारित करने के लिए निदेशक पर्यावरण के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

तत्कालीन निदेशक द्वारा कार्यालय अधीक्षक को कनिष्ठ लिपिक के पद पर प्रत्यावर्तन का कारण उनकी अनियमित नियुक्ति एवं उनके द्वारा कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन बताया गया है।

जी हां, प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 5-11-86 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 2-12-86 के बाद दिनांक 6-12-86 को तत्कालीन निदेशक पर्यावरण द्वारा पूर्व जारी अपने आदेश दिनांक 5-11-86 को निरस्त कर दिया गया तथा दिनांक 7-1-87 को पुनरीक्षित आदेश पारित कर कार्यालय अधीक्षक को निदेशक के आशुलिपिक के पद पर अग्रिम आदेशों तक तदर्थ रूप से तैनात किया गया है।

तत्कालीन निदेशक पर्यावरण से उक्त आदेश पारित करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

61—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय में संयुक्त निदेशकों को दिये गये अधिकार

61—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि प्राविधिक शिक्षा निदेशालय में विकेन्द्रीकरण योजना के तहत शासनादेश संख्या 14/1/1984-कार्मिक-2 दिनांक 22-1-86 के क्रम में उप सचिव द्वारा लिखे गये पत्रों के अनुसार शासन ने क्षेत्रीय संयुक्त निदेशकों को उनके क्षेत्राधिकार के मण्डल में समूह (ख) के राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्तियों/स्थानान्तरण आदि के अधिकार दिये गये थे? यदि हां, तो उपरोक्त शासनादेश होने के बाद से आज तक पश्चिमी क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक के क्षेत्राधिकार के मण्डलों में विकेन्द्रीकरण योजना एवं उपरोक्त शासनादेश का अनुपालन न करा कर स्वयं निदेशक ने कितनी और कहां कहां नियुक्तियां की और इसका क्या औचित्य है? क्या मंत्री जी निदेशक के विरुद्ध जांच कराकर कार्यवाही करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? क्या जांच रिपोर्ट तथा उस पर की गई कार्यवाही से प्रश्नकर्ता व सदन को भी अवगत करायेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कार्मिक—2 द्वारा जारी आदेश दिनांक 22-1-1986 में प्रतिपादित नीति के अनुसार प्राविधिक शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय संयुक्त निदेशकों को उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत मण्डलों में समूह "ख" के राजपत्रित अधिकारियों को केवल स्थानान्तरित करने का अधिकार दिया गया था।

चूंकि संयुक्त निदेशकों को नियुक्ति अधिकार नहीं दिए गए प्रश्न के दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

सेतु निगम अभियन्ता संघ की प्रमुख मांगों सम्बन्धी प्रस्ताव

63–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेतु निगम अभियन्ता संघ के द्वितीय वेतनमान लागू करने तथा अन्य समस्याओं सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का 20 दिसम्बर, 1986 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ था जिसे आवश्यक कार्यवाही हेतु उन्होंने सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग को भेजा था? यदि हां, तो सेतु निगम अभियन्ता संघ की प्रमुख मांगें क्या हैं? इसके समाधान के लिए शासन क्या कार्यवाही कर रहा है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

सेतु निगम अभियन्ता संघ की प्रमुख मांगें निम्नलिखित हैं :–

1–वेतनमान

2–प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति तथा संविलियन

वेतनमान

सेतु निगम के सहायक अभियन्ता का वेतनमान रु0 900-1770 तथा दो वर्ष बाद रु0 1020-1770 विसंगत समिति की संस्तुति के अनुसार निर्धारित किया गया है। पुनश्च राज्य सरकार द्वारा वेतन समिति का गठन कर दिये जाने के फलस्वरूप विसंगत समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया है। सहायक अभियंताओं के वेतनमान पर नये सिरे से विचार करने हेतु प्रस्ताव वेतन-समिति को भेजा जा चुका है। सेतु अभियन्ता संघ ने अपने वेतनमान संबंधी मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट याचिका भी दायर की है जो माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति तथा संविलियन

सेतु निगम में प्रोन्नतियां आवश्यकता के अनुसार समय समय पर की जाती हैं। प्रतिनियुक्ति पर आये अभियन्ताओं का संविलियन, संविलियन नियमावली, 1984 के अन्तर्गत की जाती है। निगमों को यह आदेश दिये गये हैं कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने संविलियन का विकल्प नहीं दिया है या सशर्त विकल्प दिया है, उन्हें 5 वर्ष की अवधि के पश्चात् प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावर्तित कर दिया जाय। निगमों की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए केवल उन्हीं अधिकारियों को 5 वर्ष के पश्चात् बने रहने की स्वीकृति प्रदान की गयी है जो बिना शर्त निगम में संविलियन के इच्छुक हैं तथा संविलियन नियमावली, 1984 के अनुसार संविलियन के सर्वथा पात्र हैं।

राज्य सम्पत्ति विभाग में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की व्यवस्था

64–श्री राम लाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग में तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को लगातार 240 दिन कार्य पूरा करने के बाद नियमित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि किया जायेगा, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने हेतु नियमित पद आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध नहीं हैं ।

पद उपलब्ध होने पर नियमितीकरण किया जायेगा ।

उ0 प्र0 सचिवालय के कतिपय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अस्थाई पदों का स्थाई-करण की प्रक्रिया

65–श्री राम पाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1-7-87 को उ0 प्र0 सचिवालय में अनुभाग अधिकारी, प्रवर वर्ग सहायक, संदर्भदाता, अवर वर्ग सहायक, टंकक के कितने कितने अस्थायी पद सृजित थे इनमें से कितने अनुभाग अधिकारी, प्रवर वर्ग सहायक, संदर्भदाता, अवर वर्ग सहायक एवं टंकक के पद स्थायीकरण के लिए परिपक्व हो चुके हैं ? इन पदों को स्थायी कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

दिनांक 1-7-87 को उत्तर प्रदेश सचिवालय में अनुभाग अधिकारी, प्रवर वर्ग सहायक, संदर्भ दाता, अवर वर्ग सहायक तथा टंकक के क्रमशः 33, 155, 38, 76 तथा 118 पद सृजित थे । इनमें से क्रमशः 1, 44, 08, 18 तथा 75 पद स्थाई करण हेतु परिपक्व हो चुके हैं। पदों का स्थायीकरण निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके अनुसार परिपक्व पदों का यथानियम यथाक्रम स्थायीकरण होता रहता है ।

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड मोहन लाल गंज में लगायी गई पवन चक्कियों की स्थिति

66–श्री शारदा प्रताप–

क्या विज्ञान एवं अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड मोहन लाल गंज जनपद लखनऊ में किन-किन स्थानों पर वर्ष 1986 तक पवन चक्कियां स्थापित की जा चुकी हैं ? स्थापित पवन चक्कियों में कितनी काम कर रही हैं तथा कितनी बन्द पड़ी हैं ? बन्द पवन चक्कियों को चलाने पर क्या विचार किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा–

जी हां । मोहन लाल गंज, विकास खण्ड, जनपद लखनऊ में वर्ष 1986 में "परिशिष्ट" में उल्लिखित स्थानों पर पवन चक्कियां स्थापित की गई हैं । इस विकास खण्ड में आई0 आर0 ई0 पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदर्शन हेतु लगाई गई 11 पवन चक्कियों में से 9 पवन चक्कियां कार्य कर रही हैं और 2 पवन चक्कियां बड़ी खराबियों के कारण बन्द पड़ी हैं । अनुदान कार्यक्रम के अन्तर्गत 29 पवन चक्कियां हैं जिनमें से 8 पवन चक्कियां बन्द हैं जिनको ठीक कराने हेतु लाभार्थियों को आंकलन उपलब्ध कराए जा चुके हैं । बन्द पवन चक्कियों को शीघ्र चालू हालत में लाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 104 पर)

राजकीय पालीटेकनिक में व्याख्याताओं को चयन वेतनमान दिये जाने का परीक्षण

67—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय पालीटेकनिक में कार्यरत व्याख्याता सिविल मैकेनिकल तथा विद्युत में कौन-कौन व्याख्याता चयन वेतन मान के 31 अक्टूबर, 86 को पात्र थे ? क्या उन्हें चयन वेतनमान देय तिथि से दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

व्याख्याता सिविल, मैकेनिकल तथा विद्युत पद पर कार्यरत संलग्न सूची में उल्लिखित 20 व्याख्याता दिनांक 31-10-86 को चयन वेतनमान के पात्र थे । अभी किसी को चयन वेतनमान स्वीकृत नहीं किया गया है । इसके लिये उनकी उपयुक्तता का परीक्षण किया जा रहा है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 105 पर)

श्री नूर खां, निवासी जिला सीतापुर के रिहाई के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय का शासन को निर्देश

68—श्री भगौती सिंह—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नूर खां निवासी जिला सीतापुर, जो सुल्तानपुर जेल में आजीवन सजा काट रहे हैं, की रिहाई के लिए मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने रिट पिटीशन (क्रि0) नं0 1062/1984 दिनांक 8-10-84 के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को कोई निर्देश दिया था ? यदि हां, तो वह निर्देश क्या था और उसके अनुपालन में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट पिटीशन (क्रिमिनल) संख्या 1062/1984 में दिनांक 8-10-84 को निम्न निर्देश दिया था :—

> "उत्तर प्रदेश शासन को निर्देशित किया जाता है कि वे यह आदेश प्राप्त होने के दिनांक से चार माह के अन्दर याची नूर खां को समय से पूर्व मुक्ति के मामले में नियमों के अन्तर्गत विचार करके उस पर उचित आदेश पारित करे । रिट याचिका का तदनुसार निस्तारण किया जाता है ।"

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में बन्दी नूर खां पुत्र फरजन्द खां के फार्म "ए" में प्रार्थना पत्र पर पर प्रोबेशन बोर्ड ने नियमानुसार दिनांक 21-12-84 को विचार किया था तथा बन्दी की लाइसेंस पर मुक्ति अस्वीकार करने की संस्तुति की थी । बन्दी के मामले पर सम्यक रूप से विचारोपरान्त शासन ने उसे प्रोबेशन एक्ट के अधीन लाइसेंस पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया । अतएव बोर्ड की उक्त संस्तुति को शासन ने दिनांक 29-1-85 को यथावत स्वीकार कर लिया था और इस सम्बन्ध में आदेश दिनांक 2-2-85 को जारी कर दिये गये थे ।

जनपद लखनऊ की कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत कार्य का विवरण

69—श्री भगौती सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ की चिनहट जुग्गौर रसूलपुर सादात तकरौही एवं चिनहट देवा मार्गों पर गत वर्ष 85-86 में बरसात में हुए सड़कों के कटाव या दलदल को भरने और पुनः यातायात चालू करने के लिए कितने श्रमिकों से कार्य लिया गया ? उन्होंने किस अवधि से किस अवधि तक कार्य किया एवं उनको कब और क्या मजदूरी दी गयी ? उक्त सड़कों के किन कि0 मी0 में कितने लम्बे भरान किये गये ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 106 पर)

जनपद लखनऊ की बख्शी तालाब, इटौंजा कुम्हरावां कुर्सी आदि क्षतिग्रस्त मार्गों के मरम्मत कार्य का व्यय विवरण

70—भगौती सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के बख्शी तालाब इटौंजा कुम्हरावां कुर्सी मार्गों पर वर्ष 85-86 की बरसात में हुए सड़कों के कटाव एवं दलदल को भरने और पुनः यातायात चालू करने के लिए कितने श्रमिकों से कार्य लिया गया ? उन्होंने किस अवधि से किस अवधि तक कार्य किया एवं उनको कब और क्या मजदूरी दी गयी एवं उक्त सड़कों में कितने कि0 मी0 में कितने लम्बे भरान किये गये ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

विवरण संबंधी तालिका संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 107 पर)

71—श्री शिरोमणि भाई—

[3रे मंगलवार के लिए स्थगित]

बीस सूत्रीय कार्यक्रम की राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय समितियों के गठन की नीति

72—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम की राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय समितियों के गठन की क्या नीति है तथा यह भी जानकारी देने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 की राज्य स्तरीय बीस सूत्री समिति की सदस्य संख्या क्या है ? इसमें जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के अलावा कितने लोग हैं और वे इस समिति में किन परिस्थितियों में शामिल किये गये हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शासन द्वारा बीस सूत्री कार्यक्रम के प्रभावकारी एवं समयबद्ध ढंग से कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय समिति तथा जिला स्तर पर जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है । इन समितियों के गठन की कोई नीति विशिष्ट रूप से निर्धारित

नहीं है । राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष मुख्य मंत्री हैं तथा इसमें कार्यक्रम से सम्बन्धित विभागों के मंत्रीगण, कुछ सांसदों/विधायकों, अल्प संख्यक आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है । इस समिति में दो सरकारी अधिकारियों को भी सम्मिलित किया गया है । जिला स्तरीय समितियों के अध्यक्ष जिले में प्रभारी मंत्री हैं। इनमें जिले के सभी सांसदों व विधायकों, अन्य गैर सरकारी व्यक्तियों तथा दो सरकारी अधिकारियों को सम्मिलित किया गया है।

राज्य स्तरीय समिति में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सहित कुल 54 सदस्य हैं। इनमें से जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के अलावा 17 अन्य व्यक्ति हैं। इस समिति में जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के अलावा उन्हीं व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है जो बीस सूत्री कार्यक्रम में आस्था रखते हैं।

जनपद सहारनपुर में रायसी के निकट बान गंगा नदी पर स्वीकृत पुल के निर्माण में प्रगति

73—श्री राम शरण दास—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 12 फरवरी, 87 को उन्होंने जनपद सहारनपुर के ब्लाक लक्सर में रायसी के निकट बान गंगा नदी पर पुल का शिलान्यास किया था ? यदि हां, तो उक्त पुल के बनने में क्या प्रगति है और वह पुल कितने दिन में बनकर तैयार हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

सेतु के स्थल चयन आदि संबंधी विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है जिसके पूर्ण हो जाने के उपरान्त सेतु निगम द्वारा सेतु का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा । तत्पश्चात् ही यह बताना सम्भव होगा कि सेतु कब तक बनकर तैयार हो जायेगा ।

वित्त सचिव शाखा में वर्तमान संयुक्त सचिव कम अपर निदेशक, डाइरेक्ट्रेट आफ फिजिकल प्लानिंग एण्ड रिसोर्सेज के विरुद्ध कथित शिकायत

74—श्री श्रीनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त सचिव शाखा में वर्तमान संयुक्त सचिव कम अपर निदेशक, डाइरेक्ट्रेट आफ फिजिकल प्लानिंग एण्ड रिसोर्सेज प्रवर वर्ग सहायक के पद से संयुक्त सचिव कम अपर निदेशक के एक्स काडर पोस्ट पर वित्त विभाग में ही पिछले 32 वर्षों से लगातार तैनात हैं ? क्या यह सही है कि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी, बरेली के संचालक मण्डल में वे वित्त विभाग की ओर से नामित सदस्य भी हैं और वहां उन्होंने अपने पुत्र को सहायक लेखाधिकारी के पद पर निर्धारित अर्हतायें पूरी न करने के बावजूद भी नियुक्त करवाया है ? यदि हां, तो क्या उक्त अधिकारी का स्थानान्तरण किसी अन्य सचिव शाखा में कराकर उनके विरुद्ध सतर्कता विभाग से जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वित्त सचिव शाखा के अन्तर्गत डाइरेक्ट्रेट आफ फिजिकल प्लानिंग एण्ड रिसोर्सेज का गठन फरवरी, 1984 में किया गया था। उक्त डाइरेक्ट्रेट में अपर निदेशक का कोई पद नहीं है। अतः संयुक्त सचिव कम अपर निदेशक के पद पर नियुक्ति

का प्रश्न नहीं उठता । उक्त डाइरेक्ट्रेट के निदेशक पहले संयुक्त सचिव के रूप में वित्त विभाग का भी कार्य देख रहे थे । डाइरेक्ट्रेट में निदेशक के पद पर नियुक्ति चयन के आधार पर की गयी थी। वर्तमान में दिनांक 1 जून, 1987 से डाइरेक्ट्रेट के निदेशक वित्त विभाग में विशेष कार्याधिकारी के रूप में कार्य देख रहे हैं। यह पद स्थानान्तरणीय नहीं है। अतः इसके धारक को कहीं अन्यत्र स्थानान्तरित करने का प्रश्न नहीं उठता । वित्त विभाग में उक्त अधिकारी की उपयोगिता देखते हुए उन्हें प्रारम्भ से ही विभिन्न दायित्वपूर्ण पदों पर वित्त विभाग में ही रखा गया है। यह सही है कि उक्त अधिकारी इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी, बरेली में वित्त विभाग की ओर से निदेशक मण्डल के नामित सदस्य हैं, परन्तु यह सही नहीं है कि उनका पुत्र उक्त संस्था में कार्यरत है। अतएव इस बारे में किसी जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 सचिवालय स्थित सहकारिता अनुभाग में लम्बी अवधि तक कार्यरत कर्मचारियों की सूची

75–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सचिवालय स्थित सहकारिता अनुभाग 1, 2 व 3 में कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें उक्त एक ही अनुभाग/विभाग में कार्यरत रहते हुए 10 वर्षों से भी अधिक समय व्यतीत हो गया है और उनका स्थानान्तरण अभी तक नहीं किया गया है ? क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इतने लम्बे अन्तराल तक इनका स्थानान्तरण अन्यत्र न करके शासन के स्थानान्तरण विषयक नीति का उल्लंघन किया गया है ? यदि हां, तो इनका स्थानान्तरण अन्य अनुभाग/विभाग में कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सहकारिता विभाग में केवल तीन प्रवर वर्ग सहायक 10 वर्ष से अधिक की अवधि से कार्यरत हैं। जनहित में सभी को तुरन्त स्थानान्तरित किया जाना उचित नहीं है। शनैः-शनैः इनका स्थानान्तरण कर दिया जायेगा ।

निदेशक, पर्यावरण के स्थायी पद पर तकनीकी संवर्ग के अधिकारी की स्वीकृति

76–श्री बलराम यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, पर्यावरण का स्थायी पद तकनीकी संवर्ग का एवं लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत है ? यदि हां, तो क्या वर्तमान पर्यावरण निदेशक श्री आर0 सी0 द्विवेदी के आई0 ए0 एस0 में नियुक्ति हो जाने के बाद भी उन्हें इस पद पर बनाये रखा जा रहा है? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत ? क्या मुख्य मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि श्री आर0 सी0 द्विवेदी के लिए ही निदेशक, पर्यावरण, उ0 प्र0 के तकनीकी पद को आई0 ए0 एस0 कैडर के पद में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, निदेशक, पर्यावरण का स्थायी पद तकनीकी संवर्ग का है एवं लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत है। श्री आर0 सी0 द्विवेदी का उक्त पद से स्थानान्तरण हो चुका है।

पर्यावरण निदेशालय में प्राविधिक सहायक के पद पर अस्थायी नियुक्ति

77—श्री बलराम यादव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्यावरण निदेशालय में तकनीकी सहायक (लाइब्रेरी) के पद पर पिछले 6 वर्षों से निरन्तर कार्यरत हैं एवं निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति न कर, कम अनुभव एवं पूर्ण अर्हता न रखने वाली आर्ट साइड की अभ्यर्थिनी की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत ? उक्त मनमानी नियुक्ति करने के लिए निदेशक, पर्यावरण के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

प्राविधिक सहायक (लाइब्रेरी) के पद पर अभी किसी की नियमित नियुक्ति नहीं की गयी है। उक्त पद पर दैनिक वेतन पर नियुक्त अभ्यर्थी निर्धारित अर्हता प्राप्त है।

प्रश्न नहीं उठता ।

निदेशक पर्यावरण के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हताएं

78—श्री बलराम यादव तथा

श्री हर्षवर्धन—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक पर्यावरण हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि है? यदि हां, तो क्या वर्तमान निदेशक पर्यावरण इंजीनियरिंग में द्वितीय श्रेणी की स्नातक उपाधि रखते हुए भी इस पद पर नियुक्त किये गये हैं? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत? क्या मा0 मुख्य मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि नियमों के विपरीत नियुक्त निदेशक को हटाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

निदेशक पर्यावरण के पद के लिए अर्हता निम्नवत् है:—

शैक्षिक योग्यता—इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में डिग्री (पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अथवा इससे सम्बन्धित क्षेत्र के अभ्यर्थियों को वरीयता)

अथवा

विज्ञान में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि (पर्यावरणीय विज्ञान अथवा इससे सम्बन्धित क्षेत्र के अभ्यर्थियों को वरीयता)

शासन द्वारा निदेशक, पर्यावरण के पद पर नियुक्ति लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर नियमानुसार की गयी थी। लोक सेवा आयोग द्वारा उक्त चयन शासन द्वारा अध्याचित अर्हता के आधार पर किया गया था।

तत्कालीन निदेशक, पर्यावरण विभाग से अब स्थानान्तरित हो चुके हैं।

जनपद बहराइच के गांव भगवानपुर के पास नाले पर स्वीकृत रपटे का निर्माण कार्य

79—श्री राम सागर राव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के बहराइच से चहलारी-घाट रोड पर गांव भगवानपुर के पास नाले पर पुल निर्माण कार्य शासन की विचाराधीन है? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा? क्या विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बहराइच से चहलारीघाट मार्ग पर भगवानपुर के पास नाले पर एक वेन्टेड काजवे (रपटा) निर्माण हेतु स्वीकृत है।

उक्त रपटे पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जिसके शीघ्र ही पूर्ण हो जाने की संभावना है।

गत वर्षों में धनाभाव के कारण उक्त रपटे का निर्माण नहीं किया जा सका। अतः विलम्ब हेतु कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में बाघों के अवैध शिकार रोकने की व्यवस्था

80—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में बाघों के अवैध शिकार की सूचना सरकार को है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

दुधवा राष्ट्रीय पार्क, लखीमपुर खीरी में बाघों (शेरों) के अवैध शिकार की सूचना नहीं है। फिर भी शेरों के संरक्षण के लिए पार्क के अधिकारी/कर्मचारी पूर्ण रूप से सजग हैं ताकि शेरों को अवैध रूप से मारे जाने की घटनाएं न हों।

जनपद आजमगढ़ में जेल चन्डेश्वर को स्थानान्तरित करने की योजना स्थगित

81—श्री राम जनम—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में जेल चन्डेश्वर स्थानान्तरित करके उस पर हाउसिंग स्कीम बनाने की कोई योजना थी? यदि हां, तो क्या उसे कार्यान्वित करने में देरी हो रही है? यदि हां, तो क्या शासन इस पर शीघ्र विचार करके कोई योजना बनायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

संसाधनों की कमी के कारण यह योजना स्थगित कर दी गयी।

फिलहाल ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

गोला नदी हल्द्वानी नैनीताल का बजरी रेत तथा पत्थर का ठेका

82—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि गोला नदी हल्द्वानी नैनीताल का बजरी रेत तथा पत्थर का ठेका गोला निगम व कोआपरेटिव सोसाइटी को दिया जाता था जिसे विगत 2 वर्षों से नहीं दिया जा रहा है और बाढ़ तथा कटान का संकट कह कर नदी माह अगस्त व सितम्बर, में रेत बजरी निकालने के लिए बैण्ड कर दी जाती है? यदि हां, तो क्यों? क्या यह सत्य है कि निकासी बन्द होने के बावजूद सौ ट्रक माल प्रतिदिन लाल कुआं तथा हल्द्वानी बैरियर से पास हो रहा है? यदि हां तो क्या विजीलेंस द्वारा जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

पुराने मतालबे की अदायगी न करने के कारण वर्ष 1985-86 से कुमायुं मण्डल विकास निगम एवं गोला श्रम सहकारी समिति को उल्लिखित प्लाटों से बजरी, रेत आदि उठाने के ठेके नहीं दिये जा रहे हैं। माह जुलाई, अगस्त व सितम्बर में नदी में पानी रहने के कारण तथा सम्भावित भूक्षरण के खतरे को देखते हुए इन महीनों में पत्थर, बजरी आदि की निकासी नहीं दी जाती है। माह जून तक निकाले गये पत्थर बजरी आदि को ही ट्रकों द्वारा निकासी की अनुमति दी जाती है। विभाग के पास अवैधानिक निकासी या उत्खनन की जानकारी नहीं है।

हल्द्वानी वन प्रभाग तथा तराई पूर्वी वन प्रभाग में अवैध पातन के विरुद्ध कार्यवाही

83—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि हल्द्वानी नैनीताल में पिछले दो वर्षों में गोला नदी के दोनों किनारे एक कि0मी0 चौड़ाई तथा 7 कि0मी0 लम्बाई में खड़े घने जंगल जिनमें साल शीशम तथा खैर के पुराने वृक्ष थे स्थानीय वन निगम विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने चोरी से कटवा कर बेंच दिये हैं और किलियर फैलिंग करा दिया है जिससे विभाग को करोड़ों रुपये की हानि हुई है? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण की जांच विजिलेंस द्वारा कराकर दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को दण्डित करेंगे?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

गोला नदी से लगे हल्द्वानी वन प्रभाग तथा तराई पूर्वी वन प्रभाग के वनों में वन निगम व विभाग के अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा कोई अवैध पातन नहीं किया गया है तथा जो अवैध कटान हुआ भी है वह वन अपराधों में लिप्त असामाजिक तत्वों द्वारा किया जाता है, जिनके विरुद्ध विभाग द्वारा समय-समय पर कानूनी कार्यवाही की जाती है।

जनपद नैनीताल में हल्द्वानी के वनों में अवैध लकड़ी कटान के बन्दोबस्त

84—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हल्द्वानी जिला नैनीताल में वनों में बसने वाले किसानों को उनके हकूक मान कर घन फुट के हिसाब से मकान बनाने, अलाओं

इत्यादि के लिए सरकार द्वारा निःशुल्क वनों से जो लकड़ी दी जा रही है उसकी आड़ में लाखों रुपये की लकड़ी चोरी की जा रही है जिससे वन निगम को भारी हानि हो रही है? यदि हां, तो इस चोरी को रोकने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है? क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि वन निगम के अतिरिक्त कोई वनों को न काट सके तथा किसानों को भी वन निगम डिपो से घिरा हुआ माल नोमिनल कास्ट लेकर दिया जाया करें?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

वन बन्दोबस्त में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार विभिन्न ग्रामों के ग्रामवासी काश्तकारों को वनों से जो हक-हकूकी लकड़ी वन बन्दोबस्त में निर्दिष्ट सीमा तक निःशुल्क दी जाती है उसकी आड़ में हल्द्वानी के समीपवर्ती वनों से लकड़ी की चोरी का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है और न ही वन निगम के अधिकारियों से इस प्रसंग में कोई शिकायत प्राप्त हुई है। अतएव इस परिपेक्ष्य में वन निगम को हानि होने का प्रश्न नहीं उठता है।

आरक्षित वनों से वन निगम के अतिरिक्त केवल हक-हकूक में ग्रामवासी काश्तकारों को दिए गए वृक्षों को ही काटने की अनुमति दी जाती है तथा ग्रामवासियों को हक-हकूक के रूप में दी जाने वाली लकड़ी देते समय कटान एवं निकासी के दौरान वन विभाग द्वारा पूर्ण सर्तकता, नियंत्रण एवं सख्त निगरानी रखी जाती है। वनों में ठेकेदारी प्रथा समाप्त होने एवं विदोहन का कार्य अब वन निगम द्वारा किए जाने को देखते हुए तथा जन साधारण का प्रवेश तदनुसार अब वनों में समाप्त करने के उद्देश्य से हक-हकूक की लकड़ी ग्रामवासियों को वन निगम के डिपोज से दिलाये जाने के संबंध में शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

वन विभाग मुरादाबाद द्वारा बसन्तपुर रामराय में वन मनोरंजन केन्द्र की स्थापना एवं निर्माण कार्य

85–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग मुरादाबाद द्वारा बसन्तपुर राम राम में वन मनोरंजन केन्द्र की स्थापना किस वर्ष में की गयी है तथा उस पर अनुमानित लागत कितनी आयी है? इसके रख रखाव पर प्रत्येक वर्ष कितना व्यय किया जा रहा है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

वन विभाग मुरादाबाद द्वारा बसन्तपुर राम राम में वन मनोरंजन केन्द्र की स्थापना का कार्य वर्ष 1983-84 में प्रारम्भ किया गया और उस पर नवम्बर, 1987 तक 2,70,404 रुपये का व्यय किया जा चुका है।

चूंकि निर्माण कार्य प्रगति पर है, अतः वर्तमान में इसके रख रखाव पर व्यय का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के अंतर्गत विकेन्द्रित जिला योजना में वन विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्यों एवं आवंटित धन का विवरण

86–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद की विकेन्द्रित जिला योजना में वन विभाग द्वारा जो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें

प्रस्तावित लक्ष्य के विपरीत वृक्षारोपण ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन प्रजातियों का वृक्षारोपण (पौध उगाने) शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी के लिये सातवीं पंच वर्षीय योजना के प्रथम द्वितीय तथा चालू वर्ष में कुल कितना-कितना धन प्राप्त हुआ है तथा कहां-कहां क्या-क्या कार्य कराये जा चुके हैं व करायें जा रहे हैं ? कराये गये कार्यों का निरीक्षण किस आधार पर कराया जा रहा है एवं जन-प्रतिनिधियों का इस में कितना योगदान है ? क्या विस्तृत जानकारी सदन की पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जनपद मुरादाबाद के अंतर्गत विकेन्द्रित जिला योजना में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के संबंध में चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं तथा उनके लिये सातवीं पंच वर्षीय योजना के प्रथम, द्वितीय तथा चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि का विवरण संलग्नक-1 में है ।

उल्लिखित योजनाओं के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नवत् है:–

1–अग्रिम मिट्टी खुदान कार्य

2–वृक्षारोपण कार्य

3–पौध उद्यान कार्य

4–पुराने वृक्षारोपणों का रख-रखाव

पार्क का निर्माण

5–वन पार्कों में डियर–

बसन्तपुर रामराय डियर पार्क का निर्माण (आंशिक)

उपरोक्त समस्त कार्य निम्नलिखित क्षेत्रों पर कराये जा चुके हैं व कराये जा रहे हैं:–

1–वन ब्लाक

2–सड़क के किनारे

3–नहर के किनारे

4–रेलवे लाइन के किनारे

5–गांव समाज की भूमि

कार्यों के क्षेत्र की सूची संलग्नक-2 में है ।

वन विभाग द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण विभागीय अधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किया जाता है । जन प्रतिनिधियों को मण्डलीय व जिला स्तर की बैठकों में उन्हें कराये गये कार्यों की विस्तृत रूप से जानकारी दी जाती है एवं उनके द्वारा दिये गये सुझावों को भी कार्यान्वित किये जाने हेतु यथासम्भव पूरा प्रयास किया जाता है। अवसर मिलने पर जन प्रतिनिधियों द्वारा कार्यों का निरीक्षण भी किया जाता है। जनपद स्तर पर उक्त योजनाओं पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति में भी जन प्रतिनिधियों का योगदान रहता है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 108-113 पर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद फैजाबाद में बाई पास मार्ग की निर्माण की स्वीकृति एवं निर्माण कार्य

87—श्री मित्रसेन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद में कोई बाई पास मार्ग निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का शिलान्यास कब-कब किन-किन केन्द्रीय मंत्रियों ने किया ? उक्त मार्ग की निर्माण स्वीकृति कब प्राप्त हुयी तथा अब तक की प्रगति रिपोर्ट क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

प्रश्नगत मार्ग का शिलान्यास दिनांक 24-11-79 को श्री जनेश्वर मिश्र, तत्कालीन मा0 राज्य मंत्री, पोत एवं परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार तथा दिनांक 13-9-86 को श्रीमती मोहसिना किदवई, मा0 मंत्री, परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के कर कमलों द्वारा किया गया ।

उक्त मार्ग के मिट्टी के कार्य एवं पुलिया निर्माण की स्वीकृति परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार से 12-9-86 को प्राप्त हुई थी । अब तक 1.8 कि0 मी0 की लम्बाई में मिट्टी का कार्य पूर्ण हो चुका है ।

श्री रवीन्द्र कुमार मिश्र कम्पनी कमाण्डर, होमगार्ड, बांदा के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कार्यवाही

88—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का संलग्न पत्र बांदा जनपद के कुछ होमगार्डों का शोषण सम्बन्धी कम्पनी कमान्डर श्री रवीन्द्र कुमार मिश्र द्वारा किये जाने के संबंध में दिनांक 13 नवम्बर, 1986 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या सलंग्न पत्र में लिखित गम्भीर आरोपों की जांच जनपद के बाहर के किसी उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा करायी जायेगी ताकि बांदा जनपद में होमगार्ड का शोषण रोका जा सके ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

आरोपों की जांच मण्डलीय कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स झांसी से कराई जा चुकी है । जांच में दोषी पाये जाने पर श्री रवीन्द्र कुमार मिश्र, अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर, होमगार्ड कम्पनी, नरैनी, जनपद बांदा को होमगार्ड्स संगठन से निष्कासित कर दिया गया है ।

जिला गन्ना अधिकारी मुजफ्फरनगर के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

89—श्री राज किशोर सिंह—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति की प्रक्रिया जिला गन्ना अधिकारी मुजफ्फरनगर द्वारा नियमों की अवहेलना करने तथा छोटे किसानों के अहित में नीति अपनाने के संबंध में श्री धर्मबीर मंत्री मुजफ्फरनगर जिला किसान सभा, 578 फिन्फाना रोड शामली मुजफ्फरनगर का गन्ना आयुक्त उ0 प्र0 लखनऊ को सम्बोधित पत्र दिनांक 31-1-87 की प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 11-2-87 को भेजी गयी प्रतिलिपि शासन को प्राप्त हुयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । सम्बन्धित प्रकरण पर उप गन्ना, आयुक्त, मेरठ की जांच करने के निर्देश दिये गये हैं । जांच आख्या प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

जिला कारागार कानपुर के दो सहायक जेलरों पर आरोप एवं जेल में प्रवेश पर रोक

90—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कारागार कानपुर के दो सहायक जेलरों को दिनांक 6-6-87 को जेल में प्रवेश पर रोक लगाई गयी थी ? यदि हां, तो क्यों और किसके आदेश से ? क्या उन पर लगाये गये आरोप सिद्ध पाये गये ? यदि हां, तो उन्हें पुनः दिनांक 18-6-87 को ड्यूटी पर क्यों लिया गया ? यदि नहीं, तो अभियोग लगाने वाले अधिकारी को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

प्रशासनिक दृष्टिकोण से अधीक्षक जिला कारागार, कानपुर के आदेशों से इन सहायक जेलरों के प्रवेश पर रोक लगाई गयी थी । जी हां । परन्तु आरोप इतने गम्भीर नहीं थे कि उन्हें ड्यूटी पर न लिया जाता तथापि उन्हें प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गिरधर गोपाल श्रीवास्तव, तत्कालीन निबंधक, महानिरीक्षक के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

91—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन निबंधक महानिरीक्षक

(श्री गिरधर गोपाल श्रीवास्तव) के विरुद्ध कितने शिकायती पत्र शासन में प्राप्त हुये हैं व उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या श्री श्रीवास्तव के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान से भी जांच लम्बित है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर द्वारा प्रदेश के कतिपय जनपदों में अन्वेषण कार्य तथा उनके कर्मचारियों का वेतनमान

92–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर प्रदेश में किन-किन जनपदों में भूमिगत जल भंडारों की खोज का कार्य कर रहा है एवं विभाग में कितने सिविल एवं यांत्रिक अभियन्ता कार्य कर रहे हैं ? क्या यह सही है कि इसमें कार्यरत वैज्ञानिक अभियन्ता एवं कर्मचारियों को केन्द्र सरकार का वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इस वेतन संबंधी दोहरी नीति को समाप्त करने पर शासन विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा–

रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित भू-भौतिकी अन्वेषण खण्ड द्वारा प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भूमिगत जल की खोज का कार्य आधुनिक सुदूर संवेदन तकनीक से किया जा रहा है । अभी तक इस सेंटर द्वारा बुन्देलखण्ड मंडल के पांच जनपदों एवं आगरा तथा मथुरा जनपदों के क्षार ग्रसित क्षेत्रों में स्थलों का चयन किया जा रहा है । इस सेन्टर में, जो शासन द्वारा पोषित है विशिष्ट वैज्ञानिक स्वशासी पंजीकृत संस्था है, कोई भी सिविल एवं यांत्रिक अभियंता कार्य नहीं कर रहे हैं ।

यह सही नहीं है कि सेन्टर के वैज्ञानिक अभियंता एवं कर्मचारियों को केन्द्र सरकार का वेतनमान दिया जा रहा है । केवल वैज्ञानिक एवं टैक्नोलोजिस्ट को ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन/भारतीय अंतरिक्ष विभाग के अनुरूप वेतनमान दिया जा रहा है । बाकी समस्त कर्मचारियों को राज्य सरकार के वेतनमान दिए जा रहे हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री सलीम शेरवानी सरोजनी नायडू रोड इलाहाबाद के विरुद्ध पेड़ों के कटान के संबंध में कथित शिकायती पत्र

93–श्री हर्ष वर्धन–

क्या मुख्य मंत्री को श्री हर नारायण मिश्र सरकुलर रोड इलाहाबाद द्वारा 24 फरवरी 1986 को प्रेषित पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ श्री शलीम शेरवानी के विरुद्ध वृक्षारोपण के दौरान लगाये गये पेड़ों को कटवाने के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र के तथ्य क्या हैं एवं उन पर क्या कार्यवाही हुई है ? कार्यवाही में अत्यधिक विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

शिकायती पत्र के अनुसार सरोजनी नायडू रोड़ इलाहाबाद पर श्री सलीम शेरवानी द्वारा निर्मित होटल प्रसीडेन्सी के सामने की सड़क पटरी के वृक्षों के अवैध कटान की शिकायत की गयी थी ।

शिकायत की जांच की गयी और सड़क पटरी पर किसी वृक्ष का अवैध कटान सत्य नहीं पाया गया ।

जांच करने पर वृक्षों की अवैध कटान की शिकायत सही नहीं पायी गयी अतः इस पर किसी प्रकार की कार्यवाही करने अथवा इसमें विलम्ब होने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

बुन्देलखण्ड के जिलों के सूचना कार्यालयों में रिक्त पदों की चयन प्रक्रिया

94–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुन्देलखण्ड के किस-किस जिले के सूचना कार्यालय में कब-कब से कौन-कौन सा पद रिक्त पड़ा है और इनकी पूर्ति कब तक हो जायेगी ?

श्रीमती दीपा–

बुन्देलखण्ड के जनपद झांसी में कोई पद रिक्त नहीं है ।

जनपद जालौन तथा ललितपुर में जिला सूचना अधिकारी का पद क्रमशः दिनांक 1-12-84 व 11-9-80 से रिक्त है । इन पदों पर चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा

आयोग को भेजा गया है । आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होते ही नियुक्ति कर दी जायेगी ।

जनपद हमीरपुर में सहायक सूचना अधिकारी का पद दिनांक 18-8-87 से रिक्त है और इस पद पर चयन विचाराधीन है ।

जनपद हमीरपुर के तहसील कार्यालय महोबा में अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी का पद अगस्त 1983 से रिक्त है । अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी के पद पर नियुक्ति लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर की जाती है । लोक सेवा आयोग को इस पद पर चयन हेतु लिखा गया है ।

जनपद बांदा में सहायक सूचना अधिकारी का पद दिनांक 8-7-87 से रिक्त है इस पद पर नियुक्ति का प्रश्न विचाराधीन है । जनपद बांदा के तहसील सूचना कार्यालय कर्बी में अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी का पद वर्ष 1981 से रिक्त है । पद पर नियुक्ति हेतु चयन लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाना है जिन्हें लिखा गया है । तहसील सूचना कार्यालय कर्बी में मददगार के पद पर नियुक्ति कर्मचारी की पदोन्नति हो जाने के कारण पद रिक्त है । इस पद पर नियुक्ति शीघ्र कर दी जायेगी ।

उत्तर प्रदेश वन विभाग में वन दरोगाओं की पदोन्नति

95–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश वन विभाग में वानिकी योजना के अंतर्गत हल्द्वानी सहित वन दरोगाओं के प्रशिक्षण हेतु 6 केन्द्र खोले गये हैं ? क्या शासनादेश संख्या 2739/एक्स0 आई0 वी0-ए 475/52 दिनांक 6 फरवरी 1971 के द्वारा वन दरोगा केन्द्रों पर प्रथम स्थान प्राप्त वन दरोगाओं की पदोन्नति उपराजिक पद पर की जाती है ? यदि हां, तो कानपुर प्रशिक्षण केन्द्र से 1979 से लेकर 1984 तक प्रथम स्थान प्राप्त कितने वन दरोगाओं की पदोन्नति उपराजिक पद पर की गयी है ? क्या यह सही है कि अन्य केन्द्रों के प्रशिक्षार्थियों की पदोन्नति नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

जी हां ।

यह केन्द्र दिनांक 1-12-1981 से आरम्भ हुआ । इस केन्द्र से वर्ष 1981 से 1984 तक चार वर्षों में प्रथम स्थान प्राप्त वन दरोगाओं में से केवल वर्ष 1981-82 में प्रथम स्थान प्राप्त एक वन दरोगा की पदोन्नति की गयी ।

जी हां ।

वर्ष 1971 में उपरोक्त शासनादेश जारी होने के समय केवल एक वनविद प्रशिक्षण केन्द्र हल्द्वानी में स्थित था । वर्ष 1981 के बाद सामाजिक वानिकी के 5 वनविद प्रशिक्षण केन्द्र और स्थापित हुए। अब अन्य सभी केन्द्रों में उक्त शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की कार्यवाही की जा रही है ।

भारत पाक सीमा पर शहीद स्व0 हवलदार चन्द्रदेव यादव की स्मृति में वाराणसी में मार्ग निर्माण की मांग

96—श्री राजित प्रसाद यादव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये विधान सभा के प्रथम सत्र 1987 के प्रथम मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 130 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि यदि इस मार्ग का निर्माण न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित प्राथमिकता में न आने के कारण कराना सम्भव नहीं है तो यह नीति उस समय भी थी, जब भारतीय सेवा में उत्कृष्ट कार्य करते हुये भारत तथा पाकिस्तान सीमा पर शहीद हुए स्व0 हवलदार चन्द्र देव यादव के सम्मान में उक्त मार्ग का निर्माण कराने की अपेक्षा की गयी थी ? यदि नहीं, तो उस समय मार्ग का निर्माण न कराने के लिये कौन लोग जिम्मेदार हैं और इन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

प्रश्नगत मार्ग से सम्बन्धित ग्राम मसौनी, जिसकी आबादी 1971 की जनगणना के आधार पर 762 है, फिलहाल न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम हेतु निर्धारित वर्ष 1990 तक के लक्ष्य के अंतर्गत नहीं आता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला वाराणसी के चौबेपुर से मंगारी मार्ग को पक्का कराया जाना

97—श्री राजित प्रसाद यादव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा जनपद वाराणसी के चौबेपुर से मंगारी मार्ग को पक्का निर्माण कराने के संबंध में सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्रेषित पत्र पर सचिव द्वारा विशेष सचिव को भेजे गये पत्रांक 5410 दिनांक 23-5-85 के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या उक्त मार्ग को पक्का कराने में खर्च होने वाली सम्भावित धनराशि को उपलब्ध कराने के संबंध में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, सा0 नि0 वि0 वाराणसी द्वारा शासन में कोई प्रस्ताव भेजा गया है ? यदि हां, तो अभी तक उक्त धनराशि उपलब्ध न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शासन को प्राप्त उक्त पत्र के सन्दर्भ में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निदेश दे दिया गया था ।

जी हां,

अभी तक उक्त धनराशि उपलब्ध न कराये जाने का कारण प्रदेश की सीमित वित्तीय संसाधनों की विवशता है ।

जिला लखनऊ के बी0 के0 टी0 बाबागंज, फैजुलगंज थेला एवं चकरपुर रेथां मार्गों पर व्यय का विवरण

98—श्री भगौती सिंह—

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के बी0 के0 टी0 बाबागंज तथा फैजुलगंज थेला एवं चकरपुर रेथां मार्गों पर गत 85-86 की बरसात में हुए सड़कों के कटाव या दल-दल को भरने और पुनः यातायात चालू करने के लिए कितने श्रमिकों से कार्य लिया गया ? उन्होंने किस अवधि से किस अवधि तक कार्य किया एवं उनको कब और क्या मजदूरी दी गयी एवं उक्त सड़कों पर कुल दैवी आपदा के अन्तर्गत मानसून से सड़कों की क्षति के एस0 आर0 एम0 डी0 इमिडियेट मद के अन्तर्गत अलग-अलग कितना खर्च हुआ ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 114-115 पर)

श्री मनोहर उर्फ मोहन चन्द्र पन्त, नैनीताल द्वारा मोटर मार्ग निर्माण से बंद हुई सिंचाई व्यवस्था के एवज में मुआवजे की मांग

99—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मनोहर उर्फ मोहन चन्द्र पन्त ग्राम तल्ला निगलाठ कैंची पट्टी पाडली तहसील व जिला नैनीताल की कैंची हरतफा मोटर मार्ग निर्माण से मलवे के कारण 3 साल तक सिंचाई की गूल बन्द होने के कारण जमीन बंजर पड़ी थी ? जिसके संबंध में श्री पन्त को एक फसल का एवं फलदार पौधों की क्षति तथा

गूल से मलवा हटाने का मुआवजा दिया गया और शेष मुआवजे के लिए अधीक्षण अभियन्ता 22वां वृत्त सा0 नि0 वि0 नैनीताल ने अपने पत्रांक 21050/3 एल ए/22/82 दिनांक 25-10-82 तथा स्मृति पत्रांक–480/3 एल ए/22/85, दिनांक 15-3-85 स्मृति पत्रांक 3279/3 एल ए/22/85, दिनांक 1-6-85 तथा स्मृति पत्रांक 2457/3 एल ए/दिनांक 26 जून, 1985 को अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड सा0 नि0 वि0 नैनीताल को लिखा था? यदि हां, तो श्री पन्त को 3 वर्ष फसलों का कितना मुआवजा देय होता है कितना मुआवजा भुगतान हो चुका है और कितना मुआवजा शेष भुगतान करने के लिए अधीक्षण अभियन्ता 22वां वृत्त सा0 नि0 वि0 नैनीताल ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों से प्रस्ताव मांगा था ? इस पूर्ण विवरण तथा श्री पन्त का शेष मुआवजा भुगतान करने में अब तक हुए विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए क्या सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड अतरौलिया में चीनी मिल लगाने की मांग

100–श्री बलराम यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 78/79 तथा 79/80 में विकास खण्ड अतरौलिया जनपद आजमगढ़ में चीनी मिल लगाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन रहा है ? यदि हां, तो अब तक चीनी मिल न लगाने का क्या कारण है ? क्या गन्ना बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण सरकार पुन: मिल लगाने हेतु विचार करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

वर्तमान में चीनी मिल स्थापना हेतु भारत सरकार की जो गाइड लाइन्स हैं उसके अनुसार 2500 टी0 सी0 डी0 से कम क्षमता की चीनी मिल के लिए नया लाइसेन्स स्वीकृत नहीं होगा । चूंकि उक्त क्षमता की चीनी मिल के लिए उस क्षेत्र में गन्ना उपलब्ध नहीं है अत: नयी चीनी मिल की स्थापना का कोई औचित्य नहीं है ।

जनपद सहारनपुर के पठेत नानौली मार्ग पर बूढ़ी यमुना नदी एवं बुड्ढाखड़ा-खेड़ा मवात मार्ग पर मस्करा राव नदी पर पुल बनाने की स्वीकृति एवं निर्माण कार्य

101–श्री राम शरण दास–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें माह जून, 1986 के प्रथम सप्ताह में जनपद सहारनपुर के सरसावा स्थान पर किसान मजदूर सम्मेलन में आश्वासन दिया था कि उस क्षेत्र में बहने वाली बूढ़ी जमुना तथा मसखरा दो प्रमुख नदियों पर 30 लाख व 45 लाख की लागत की पुल बनाये जायेंगे ? यदि हां, तो 31 अगस्त 87 तक उक्त कार्य में क्या प्रगति है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद सहारनपुर में पठेड-नानौली मार्ग पर बूढ़ी यमुना नदी एवं बुड्ढाखेड़ा-खेड़ा मवात मार्ग पर मस्करा राव नदी पर पुल के निर्माण की स्वीकृति शासनादेश संख्या 4853ई/23–सा0नि0अनु0-11-2 (7) ई/83, दिनांक 20-8-87 द्वारा क्रमशः 47.64 लाख रुपये तथा 90.80 लाख रुपए की लागत पर प्रदान की गयी है।

2–उपरोक्त सेतुओं का निर्माण कार्य स्थल चयन आदि संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो जाने के पश्चात् सेतु निगम द्वारा किया जायेगा।

यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0 इकाई अमरोहा के महाप्रबन्धक श्री सहदेव सिंह के विरुद्ध कथित शिकायत

102–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि0 13-8-85 को यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0 इकाई अमरोहा के महाप्रबंधक श्री सहदेव सिंह द्वारा 8 वैगन चीनी एक्साइज गेट पास रूल्स 52(ए) का उल्लंघन करते हुए निकाल ली गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि श्री इन्द्रजीत सिंह राजपूत सेन्ट्रल इक्साइज इन्सपेक्टर द्वारा इस संबंध में महाप्रबन्धक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गयी थी ? यदि हां, तो वह कार्यवाही क्या थी और कानून का उल्लंघन करने वाले उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उपरोक्त घोटाले की जांच अधिकारियों द्वारा कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

सेन्ट्रल एक्साइज इन्सपेक्टर ने बिना उचित गेट पास के और बिना एक्साइज ड्यूटी भुगतान किए फैक्ट्री से चीनी निकालने के आरोप लगाते हुए एक वाद सेन्ट्रल एक्साइज रूल्स के उल्लंघन का डिप्टी कलेक्टर (टैक-11) सेन्ट्रल एक्साइज मेरठ के समक्ष अमरोहा इकाई के विरुद्ध दायर किया था। सक्षम अधिकारी ने मामले को सही न पाकर उसे समाप्त कर दिया और केवल गेट पास जारी करने के संबंध में गेट पास "परेषिती (कन्साइनी) के अनुसार" न बनाकर "ट्रक के अनुसार" बनाने की कमी को तकनीकी त्रुटि मानकर उसे माफ कर दिया।

उक्त वाद में निर्णय के आधार पर किसी अग्रिम कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0 यूनिट अमरोहा पर गन्ना विकास परिषद् का बकाया

103–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0 इकाई अमरोहा पर वर्ष 1979-80 से वर्ष 1986-87 तक कितनी धनराशि किस कार्यों के योगदान की गन्ना विकास परिषद्, अमरोहा की बकाया है ? यदि हां, तो क्या वर्षवार धनराशि का विवरण क्या है तथा धनराशि के बकाया रहने के क्या कारण हैं ? उक्त धनराशि कब तक परिषद् को मय सूद के अदा कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, यूनिट अमरोहा पर निम्नलिखित धनराशि विकास कार्यों के योगदान की गन्ना विकास परिषद्, अमरोहा की बकाया है :—

वर्ष	बकाया धनराशि (रु0 में)
1980–81	5,701.66
1981–82	42,765.27
1983–84	10,864.35
1986–87	20,822.00
योग ..	80,153.28

उक्त वर्षों में मिल की वित्तीय स्थिति अच्छी न होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका । यह भुगतान मिल की वित्तीय स्थिति ठीक न होने पर दिया जायेगा ।

चूंकि विकास कार्यों हेतु चीनी मिल अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप योगदान देती है अतः योगदान पर ब्याज देय नहीं होता ।

यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन अमरोहा पर कमीशन का कथित बकाया

104–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि कुन्दन शुगर फैक्ट्री अमरोहा रिसीवर शिप से कारपोरेशन में परिवर्तित होने के बाद से वर्ष 1985-86 तक की अवधि में कुछ धनराशि गन्ना किसानों की तथा कुछ धनराशि केन सोसाइटी के कमीशन का यू0 पी0 स्टेट कारपोरेशन अमरोहा पर देय है ? यदि हां, तो किस मद की तथा कितनी-कितनी और यह धनराशि पात्र विभागों व व्यक्तियों को अब तक अदा न करने का क्या औचित्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

कुन्दन शुगर फैक्ट्री अमरोहा रिसीवरशिप से कारपोरेशन में परिवर्तित होने के बाद से वर्ष 1985-86 तक की अवधि का यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन अमरोहा पर दिनांक 30-11-87 की स्थिति के अनुसार किसानों के गन्ना मूल्य तथा केन सोसाइटी के कमीशन की कोई धनराशि बकाया नहीं है।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के कतिपय मार्गों पर सोलिंग एवं पेन्टिंग कराने की मांग

105—श्री इकबाल अहमद—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में कुरसठ-कछौना मार्ग पर मिट्टी का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया ? यदि हां, तो वर्ष 1986-87 में खड़ंजा बिछाने के उपरान्त इसकी सोलिंग और पेन्टिंग अब तक न कराये जाने का क्या कारण है ? उक्त मार्ग कब तक पेन्ट करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्नगत मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर व आजमगढ़ को जोड़ने वाली बेसो नदी पर पुल बनाने का प्रस्ताव

106—श्री दीपचन्द्र सोनकर—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर व आजमगढ़ को जोड़ने वाली बेसो नदी ग्राम सोंगर मादों को जोड़ती है ? क्या सरकार उस पर पुल बनवाने के लिए शीघ्र आदेश प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुये फिलहाल प्रस्तावित पुल बनाया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद गोरखपुर के नई बाजार से इटौवा घाट गजाई कोल कजपुर मार्ग को पक्का बनाने की मांग

107—श्रीमती शारदा देवी—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के नई बाजार से इटौवा घाट गजाई कोल कजपुर मार्ग 14 कि0मी0 व झगहां चरही बोहाबार मार्ग 10 कि0मी0 पक्का कराने हेतु प्रश्नकर्ता ने दिनांक 12-11-86 को उन्हें लिखा था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां,

प्रस्तावित मार्ग जिला सेक्टर के अन्तर्गत आते हैं, जिन पर जिला नियोजन एवम् अनुश्रवण समिति द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित है । अतः इसे सम्बन्धित जिला अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के हिलौली लडवा मार्ग का निर्माण कार्य

108—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जनपद के हिलौली लडवा 5 कि0 मी0 मार्ग के निर्माण में इस्तेमाल पत्थर व इस्तेमाल करने की तकनीकी दोनों ही त्रुटिपूर्ण रहे हैं ? कुटाई ठीक से नहीं हुई है तथा सड़क अभी तक पैदल चलने लायक भी नहीं है ? यदि हां, तो सड़क को आवागमन लायक बनाने के क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

कुटाई ठीक है।

मार्ग यातायात के लिये पूर्णतया उपयुक्त है एवं इस पर सब प्रकार का यातायात चालू है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सार्व0 निर्माण विभाग के भण्डारों में शासनादेशों के अनुसार भण्डार प्रभारी की व्यवस्था

109—श्री राम नरेश यादव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक विभाग के स्टोर्स कीपर को स्टोर्स के कस्टोडियन नियुक्त करने के संबंध में मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित प्रश्न कर्ता का पत्र संख्या 249/27 दिनांक 13 अप्रैल 87 व 25 फरवरी 87 प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया एवं उन्हें स्टोर्स का कस्टोडियन नियुक्त करने में क्या कठिनाई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के भण्डारों में गबन आदि के अनेकों मामले प्रकाश में आने पर विचारोपरान्त कार्यहित में निर्गत शासनादेश दिनांक 14-8-81 को वापस लेना उचित नहीं पाया गया । वर्तमान व्यवस्था के अनुसार भण्डारनायकों की विभागीय भण्डारों का स्वतंत्र रूप से चार्ज न देकर उनसे भण्डार प्रभारी अवर अभियन्ता के सहायक के रूप में भण्डारों पर ही कार्य लिया जा रहा है। यह व्यवस्था भण्डारों पर प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण के उद्देश्य से की गई है तथा इसके परिणाम स्वरूप अपेक्षित सुधार भी हुआ है ।

110—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[3रे मंगलवार के लिए स्थगित]

हरदोई जिले के रामकोट, बरमी, परसौली तथा गछरैहटा गन्ना क्रय केन्द्रों पर बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान

111—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गन्ना विकास मंत्री बतायेंगे कि शुगर कारपोरेशन यूनिट हरदोई को गन्ना

विकास समिति सीतापुर के माध्यम से जो गन्ना जिले में गन्ना क्रय केन्द्रों रामकोट, बरमी, परसौली तथा मछरहेटा से वर्ष 1977-78, 78-79, 81-82, तथा 85-86 में सप्लाई किया गया उसका कितना-कितना रुपया (केन्द्र अनुसार) अभी किसानों को मिलना शेष है ? इसे कब तक दे दिया जायेगा तथा अब तक न देने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

गन्ना विकास समिति सीतापुर के माध्यम से क्रय केन्द्र रामकोट, बरमी, परसौली तथा मछरहेटा से जो गन्ना, लक्ष्मी जी शुगर एण्ड आयल मिल हरदोई उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई, हरदोई को आपूर्ति किया गया, उसके मूल्य का वर्षवार एवं केन्द्र वार निम्नलिखित विवरण के अनुसार किसानों को भुगतान करना शेष है :–

वर्षवार अवशेष (लाख रुपए में)

क्रय केन्द्र	अधिग्रहण से पूर्व के वर्षों का			अधिग्रहण के बाद के वर्ष का
	77–78	78–79	81–82	85–86
रामकोट ..	3.44	..	..	..
बरमी ..	3.67	..	1.05	..
परसौली ..	3.64	..	1.08	..
मछरेहटा ..	..	..	0.19	..

लक्ष्मी जी शुगर एण्ड आयल मिल, हरदोई का अधिग्रहण हो चुका है अतः अधिग्रहण के पूर्व के बकायों का भुगतान उ0 प्र0 शुगर अण्डरटेकिंग (एक्वीजीशन) एक्ट, 1971 के प्राविधानों के अनुसार चीनी मिल को मिलने वाली प्रतिकर की धनराशि से विहित प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

प्रदेश में मिलगेट से भिन्न क्रय केन्द्रों पर गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों के ट्रान्सपोर्ट डिलीवरी में कटौती

112–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि चीनी मिलों को ट्रांसपोर्ट डिलवरी हेतु मात्र 50 पैसे प्रति क्विन्टल काटने का अधिकार उन काश्तकारों से है जो कि मिलगेट से भिन्न क्रय केन्द्रों पर गन्ना आपूर्ति करते हैं परन्तु एक रुपये से डेढ़ रुपया तक प्रति क्विन्टल प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा किसानों से वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

प्रदेश की चीनी मिलों के वाह्य क्रय केन्द्रों पर गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों से गेट की गन्ना मूल्य दर की अपेक्षा केवल 0.50 पैसा प्रति कुन्टल की ही कटौती की जा रही है ।

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित वादों की संख्या

113—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में कुल कितने वाद लम्बित हैं, इनमें से कितने वाद ऐसे हैं जो दस वर्ष से अधिक समय से लम्बित हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दिनांक 31 जुलाई, 1987 को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित वादों की संख्या-3,42,445 थी, जिनमें दस वर्ष से अधिक समय से लम्बित वादों की संख्या-15,481 थी।

114—श्री दीप चन्द्र सोनकर—

[3रे मंगलवार के लिए स्थगित]

गन्ना सहकारी समिति घुघली द्वारा एन0 आर0 ई0 पी0 के धन के दुरुपयोग की जांच

115—श्री जनार्दन प्रसाद आभा—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता की शिकायत पर डी0आर0 डी0 गोरखपुर ने एन0 आर0 ई0 पी0 के धन का सहकारी समिति घुघली द्वारा दुरुपयोग की शिकायत करने पर जिला गन्ना अधिकारी गत वर्ष ही जांच में गए एवं सभी आरोप सच पाए ? यदि हां, तो तत्काल दोषी गन्ना समिति घुघली के अधिकारी के विरुद्ध अब तक कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। जिला गन्ना अधिकारी की जांच में पायी गयी अनियमितताओं के आधार पर प्रश्नगत मामले में पाये गये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने का निर्णय ले लिया गया है एवं उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने हेतु उप गन्ना आयुक्त, पूर्वी क्षेत्र, गोरखपुर को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश वन निगम के गोण्डा प्रभाग के प्रभागीय बिक्री प्रबन्धक के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच

116—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा में उत्तर प्रदेश वन निगम की गोण्डा प्रभाग के प्रभागीय बिक्री प्रबन्धक के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायती पत्र पर जो प्रश्नकर्ता ने भेजा था तथा जिसकी प्राप्ति की स्वीकृति राज्य वन मंत्री द्वारा अपने पत्र संख्या 2867/वी0 आई0 पी0/दिनांक 7-7-87 द्वारा की गयी थी, पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? पत्र में मुख्य आरोप क्या थे और जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां।

उक्त पत्र में की गई शिकायतों की जांच करायी गयी। उक्त जांच के आधार पर संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक को तथ्यात्मक प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है तथा संबंधित डिपो अधिकारी को हरैया डिपो से हटा दिया गया है ।

उक्त शिकायती पत्र में मुख्यत: उत्तर प्रदेश वन निगम गण्डा द्वारा प्रकाष्ठ ढुलान में की गयी अनियमितताओं का उल्लेख किया गया था । शिकायतों की जांच महाप्रबंधक (उत्पादन) उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा करायी गयी ।

उन्नाव जिले के पुरवा मिरीकलां बनीरोड के निर्माण में व्यय की धनराशि का विवरण

117—श्री हृदय नरायन दीक्षित —

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1986-87 में उन्नाव जिले की पुरवा मिरीकलां बनी रोड के निर्माण पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है ? क्या यह सच है कि मार्ग बनी से हसनपुर तक निर्धारित मानक के अनुसार चौड़ा कम मिट्टी की भराई तथा कम मात्रा में घटिया पत्थर डालकर बनाया गया है ? क्या यह भी सही है कि हसनापुर से सहरावां और गिरीं खुर्द तक डाले गये पत्थर मार्ग अवरोध पैदा करते हैं ? यदि नहीं, तो क्या मा0 मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि पैदल भी न चलने लायक इस मार्ग पर वर्ष 85-86 व 86-87 में किस योजना के आधार पर कितनी धनराशि व्यय हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1986-87 में पुरवा-मिरीकलां बनी मार्ग पर 3.98 लाख रु0 व्यय हुआ है ।

यह मार्ग बनी से हसनापुर तक निर्धारित मानक के अनुसार 7.5 मीटर चौड़ा निर्मित है जिसमें मिट्टी की भराई की ऊंचाई अलग-अलग जगहों पर आवश्यकतानुसार की गयी है । इसमें शंकरगढ़ के पत्थर का प्रयोग दो कोट में 3.3 मीटर की चौड़ाई में कूटकर किया गया है ।

इस मार्ग के एक कि0 मी0 भाग में पत्थर के एकत्रीकरण के कारण अवरोध था जिसे कुटवा दिया गया है और अब मार्ग यातायात के लिए सुलभ है । इस मार्ग पर जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 में 11.12 लाख रु0 तथा 1986-87 में 3.98 लाख रुपया व्यय हुआ ।

श्री मोहम्मद हनफी, सहायक अभियन्ता, अकबरपुर, फैजाबाद के विरुद्ध दर्ज रिपोर्ट के सम्बन्ध में विभागीय जांच

118—श्री शेर बहादुर सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0 पी0 सुमन सांसद का पत्र दिनांक 27-7-87 जो श्री मोहम्मद हनफी, सहायक अभियन्ता, अकबरपुर फैजाबाद के विरुद्ध कोतवाली अकबरपुर में दर्ज रिपोर्ट से संबंधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त मामले में विभागीय जांच हुई है ? यदि हां, तो जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये ? जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जांच की जा रही है ।

जांच के उपरान्त ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी ।

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, फैजाबाद द्वारा जांच की जा रही है ।

जोनल आफिसर, वन निगम, मानिकपुर, बांदा के विरुद्ध अवैध शिकार में सजा पाने की विभागीय जांच

119–श्री राम सजीवन–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एक जोनल आफिसर, वन निगम, मानिकपुर (बांदा) अगस्त, 1986 में वन पशु के अवैध शिकार के आरोप में मुंसिफ मजिस्ट्रेट (कर्वी) बांदा द्वारा दण्डित किया गया था ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध विभागीय क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो अभी तक कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य –

जी नहीं ।

जोनल अधिकारी वन निगम मारकुण्डी तथा चार अन्य को दाण्डाधिकारी कर्वी (बांदा) द्वारा अवैध शिकार के अभियोजन के मुकदमें में 7-8-86 को दण्डित किया गया है किन्तु संबंधित की अपील पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश कर्वी ने उनको 2-9-86 को दोषमुक्त कर दिया । अपर जिला सत्र न्यायाधीश के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही नहीं की गयी ।

120–श्री अर्जुन सिंह यादव–

[1ले गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 150 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

121–123–श्री भगवान दीन कुशवाहा–

[2रे बुधवार में अता0 प्र0 सं0 165–167 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कार्यालय बिक्री कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश में निर्धारित समय से बाद में कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारियों के पदोन्नति का औचित्य

124–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या मुख्य मंत्री जी को जानकारी है कि कार्यालय आयुक्त बिक्री कर उ0 प्र0 के आदेश सं0 स्था-5(ण) पदोन्नति 470-735/2017, दिनांक 13-9-85 में कुछ कर्मचारियों को रु0 470-735 के वेतनमान में पदोन्नति के आदेश प्रस्तर 4 में स्पष्ट उल्लिखित है कि 28-9-84 तक नये पद पर कार्यभार ग्रहण न करने पर आदेश में उल्लिखित कर्मचारियों के लिए आदेश निरस्त कर दिया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के जिन्होंने 28-9-84 के बाद कार्यभार ग्रहण किया है, पदोन्नति दी गयी और अन्य लाभों के साथ उनके वेतन का निर्धारण भी किया गया ? यदि हां, तो क्यों और ऐसे कर्मचारियों की सूची शासन सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां परन्तु आदेश का दिनांक 13-9-84 है 13-9-85 नहीं । दिनांक 28-9-84 के बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले उन कर्मचारियों को पदोन्नति एवं वेतन-निर्धारण का लाभ दिया गया है जिन्होंने दिनांक 28-9-84 के बाद अपने मूल पद से विलम्ब से कार्य मुक्त किये जाने के कारण पदोन्नति के पद पर विलम्ब से कार्यभार ग्रहण किया है । इस प्रकार का विलम्ब उक्त आदेश का उल्लंघन नहीं है क्योंकि देर से अव-मुक्त होने में अधिकारी दोषी नहीं है । कारण ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है । सूची रखने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

उत्तर प्रदेश कारागार विभाग के डी0 आई0 जी0 के नव सृजित पदों पर प्रोन्नति

125–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 कारागार विभाग के डी0 आई0 जी0 के दो पदों का चयन विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा कर लिए जाने के बावजूद लग-भग 5 माह से नियुक्ति न किये जाने के क्या कारण हैं? क्या सुनियोजित विलम्ब को देखते हुए शासन तत्काल चयनित अधिकारियों की नियुक्ति करने का कष्ट करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

कारागार विभाग में नव-सृजित उप कारागार महानिरीक्षकों के दोनों पदों पर चयन के पश्चात् चयनित अधिकारियों की तैनाती के आदेश दिनांक 3 अक्तूबर, 1987 को जारी किए जा चुके हैं तथा उक्त अधिकारियों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

जिला जेल, कानपुर के सहायक चिकित्साधिकारी के विरुद्ध जेल के बन्दी श्री मोहन लाल को अस्पताल से हटाने व बन्दी की मृत्यु होने की जांच

126–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 6-6-87 को जिला जेल कानपुर के सहायक चिकित्साधिकारी द्वारा जेल के बन्दी मोहन लाल जिसे अधीक्षक ने बल पूर्वक अस्पताल से हटा दिया था उसकी मृत्यु तीन दिन बाद हो गयी जिसका उल्लेख जेल डाक्टर ने अपनी रिपोर्ट में किया है ? यदि हां, तो क्या अधीक्षक पर बन्दी मोहनलाल के मृत्यु के संबंध में कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

127–श्री हर्ष वर्धन–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

लखनऊ जिला तथा केन्द्रीय (आदर्श) कारागार में बन्द शिविर अपराधियों को नियम विरुद्ध मिलने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में कथित गुप्तचर जांच

128—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ जिला तथा केन्द्रीय (आदर्श) कारागार में बन्द शिविर अपराधियों को नियम विरुद्ध मिलने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में भू0 पू0 पुलिस महानिदेशक (श्री जयेन्द्र नाथ चतुर्वेदी) के कार्यकाल में उनके निर्देश पर कोई गुप्तचर जांच कराई गयी थी जिसकी रिपोर्ट विभाग को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां तो उस रिपोर्ट का सारांश क्या है तथा प्राप्त तथ्यों के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

भूतपूर्व पुलिस महानिदेशक श्री जयेन्द्र नाथ चतुर्वेदी के निर्देश पर इस प्रकार की कोई गुप्तचर जांच कराये जाने की कोई सूचना कारागार विभाग को नहीं है, और न ही कोई ऐसी जांच आख्या कारागार विभाग में प्राप्त होनी पाई जाती है ।

जिला कारागार, बांदा में अतिरिक्त बैरकों का निर्माण

129—श्री राम सजीवन—

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कारागार, बांदा के बैरकों में कितने बन्दियों को रखने की क्षमता है? पिछले 6 महीनों में अलग-अलग महीनों में कितने-कितने बन्दी रखे गये ? क्या यह सही है कि क्षमता से अधिक बन्दी रखे जाने के कारण कारागार में भोजन, पानी, आवास तथा शांति व्यवस्था की समस्यायें पैदा हुई हैं ? यदि हां, तो क्या कारागार की क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त बैरकों का निर्माण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सम्प्रति 294 बन्दियों को रखने की क्षमता है।

पिछले 6 महीनों में बन्दियों की संख्या निम्नवत् रही :—

मई, 1987 में	484
जून, 1987 में	506
जुलाई, 1987 में	516
अगस्त, 1987 में	555
सितम्बर, 1987 में	586
अक्तूबर, 1987 में	535

बन्दियों के भोजन एवं पानी की समस्या पैदा नहीं हुई किन्तु आवासीय समस्या बैरकों की वांछित कमी के कारण अवश्य पैदा हुई।

वार्षिक योजना वर्ष 1988-89 में जिला कारागार, बांदा में दो बैरकों का निर्माण प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर में गुरैनी से सोगंर मार्ग के निर्माण में व्यय हुए धन का विवरण

130—श्री दीपचन्द्र सोनकर—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में तहसील शाहगंज में गुरैनी से सोगंर मार्ग का निर्माण किस वर्ष से हो रहा है और अब तक कितना धन निर्माण में व्यय हुआ तथा कितना धन मेन्टिनेन्स में व्यय हुआ ? क्या सरकार सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण वित्तीय वर्ष 1976-77 में प्रारम्भ हुआ । 10/87 तक रु0 21.19 लाख निर्माण पर तथा रु0 1.20 लाख मेन्टिनेन्स पर व्यय हुआ है ।

विवरण उपरोक्तानुसार है ।

जिला बरेली के फरीदपुर क्षेत्र के अन्तर्गत अस्थायी निर्माण इकाई (सा0 नि0 वि0) द्वारा निर्माण में अनियमितताओं सम्बन्धी पत्र

131—श्री नत्थू लाल विकल—

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नकर्ता का दिनांक 9-9-87 का कोई पत्र उन्हें प्राप्त हुआ जिसमें जनपद बरेली के फरीदपुर क्षेत्र के अन्तर्गत अस्थाई निर्माण इकाई (सा0 नि0 वि0) बरेली द्वारा अनियमितताओं से निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड, लखनऊ में प्रबन्धक (कार्मिक) की शैक्षिक योग्यता एवं चयन

132—श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, लखनऊ में प्रबन्धक (कार्मिक) के पद पर कार्यरत व्यक्ति की शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यता क्या है ? क्या यह भी सही है कि उक्त पद हेतु बिना निर्धारित योग्यता पूरी किये ही प्रबन्धक (कार्मिक) को पिछली तिथियों में उच्च वेतनमान दिया गया? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ? क्या सरकार पूर्व तिथियों से दिये गये वेतनमान की वापसी कर दोषी अधिकारी को दण्डित करेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम के प्रबन्धक (कार्मिक) के पद पर कार्यरत अधिकारी की शैक्षिक योग्यता स्नातक है। उक्त पद तकनीकी नहीं है अतः इस पद के लिये तकनीकी योग्यता का प्रश्न नहीं है।

उक्त पद पर कार्यरत अधिकारी को देय तिथि से अनुमन्य वेतन ही दिया गया है अतः उसकी वापसी का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एस0 टी0 नाथानी का वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी पद पर प्रोन्नति

133–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, लखनऊ में कार्मिक अधिकारी के पद पर कार्यरत (श्री एस0 टी0 नथानी) को किस नियम तथा शैक्षिक योग्यता के आधार पर वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी के पद पर प्रोन्नत किया गया ? क्या सरकार गलत ढंग से की गयी प्रोन्नति को निरस्त कर दोषी अधिकारी को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री एस0 टी0 नाथानी को उनकी दीर्घ कालीन सेवा, अनुभव, वरिष्ठता एवं उत्कृष्ट कार्य के आधार पर वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी के रिक्त पद पर निदेशक मण्डल के निर्णय के अनुसार पदोन्नति प्रदान की गयी, जो नियमानुकूल थी । अतः उक्त प्रोन्नति को निरस्त कर दोषी अधिकारी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड, लखनऊ के लेखाधिकारी श्री पी0 के0 नन्दी को स्वीकृत उच्च वेतनमान की जांच

134–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, लखनऊ में लेखाधिकारी के पद पर कार्यरत श्री पी0 के0 नन्दी को किस शैक्षिक योग्यता एवं नियम के अन्तर्गत उच्च वेतनमान दिया गया ? क्या सरकार श्री नन्दी को दिये गये उच्च वेतनमान की वापसी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री पी0 के0 नन्दी को वरिष्ठता, दीर्घ अनुभव एवं कार्यकुशलता के आधार पर लेखाधिकारी के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गयी और लेखाधिकारी का उच्च वेतनमान निदेशक मण्डल के निर्णय के आधार पर दिया गया । चीनी निगम को आदेशित कर दिया गया है कि निदेशक मण्डल इस मामले पर पुनः विचार करें ।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड, लखनऊ के कार्मिक विभाग में एक ही जाति के लोगों की नियुक्ति की जांच

135–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 लखनऊ के कार्मिक विभाग में एक ही जाति विशेष के अधिकारियों/कर्मचारियों का बाहुल्य है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि वर्ग विशेष के लिए जारी शासनादेशों का समय से निस्तारण नहीं हो पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विभाग से वर्ग विशेष का बाहुल्य समाप्त करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

राज्य चीनी निगम के किसी विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति का आधार पात्रता है, जातिवाद नहीं ।

शासन द्वारा जारी किये गये आदेशों का अनुपालन समय से किया जाता है। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

गाजियाबाद में स्थित ओरियन्टल कार्बन केमिकल्स लिमिटेड कारखाने में वायु प्रदूषण की जांच

136–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद में स्थित ओरियन्टल कार्बन केमिकल्स लि0 के कारखाने से कितना कोयला ग्राम डूडाहेडा चिपयाना रोजा जलालपुर, रोजा याकूबपुर मिलक में वायु को प्रदूषित करता है ? क्या इन गांवों को इस कोयले से मुक्त किया जा सकता है ? क्या इन गांवों में 80 प्रतिशत लोग इस प्रदूषण से बुरी तरह बीमार हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जांचोपरान्त कारखाने से निकलने वाले उत्सर्जन निर्धारित मानक से कम पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता है।

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में तीन वर्ष या उससे अधिक समय से स्थानापन्न रूप में कार्यरत प्रवर वर्ग सहायकों की संख्या

137–श्री हरेन्द्र सिंह–

क्या सरकार उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत ऐसे समस्त स्थानापन्न प्रवर वर्ग सहायकों की संख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करेगी जो दिनांक 1-9-87 तक स्थानापन्न प्रवर वर्ग सहायक के रूप में 3 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उत्तर प्रदेश सचिवालय में दिनांक 1-9-1987 को तीन वर्ष या उससे अधिक समय से स्थानापन्न रूप से प्रवर वर्ग सहायक के पद पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 738 है।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत प्रवर वर्ग सहायक, अवर वर्ग सहायक, सन्दर्भदाता पदों पर स्थायीकरण

138–श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 के 1ले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 146 के सदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक, अवर वर्ग सहायक, संदर्भदाता के पद विगत 5 वर्ष या उससे अधिक अवधि से अस्थायी ही चले आ रहे हैं ? यदि हां, तो उन अस्थायी पदों के स्थायीकरण हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनायी जा रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 के पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 146 के सन्दर्भ में प्रवर वर्ग सहायक, अवर वर्ग सहायक एवं सन्दर्भदाता के क्रमशः 26, 14 तथा 6 पद पांच वर्ष की अवधि से अस्थायी हैं। पदों का स्थायीकरण एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके अनुसार परिपक्व पदों का यथानियम यथाक्रम स्थायीकरण होता रहता है। सम्बन्धित पद नियमान्तर्गत व्यवस्थाओं के अनुसार स्थायी किये जायेंगे।

श्री बिशन स्वरूप सक्सेना, सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी, उत्तर प्रदेश सचिवालय के सचिवालय में ही कार्यरत पुत्र के नाम आवास आवंटन

139–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बिशन स्वरूप, सेवा निवृत्त अनुभाग अधिकारी, उ0 प्र0 सचिवालय जो सरकारी आवास संख्या बी–68 महानगर में रह रहे हैं, के आश्रित पुत्र और पुत्री जो उ0 प्र0 सचिवालय में ही कार्यरत हैं, को उक्त आवास अभी तक क्यों नहीं आवंटित किया गया जबकि उनका पुत्र श्री ओम प्रकाश सक्सेना प्रवर वर्ग सहायक के पद पर वेतनमान 570—1100 में कार्यरत है और उक्त आवास के लिए अर्ह भी है ? क्या यह सही है कि बहुत से कर्मचारियों को जिनकी सेवा 10 वर्ष की नहीं है और उन्हें नियमों में शिथिलीकरण कर आवास आवंटित किये गये हैं ? यदि हां, तो श्री सक्सेना के मामले में नियमों को शिथिल कर आवास आवंटित किये जाने पर विचार क्यों नहीं किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत आवास श्री ओम प्रकाश सक्सेना पुत्र श्री बिशन स्वरूप को आश्रित कर्मचारी की हैसियत से नियमों को शिथिल करते हुए दिनांक 21-7-87 को आवंटित कर दिया गया है। विशेष परिस्थितियों में नियमों को शिथिल करके आवास आवंटित किये गये हैं।

आवास आवंटित हो चुका है।

बस्ती जिले की डुमरियागंज तहसील के अन्तर्गत डुमरियागंज कस्बे से राप्ती नदी सेतु पर जाने वाले बाईपास मार्ग में अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान

140–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले की डुमरियागंज तहसील के अन्तर्गत डुमरियागंज कस्बे से राप्ती नदी सेतु पर जाने वाले बाई पास मार्ग किन-किन व्यक्तियों की जमीनों से निकाली गयी और अब तक उस सड़क पर कुल कितना मुआवजा जमीन के मालिकों को दिया गया ? क्या यह सत्य है कि कुछ लोगों को मुआवजा देकर बाकी लोगों को अब तक मुआवजा नहीं दिया जा रहा है? क्या सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बस्ती जिले की डुमरियागंज तहसील के अन्तर्गत डुमरियागंज कस्बे से राप्ती नदी सेतु पर जाने वाले बाईपास मार्ग हेतु 180 लोगों की कुल 12.09 एकड़ भूमि

अर्जित की गई है जिसके लिए 26,45,278.64 रुपये का अभिनिर्णय घोषित किया गया है। इसमें से अब तक 12,95,207.87 रुपये का भुगतान भू-स्वामियों को किया जा चुका है। शेष प्रतिकर के धनराशि की व्यवस्था की जा रही है। धन की व्यवस्था होते ही अवशेष प्रतिकर का भुगतान सम्बन्धित व्यक्तियों को कर दिया जायेगा।

यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड इकाई अमरोहा के विस्तारीकरण में हुए विलम्ब की जांच

141—हाजी मोहम्मद हयात—

क्या मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0 इकाई अमरोहा का विस्तारीकरण किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त विस्तारीकरण पर अब तक कितनी धनराशि कारपोरेशन द्वारा खर्च की जा चुकी है तथा भविष्य में और कितना खर्च करने की योजना है ? क्या यह भी सही है कि उक्त इकाई वर्तमान सीजन में ट्राई की स्थिति में नहीं आ सकेगी ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है तथा विस्तारीकरण इकाई के वर्तमान सीजन में ट्राई न होने का दायित्व किस पर आता है तथा उक्त विस्तारीकरण इकाई को कारपोरेशन द्वारा दिए गए एग्रीमेन्ट के अनुसार कब तक ट्राई के लिए तैयार हो जाना चाहिए था ? क्या सरकार उक्त के संबंध में कोई उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके विस्तारीकरण में विलम्ब के कारणों का पता लगायेगी और दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह सही है कि यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0, इकाई अमरोहा का विस्तारीकरण किया जा रहा है। उक्त विस्तारीकरण पर अब तक लगभग रु0 904 लाख की धनराशि कारपोरेशन द्वारा खर्च की जा चुकी है तथा भविष्य में लगभग रु0 186.00 लाख की धनराशि खर्च करने की योजना है।

उक्त इकाई का वर्तमान सीजन 1987-88 में ही ट्रायल किया जायगा।

जहां तक विस्तारीकरण में विलम्ब के कारणों का संबंध है कारपोरेशन द्वारा किये गये एग्रीमेन्ट के अनुसार यह विस्तारीकरण नवम्बर, 1985 तक ट्राई के लिए तैयार हो जाना चाहिए था। विस्तारीकरण के कार्य में वित्तीय संस्थाओं से ऋण देर से मिलने, मशीनरी लगाने की स्वीकृति भारत सरकार से देर से मिलने तथा मशीनरी सप्लायर्स की कार्यशालाओं में अस्वाभाविक अवरोध, कुछ विशिष्ट नापों के लोहे एवं इस्पात के एंगिल्स तथा चैनल्स की एक लम्बेकाल तक अनुपलब्धता से सिविल कार्यों में विलम्ब एवं मशीन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति एवं स्थापना में देरी के कारण विलम्ब हुआ। विस्तारीकरण का कुछ अंश समय से पूरा करके वर्ष 1985-86 से ही चलाया जा रहा है। शेष विस्तारीकरण का कार्य भी निकट भविष्य में पूरा हो जायेगा। इस विस्तारीकरण में हुये विलम्ब के लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है, अतः जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है।

यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड इकाई अमरोहा में कारों एवं हाई पेड चालकों की संख्या

142–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0 इकाई अमरोहा में कितनी कारें हैं तथा कितने हाई पेड चालक हैं तथा प्रति माह प्रति चालक क्या कार्य खर्च आता है ? वर्ष 1984-85 तथा 85-86 में 30-9-86 तक चालकों तथा कारों पर कितना-कितना खर्च आया तथा किन-किन अधिकारियों के द्वारा वह कारें प्रयोग में लायी गयीं ? क्या यह सही है कि कारों से अधिक हाईपेड चालकों की संख्या है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0, इकाई अमरोहा में दो कारें तथा दो जीपें हैं, तथा पांच चालक हैं। प्रतिमाह प्रति चालक का कार्य खर्च औसतन रुपये 1500/- आता है। वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 में दिनांक 30-9-86 तक कार चालकों तथा उक्त वाहनों पर क्रमशः 1,76,521 तथा 2,65,579 रुपये खर्च आया है। फैक्ट्री के उपरोक्त वाहन फैक्ट्री के समस्त अधिकारियों द्वारा फैक्ट्री से संबंधित कार्यों हेतु प्रयोग में लाये गये। कारों तथा जीपों की संख्या से एक चालक अधिक है। वह अन्य चार चालकों को उनके साप्ताहिक अवकाश के दिनों में कार्य मुक्त करता है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों का नियमित पद पर नियुक्ति न किया जाना

143–श्री राज किशोर सिंह–

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सा0 नि0 वि0 में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति मृतक कर्मचारी नियुक्ति सेवा नियमावली, 1974 जो संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत शासनादेश सं0 6/12/1973-नियुक्ति-4 दिनांक 21-12-1973, सं0 6/12/1973-नियुक्ति-4 दिनांक 7-10-1974 व तत्संबंधी अ0 शा0 सं0 6/12/1973-कार्मिक अनु0 (2) के प्राविधान के अनुसार नियमित पद पर न करके भारी पैमाने पर कार्य प्रभारित अधिष्ठान या मस्टर रोल पर किया गया है और वर्तमान में भी यही प्रक्रिया अपनायी जा रही है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सार्वजनिक निर्माण विभाग में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति शासनादेश संख्या 6/12/1973-नियुक्ति-4, दिनांक 21-12-73 तथा नियुक्ति अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 6-12/1973-नियुक्ति-4, दिनांक 7-10-74 द्वारा जारी उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के के अनुसार उपयुक्त पद पर की जाती है। नियमावली में ऐसे कोई निर्देश नहीं कि नियुक्ति नियमित पद पर ही की जाय।

दुखी परिवार को तत्काल राहत दिये जाने के उद्देश्य से उनकी नियुक्ति उपलब्ध उपयुक्त पद पर कार्य प्रभारित अधिष्ठान में या मस्टर रोल पर की जाती है। नियमित पद उपलब्ध होने पर उनकी नियुक्ति शैक्षिक योग्यता एवं उक्त पद के लिये विभाग में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार किये जाने पर यथासमय विचार किया जाता है।

प्रमुख अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश का मृतकों के आश्रितों को कार्य प्रभारित अधिष्ठान में नियुक्ति सम्बन्धी आदेश

144–श्री राज किशोर सिंह–

क्या सा0 नि0 मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता, उ0 प्र0 सा0 नि0 वि0, लखनऊ के पत्रांक 17137 व्यग/723 व्यग/82, दिनांक 10-8-1982 द्वारा मुख्य अभियन्ताओं/अधीक्षण अभियन्ताओं/अधिशासी अभियन्ताओं/कार्य अधीक्षकों इत्यादि को निर्देशित किया गया है कि मृतकों के आश्रितों की नियुक्ति नियमित अधिष्ठान में न कर कार्य प्रभारित अधिष्ठान में किया जाय जो शासन के उपरोक्त नियमावली के विपरीत है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रमुख अभियन्ता के उक्त आदेश को निरस्त करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत नियमावली में मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को सरकारी सेवा में "उपयुक्त सेवायोजन" दिये जाने की व्यवस्था है तथा नियमित अधिष्ठान में ही नियुक्त किये जाने के कोई निर्देश नहीं हैं।

शासनादेश के नियम-5 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग में मृतक के आश्रित के नियमित नियुक्ति की वैधता

145–श्री राज किशोर सिंह–

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती जयति चन्द्रा, संयुक्त सचिव, सा0 नि0 अनु0 (8) उ0 प्र0 शासन के पत्रांक 294 डब्लू0 सी0/85-23 सा0 नि0 वि0 अनु0–8-725 डब्लू सी/84 दिनांक 24-1-86 जो मुख्य अभियन्ता पू0 क्षे0 सा0 नि0 वि0 वाराणसी को सम्बोधित है, के द्वारा ऊपर वर्णित नियमावली 1974 के नियम 5 के अनुसार एक मृतक आश्रित के नियमित नियुक्ति को वैध माना गया है और यह भी कहा गया है कि प्रख्यापित नियमावली के अनुसार ऐसी नियुक्तियां नियमित अधिष्ठान में ही होनी चाहिए तथा इस पर कोई भी आदेश/शासनादेश अपना अधिप्रभावी प्रभाव नहीं रख सकता है ? यदि हां, तो इसका पालन अन्य मृतकों के आश्रितों के मामलों में भी किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी हां ।

प्रश्नगत नियमावली के नियम 5 के अन्तर्गत मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को सरकारी सेवा में "उपयुक्त सेवायोजन" दिये जाने की व्यवस्था है और नियमित अधिष्ठान में ही नियुक्त किये जाने के कोई निर्देश नहीं हैं।

विधायक निवास में एक विधायक को एक से अधिक आवास आवंटित करने की नीति

146–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निवास में वर्तमान में कुछ ऐसे भी विधायक हैं जिनको एक से अधिक आवास आवंटित हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है? विधायकों को एक से अधिक आवास आवंटित करने के लिए क्या नीति निर्धारित की गई है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । वर्तमान में विधायक निवास में 10 ऐसे विधायक हैं जिनके पास एक से अधिक आवास हैं । विधायकों को अतिरिक्त आवास देने की नीति नहीं है किन्तु कुछ विधायकों को विशेष परिस्थितियों में (चिकित्सा के आधार पर) सीमित अवधि के लिए शासन द्वारा अतिरिक्त कक्ष आवंटित किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड, लखनऊ में कर्मचारियों एवं अधिकारियों को पति/पत्नी में से एक ही को देय मकान किराया भत्ता

147–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किस शासनादेश के अन्तर्गत यह आदेशित किया गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं अधिकारी को पति/पत्नी में से एक ही को मकान किराया भत्ता देय होगा ? क्या उक्त शासनादेश का उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0, लखनऊ द्वारा प्रभावी तिथि से पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

शासनादेश संख्या–जी-1-1795/दस-81-209-81, दिनांक 15-12-1981 के अनुसार राज्य सरकार के विवाहित कर्मचारियों एवं अधिकारियों को पति/पत्नी में से एक ही को मकान किराया भत्ता देय होगा, यदि वे एक ही किराये के मकान में रह रहे हों।

राज्य चीनी निगम के कर्मचारियों पर सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के आदेश लागू होते हैं। ब्यूरो के आदेश संख्या 641/44-11/29 दिनांक 16-1-1985 में निहित निर्देशानुसार राज्य चीनी निगम में कार्यरत विवाहित कर्मचारियों/अधिकारियों में से यदि पति/पत्नी में एक ही किराये के मकान में रह रहे हों तो किराया भत्ता एक को ही देने विषयक आदेश 2-3-1987 से लागू कर दिये गये हैं। प्रभावी तिथि से वसूल की जाने वाली धनराशि का मामला निगम के प्रबन्धक मण्डल के समक्ष रखना प्रस्तावित है।

पथकर वसूली विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र

148–श्री नत्थू लाल विकल–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 2-3-87 जो पथ कर वसूली से संबंधित था, सचिव, रा0 नि0 वि0 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

उक्त पत्र में कथित सुझाव को शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अस्वीकार कर दिया गया ।

दुधवा वन्य प्राणि उद्यान में एक वर्ष से शेर/बंगाल रायल टाइगर के मृत्यु के कारणों की जांच

149–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दुधवा वन्य प्राणि उद्यान में जनवरी, 1986 से अब तक कितने शेर/रायल बंगाल टाइगर कब-कब मृत पाए गए? इतने शेरों की एक साथ रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मृत्यु का क्या कारण था? मृत शेरों के अवशेषों के परीक्षण और अन्य जांचों से क्या तथ्य सामने आए हैं? ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

दुधवा वन्य प्राणी उद्यान (राष्ट्रीय उद्यान) में जनवरी, 1986 से अब तक दो शेर मृत पाये गये। पहला शेर दिनांक 12/13-12-86 को तथा दूसरा शेर दिनांक 13-1-1987 को मृत पाया गया। इसमें कोई भी मृत्यु रहस्यमय नहीं थी। मृत शेरों के अवशेषों के परीक्षण और अन्य जांचों से यह तथ्य सामने आये कि दिनांक 12/13-12-1986 को मृत पाया गया शेर रेल दुर्घटना से मरा है तथा दिनांक 13-1-1987 को मृत पाया गया शेर, शेरों की आपसी लड़ाई से मरा है।

यह दोनों आकस्मिक घटनाएं हैं। फिर भी शेरों के संरक्षण पर पार्क स्थित अधिकारी एवं कर्मचारी अपना ध्यान केन्द्रित किए हुए हैं, ताकि शेरों को अवैध रूप से मारे जाने की घटनाएं न हों ।

जिला सेक्टर योजना में जिले के विभिन्न ब्लाकों के लिए विभागीय परिव्यय का निर्धारण

150–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सेक्टर योजना में जिले के विभिन्न ब्लाकों के लिए विभागीय परिव्यय निर्धारित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या मानक नियत किए गए हैं तथा इन मानकों में प्रत्येक मानक को क्या-क्या वेटेज दी गयी है? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिला योजनाओं में विभागीय परिव्यय इन्हीं मानकों के अनुसार निर्धारित किए गए हैं अथवा नहीं? इसका अनुश्रवण तथा अनुपालन किस स्तर पर सुनिश्चित किया जाता है?

ओम प्रकाश रिछारिया–

विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत जिले को इकाई मानकर वस्तुपरक मानकों के आधार पर परिव्यय आवंटित किया जाता है। जिले के विभिन्न विकास खण्डों के लिए विभागीय परिव्यय निर्धारित करने हेतु पृथक से कोई मानक निर्धारित नहीं किये गये हैं। अतः विभागीय परिव्यय मानकों के आधार पर आवंटित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

151—श्री सुखपाल पाण्डे—

[3रे मंगलवार के लिए स्थगित]

भूतपूर्व सैनिकों के साथ भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोषागार रुड़की के विरुद्ध जांच

152—श्री राम शरण दास—

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि श्री भोपाल सिंह फौजी जिला मंत्री जिला भूतपूर्व सैनिक एसोसिएशन (रजि0) जनपद सहारनपुर ने जिलाधिकारी सहारनपुर को कोषागार रुड़की द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के साथ भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में 1-4-87 से 7-4-87 के बीच कोई शिकायती पत्र मिला है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

शिकायती पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच परगनाधिकारी, रुड़की को सौंप दी गयी है तथा संबंधित पेंशन लिपिक को अन्य पद पर स्थानान्तरित कर दिया गया है।

शहर एवं देहात के मकान के किरायों की दर निर्धारण

153—श्री विष्णु देव—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि शासन ने शहर तथा देहात में बने मकानों के किराए की दर के सम्बन्ध में अपने आदेश संख्या 2-264/दस-14/110/71 दिनांक 26-10-72 द्वारा कवाल टाउन के लिए एक रुपया प्रति वर्ग फुट व छोटे शहरों के लिए पचास पैसा तथा देहात के लिए 35 पैसा प्रति वर्ग फुट निर्धारित था? यदि हां, तो 1972 से 1986 तक बढ़ती हुई महंगाई को दृष्टि में रखते हुए किराये की उक्त दर में संशोधन करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

उल्लिखित शासनादेश की संख्या तथा दिनांक त्रुटिपूर्ण है। शासनादेश संख्या—ए—2—2648/दस-14(11)71, दिनांक 20-10-72 द्वारा प्रति वर्ग फुट के हिसाब से किराये का कोई निर्धारण नहीं किया गया था बल्कि विभिन्न नगरों के लिए केवल किराये की धनराशि की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी। किराये की वर्तमान दरें शासनादेश संख्या : ए-2-930/दस-84-14(30)/73, दिनांक 28-2-84 द्वारा बरेली, मेरठ, गोरखपुर, देहरादून, गाजियाबाद तथा पर्वतीय जिलों के मुख्यालय सहित कवाल नगरों के लिए एक रुपया प्रति वर्ग फुट कारपेट एरिया तक (प्रत्येक मामले में अधिकतम सीमा रु0 2,000 प्रतिमाह तथा अन्य नगरों में पचास पैसे प्रति वर्ग फुट कारपेट एरिया तक (प्रत्येक मामले में अधिकतम सीमा रु0 750 प्रतिमाह) एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तीस पैसे प्रति वर्ग फुट कारपेट एरिया तक निर्धारित की गई है। उक्त दरों से अधिक दर पर भी संबंधित जिलाधिकारी द्वारा किराया उचित प्रमाणित करने पर उक्त शासनादेश दिनांक 28-2-84 में उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन शासन की स्वीकृति से भवन किराये पर लिये जा सकते हैं। किराये की उक्त दरों के संशोधन में जिलाधिकारियों से जानकारी की जा रही है। यदि आवश्यक समझा गया तो दरों में संशोधन पर विचार किया जायेगा।

154—श्री राम नरेश यादव—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

माननीय सांसदों को राजकीय जीप उपलब्ध कराने की सुविधा

155—श्री मैनेजर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि माननीय सांसदों को राजकीय जीप क्षेत्र में उपलब्ध कराने का आदेश जारी हुआ है ? यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि बलिया जनपद के मा0 सांसदों को गत पन्द्रह माह में कितने-कितने दिन प्रतिमाह उपलब्ध कराई गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । माह जनवरी, 1986 में समस्त जिलाधिकारियों को ये आदेश जारी किए गए हैं कि मा0 संसद सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में बीस सूत्रीय कार्यक्रम तथा अन्य विकास कार्यक्रमों के निरीक्षण तथा अनुश्रवण के लिए माह में 10 दिन तक सरकारी जीप उपलब्ध करायी जाय । गत 15 माह अर्थात् माह सितम्बर, 1986 से नवम्बर, 1987 तक की अवधि में जितने दिन तक मा0 सांसदों को प्रति माह सरकारी जीप उपलब्ध करायी गयी उसका संसद सदस्यवार विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ 115 पर)

मेहदावल बाजार, बस्ती में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के गोली चलाने की जांच

156—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छात्रों ने दिनांक 21-10-81 को मेहदावल बाजार, जिला बस्ती में पुलिस के जुल्म के विरुद्ध प्रदर्शन किया था? क्या यह सही है कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोली चलाई थी? यदि हां, तो पुलिस की गोली से कौन-कौन लोग घायल हुए ? क्या मैजिस्ट्रियल जांच हुई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट में कौन-कौन दोषी पाये गये ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

प्रदर्शनकारियों द्वारा उग्र होकर पुलिस पर पथराव एवं फायरिंग किए जाने के फलस्वरूप कतिपय पुलिस कर्मियों को चोटें आयीं । अतएव कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु, सरकारी सम्पत्ति की रक्षा हेतु एवं आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा पहले लाठीचार्ज एवं बाद में मस्कट से फायर किया गया था ।

मजिस्टीरियल जांच से पुलिस की गोली से किसी व्यक्ति का घायल होना प्रमाणित नहीं हुआ ।

जी हां ।

मजिस्टीरियल जांच में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु उक्त घटना के दौरान पुलिस द्वारा की गयी लाठीचार्ज/फायरिंग की कार्यवाही को उचित पाया गया ।

उक्त जांच से केवल उपनिरीक्षक श्री सरवर आलम खां को श्री राम दुलारे राय की गिरफ्तारी के बाद उनके प्रति दुर्व्यवहार किए जाने का दोषी पाया गया ।

विकास खण्ड कालसी, जिला देहरादून के ग्राम रिखाड़ के प्राइमरी विद्यालय के नवनिर्मित भवन का ध्वस्त होना

157—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून के चकराता ब्लाक से रिखाड़ नामक गांव में किसी प्राइमरी विद्यालय के भवन का निर्माण अभी हाल ही के वर्षों

में हुआ था जिसमें निम्न श्रेणी के सामग्री लगाए जाने के कारण ध्वस्त भी हो गया जबकि उसमें शिक्षण का कार्य प्रारम्भ भी नहीं हो सका था ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी तथा उससे कोई वसूलयाबी की कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी न कि चकराता के रिखाड़ नामक गांव में स्थित बेसिक प्राइमरी स्कूल के भवन का निर्माण वर्ष 85-86 में खण्ड विकास अधिकारी कालसी द्वारा संबंधित ग्राम सभा के माध्यम से कराया गया था । यह सही नहीं है कि भवन ध्वस्त हो गया है। भवन के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित होने और कच्ची जमीन में बनने के कारण जमीन के धंसने से, भवन में कुछ दरारें अवश्य आ गयी थीं । उक्त कमियों के प्रकाश में आने के बाद भवन में आयी दरारों को पुनः मरम्मत कराकर ठीक कर दिया गया है । चूंकि भवन शिक्षा विभाग को अभी हस्तांतरित नहीं किया गया है । अतः शिक्षण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है । ठेकेदार को पूर्ण भुगतान भी अभी नहीं किया गया है ।

विधान सभा की वर्तमान सदस्या, श्रीमती सरोज वर्मा के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, मुझे अत्यन्त दुःख है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्या, श्रीमती सरोज वर्मा का निधन दिनांक 25 अक्तूबर, 1987 को लखनऊ में हो गया । वह लगभग 51 वर्ष की थीं । श्रीमती सरोज वर्मा का जन्म दिनांक 23 फरवरी, 1937 को जिला गाजियाबाद में हुआ था । वर्ष 1985 में सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र छपरौली, जिला मेरठ से लोकदल के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्या निर्वाचित हुई थीं । भूतपूर्व प्रधान मंत्री एवं लोकदल अध्यक्ष, चौधरी चरण सिंह की छत्रछाया में रहकर उनका राजनीति से लगाव स्वाभाविक था । 1980 के आन्दोलन में उन्होंने भाग लिया । वह समाज कल्याण बोर्ड, उत्तर प्रदेश की 1978 से 1980 तक उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष रहीं । वर्ष 1980 में उन्होंने अमेरिका एवं कनाडा का भ्रमण भी किया । श्रीमती सरोज वर्मा के निधन से उत्तर प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेविका को खो दिया है। मेरा अनुरोध है कि मेरी ओर से, मेरे दल की ओर से और सदन की ओर से संवेदनाओं उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्य पाल सिंह)–

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने जो स्वर्गीय श्रीमती सरोज वर्मा के निधन पर अपने विचार प्रकट किये हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, श्रीमती सरोज वर्मा का निधन बहुत ही कम आयु में हो गया । वह पहली बार जीत कर इस विधान सभा में आयी थीं, लेकिन सदन में आने के बाद जिस लगन से उन्होंने कार्य किया और अपने क्षेत्र तथा जिले की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनी बात सदन में बहुत ही हिम्मत और दृढ़ता के साथ रखी । यह बात सही है कि वह भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री चरण सिंह की सुपुत्री थीं और उन्होंने बहुत कुछ विरासत में चौधरी चरण सिंह से पाया था और सीखा था । वह बहुत ही स्पष्टवादी थीं और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक बहादुर महिला थीं । वह बड़ी स्पष्टवादी, ईमानदार और आदर्श महिला थीं । उनके संबंध में एक बात याद आती है कि जब विधायकों को गाड़ी खरीदने के लिए और मकान बनाने के लिए लोन दिया गया था, उस समय हमसे और अपने साथियों से कहा करती थीं कि प्रधान मंत्री की पुत्री होने के बाद भी मेरे पास रहने के लिए कोई मकान नहीं है और क्षेत्र में जाने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है । वह बहुत ही विचार किया करती थीं कि रहने के लिए मकान बनायें या क्षेत्र में जाने के लिए गाड़ी ली जाए । जनसेविका होने के नाते उन्होंने मकान बनाने का इरादा छोड़ दिया और गाड़ी लेने का फैसला किया जिससे कि क्षेत्र की जनता की वह सेवा कर सकें । लेकिन मान्यवर, दुर्भाग्य था कि जैसे ही उन्होंने गाड़ी ली, वह गाड़ी में बैठ भी न पायीं और उनका देहान्त हो गया । यह बड़े दुख की बात है कि चौधरी चरण सिंह की मृत्यु के 5 महीने बाद ही श्रीमती सरोज वर्मा का निधन हो गया । चौधरी साहेब के साथ उनका पिता और पुत्री का सच्चा रिश्ता था । चौधरी साहेब की मृत्यु से उनको बड़ा भारी सदमा लगा था, लेकिन फिर भी वह राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी बहादुरी से कार्य करती रहीं और सक्रिय रहीं। मान्यवर, जिस समय चौधरी अजीत सिंह मेरठ से लखनऊ की पद यात्रा कर रहे थे, उस पद यात्रा के दरम्यान मैंने देखा कि उन्होंने कई बार बहुत बड़ी बहादुरी और साहस का परिचय दिया । कई दिनों तक सरोज वर्मा पद-यात्रा करती रहीं । उस दरम्यान उनके पैरों में फफोले भी पड़ गये थे और उनकी परवाह न करते हुए वे बराबर अपने भाई का साथ देती रहीं। इसी तरह से पट्टी के चुनाव में जब सरोज वर्मा भाषण दे रही थीं उस दरम्यान कुछ दलों के लोगों ने जो शोर-गुल किया वे उनके सामने आ गये लेकिन वह विचलित नहीं हुईं और बराबर अपना व्याख्यान देती रहीं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि वह किस बहादुरी से किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिये तैयार रहती थीं । मैं समझता हूं कि उनके निधन से अजीत सिंह परिवार ही नहीं, लोकदल परिवार ही नहीं, मेरठ क्षेत्र ही नहीं, मेरठ मंडल ही नहीं बल्कि सारे उत्तर प्रदेश ने एक बहादुर और साहसी महिला राजनीतिज्ञ खो दिया है। इसलिये मैं इस दुखद अवसर पर, बहन सरोज वर्मा के आकस्मिक निधन पर आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे और मेरे दल की संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, आज स्वर्गीय सरोज वर्मा का जो निधन का शोक प्रस्ताव पेश किया गया है, उससे हम सब बहुत दुखी हैं । श्रीमती सरोज वर्मा के साथ हमारे पिछले दो साल से राजनीतिक मतभेद होने के बावजूद भी मैं यह कह सकता हूं कि स्वर्गीय सरोज वर्मा एक बहादुर, निर्भीक और अपने पक्के इरादे की महिला थीं । जिसका विरोध करना था उसका उन्होंने खुलकर विरोध किया और जिसका साथ देना था उसका खुलकर साथ दिया । उनके निधन से आज हम सब लोग दुखी हैं । लेकिन अफसोस यह है जिन स्थितियों में उनका निधन हुआ उनके कारणों पर अभी तक सरकार पता न कर सकी वे कौन से कारण थे जिनकी वजह से हमें इतनी बड़ी राजनीतिक क्षति पहुंची है । इससे हम सब लोग दुखी हैं । आपसे प्रार्थना है कि आप हमारी और हमारे सारे सदस्यों की यह संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, श्रीमती सरोज वर्मा पहली बार इस विधान सभा में चुनकर आईं और थोड़े ही कार्यकाल में उन्होंने किसानों के प्रति अपने विचार यहां कई बार व्यक्त किये कम समय में ही उन्होंने अपनी पहचान विधान सभा में बना ली थी लेकिन दुर्भाग्य से उनका दुखद निधन हो गया जिससे उनका आगे का राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया। वह एक ऐसी महिला थीं जिन्होंने स्वर्गीय चरण सिंह की पुत्री होने के अलावा अपनी भी पहचान बनायी थी। मान्यवर, वह आज हमारे बीच में नहीं हैं। उनकी सामाजिक कार्यों में भी दिलचस्पी थी। वे सामाजिक कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष भी रहीं। मान्यवर, मैं तथा मेरे दल उनके शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदनायें भेजता हूं और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारी यह भावनायें उनके परिवार को भेजने की कृपा करें।

*श्री कल्यान सिंह –

मान्यवर, श्रीमती सरोज वर्मा के निधन पर जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय मुलायम सिंह जी तथा माननीय रेवती रमण सिंह जी ने व्यक्त किये हैं उनके साथ मैं अपने तथा अपने दल को संबद्ध करता हूं। मान्यवर, श्रीमती सरोज वर्मा के उठ जाने से ऐसा लगता है कि अपने बीच से एक ऐसी महिला उठ गई है जिनका जीवन बड़ा अनुकरणीय था। थोड़े समय में ही उन्होंने अपने परिश्रम से, अपनी सूझबूझ से अपनी स्पष्टवादिता से पूरे प्रदेश की राजनीति में अपना एक अलग स्थान बना लिया था, वह परिश्रमी, शालीन, लगनशील और सौजन्यता की प्रतिमूर्ति थीं। उनके उठ जाने से हम सब को एक गहरा आघात लगा है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे और मेरे दल की संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, माननीया श्रीमती सरोज वर्मा के निधन से मुझे और मेरे दल के सभी माननीय सदस्यों को हार्दिक कष्ट हुआ। उनके बारे में जो विचार माननीय नेता सदन तथा अन्य दलों के नेताओं ने रखे हैं उनसे मैं अपने तथा अपने दल को संबद्ध करता हूं। मान्यवर श्रीमती सरोज वर्मा एक कर्मठ समाज सेविका थीं और इस प्रदेश के लोगों को खासकर किसानों को उनसे बड़ी आशायें थीं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार तक मेरे और मेरे दल की संवेदना पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, श्रीमती सरोज वर्मा हम लोगों के बीच नहीं रहीं। वह एक प्रगतिशील विचारधारा की महिला थीं और उन्होंने रूढ़िवादिता को तोड़ कर अंतर्जातीय विवाह किया। वह किसानों के हितों की बड़ी चिंतक थीं और जब वह सदन में बोलती थीं तो मालूम होता था कि उनका सचमुच किसानों की जिंदगी से बहुत बड़ा लगाव है। उन्हें न केवल चौधरी चरण सिंह जो इस देश के प्रधान मंत्री रहे की पुत्री होने का श्रेय प्राप्त था बल्कि उन्होंने उनकी योग्यता और कर्मठता को भी प्राप्त किया था और उन्होंने जो इस प्रदेश की राजनीति में भूमिका अदा की थी उसका भी उनको श्रेय प्राप्त था।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस सदन में जब कभी भी उन्होंने कोई सवाल उठाया था उसे वह बड़े धैर्य के साथ रखती थीं उनके निधन से सचमुच हम लोगों ने एक कुशल व्यक्तित्व को खो दिया है। श्रीमती सरोज वर्मा के निधन से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कमी हुई है उसे पूरा करना है। इस एसम्बली में वह महिलाओं की एकमात्र ऐसी प्रतिनिधि थीं जो उनके सवालों को बहुत अच्छे ढंग से उठाती थी। मान्यवर, श्रीमती सरोज वर्मा के निधन पर जो उद्गार नेता सदन तथा अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने तथा अपने दल को संबद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे तथा मेरे दल की संवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें। इन शब्दों के साथ मैं फिर श्रीमती सरोज वर्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

*श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, बहन सरोज वर्मा के इंतकाल के सिलसिले में जो ख्यालात नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा और दलों के नेताओं ने पेश किये हैं उनसे मैं अपने को जोड़ता हूं और कहना चाहता हूं कि वह एक बड़ी बाकिरदार सकसियत मैदान में तेजी से उभरी और उसी तेजी से गायब हो गयीं। उनकी मौत से खाली हुई जगह का पूर्ण होना मुश्किल है। उन्होंने इस प्रदेश की औरतों के हुकूकात को जिस जोरदार तरीके से बुलन्द किया वह आवाज अब यहां नहीं सुनाई देगी। मुझे बेहद अफसोस है कि वह हमारे बीच नहीं रही। आपसे गुजारिश है कि हमारे ख्यालात उनके खानदान तक पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, श्रीमती सरोज वर्मा के निधन पर जो उदगार माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त किये हैं उनमें मैं अपने को और अपने प्रगतिशील विधायक दल को संबद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि कि श्रीमती सरोज वर्मा ने इस सदन में जिस तरह की भूमिका निभाई वह सिर्फ न हम लोगों के लिये बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिये प्रेरणादायक रहेगी। मान्यवर, विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहकर जो उन्होंने नीति प्रदर्शित किया वह भी अनुकरणीय मानी जायेगी।

मान्यवर, मैं अपनी ओर से और प्रगतिशील विधायक दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे अपेक्षा करूंगा कि हमारे उद्गार उनके शोक संतप्त परिवार तक और उनके शुभ चिन्तकों तक पहुंचाने की आप कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

श्रीमती सरोज वर्मा जी कल तक हमारे बीच यहीं बैठती थीं लेकिन आज नहीं है। इससे बड़ी दुर्घटना क्या हो सकती है। 51 वर्ष की उम्र में 25-10-87 को लखनऊ में उनका निधन हुआ। वर्ष 1985 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र छपरौली जिला मेरठ से लोकदल से वह चुनी गयीं थीं। वह चौधरी चरण सिंह जी की बेटी थीं। समाज कल्याण बोर्ड, उत्तर प्रदेश की 1978 से 1980 तक उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष रहीं। 1980 में उन्होंने कनाडा और अमेरिका का दौरा किया। जो भी मेरा उनसे सम्पर्क रहा मैंने यही देखा कि वह हर वक्त समाज के काम में लगी रहीं और कोशिश हमेशा यही रही कि कैसे अपने दल को मजबूत करती रहें। आप सबने जो विचार व्यक्त किये मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। अब आइये दो मिनट मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट मौन खड़े हुए)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रोशन जमां खां, श्री राम किशोर वर्मा, श्री मूल चन्द्र, कुमारी कमल कुमारी गोईन्दी, श्री सत्य प्रकाश, श्री सुखद राज सिंह, श्री शिव नारायण, श्री कृष्ण सिंह, श्री केशोराम, श्री कन्हई सिंह के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, मुझे अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रोशन जमां खां का निधन दिनांक 13 जुलाई, 1987 को गोण्डा के जिला चिकित्सालय में हो गया। वह लगभग 77 वर्ष के थे।

श्री रोशन जमां खां का जन्म वर्ष 1910 में गोण्डा के एक ग्राम में हुआ था। वर्ष 1946 में मुस्लिम लीग के टिकट पर जिला गोण्डा से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। राजनीति में उन्होंने सक्रिय भाग 1934 से लेना शुरू किया था। वह एक अच्छे अधिवक्ता थे। उनके निधन से जनपद गोण्डा ने एक कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया।

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि उनके शोक संतप्त परिवार तक मेरी ओर से मेरे दल की ओर से और शासन की ओर से सम्वेदना पहुंचाने की कृपा करें।

मान्यवर, मुझे अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम किशोर वर्मा का निधन दिनांक 14 जुलाई, 1987 को कानपुर के एक चिकित्सालय में हो गया। वह लगभग 64 वर्ष के थे। उनका जन्म कानपुर के असधना नामक ग्राम में वर्ष 1923 में हुआ था। वर्ष 1962 के सामान्य निर्वाचन में, निर्वाचन क्षेत्र टप्पाजार, जिला फतेहपुर से निर्वाचित होकर निर्दलीय सदस्य के रूप में उन्होंने इस सम्मानित सदन में पदार्पण किया था। उनके निधन से जनपद फतेहपुर ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया। मान्यवर मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी शोक संवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

मान्यवर, खेद के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री मूल चन्द्र का निधन दिनांक 21 जुलाई, 1987 को हो गया। वह लगभग 60 वर्ष के थे। उनका जन्म जनपद सीतापुर के एक ग्राम में हुआ था। वर्ष 1957 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र मिसरिख जिला सीतापुर से सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर वह उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री मूलचन्द्र जी की जनहित के कामों में विशेष रुचि थी। उनके निधन से जनपद सीतापुर ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

मान्यवर मेरा आप से अनुरोध है कि आप उनके शोक संतप्त परिवार तक मेरी और मेरे दल की ओर से संवेदना पहुंचाने का कष्ट करें।

मान्यवर, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की भूतपूर्व सदस्या कुमारी कमल कुमारी गोईन्दी का निधन दिनांक 3 अगस्त, 1987 को गाजियाबाद में हो गया। वह लगभग 60 वर्ष की थीं कुमारी कमल कुमारी गोईन्दी जी का जन्म दिनांक 23 जनवरी, 1922 को जनपद करनाल (हरियाणा) में हुआ था। उन्होंने एम0ए0एल0टी0 तक की उच्च शिक्षा पाई थी। वर्ष 1957 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र करछना, जिला इलाहाबाद से वे कांग्रेस के टिकट पर विजयी होकर उन्होंने इस सम्मानित सदन में पदार्पण किया। कुमारी कमल

कुमारी अल्पायु से ही समाज सेवा की भावना से ओतप्रोत रहीं। कुमारी कमल कुमारी गोईन्दी जी के निधन से जनपद इलाहाबाद ने एक ऐसे व्यक्तित्व को खो दिया समाज सेवा ही जिसके जीवन का मुख्य ध्येय था। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे और मेरे दल के द्वारा उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी शोक संवेदना पहुंचाने का कष्ट करें।

मान्यवर, मुझे अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सत्य प्रकाश जी का निधन दिनांक 25 अगस्त, 1987 को हो गया। वह लगभग 55 वर्ष के थे। उनका जन्म दिनांक 1 जुलाई, 1932 को जिला बरेली में हुआ था सर्व प्रथम 1974 के सामान्य निर्वाचन में जिला बरेली (नगर) के जनसंघ के टिकट पर निर्वाचित होकर वह उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य बने। तत्पश्चात्, सन् 1977 के निर्वाचन में उक्त निर्वाचन क्षेत्र से ही वह जनता पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। श्री राम नरेश यादव जी के मंत्रिमंडल में वह राज्य मंत्री नियुक्त किये गये। बरेली समाचार नामक साप्ताहिक के सम्पादक, सहकारी संघ बरेली के मंत्री एवं बरेली नगरपालिका के सदस्य आदि पदों को भी उन्होंने समय-समय पर सुशोभित किया। श्री सत्य प्रकाश जी के निधन से जनपद बरेली ने एक राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि मेरे और मेरे दल की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार तक आप हमारी संवेदनाएं पहुंचाने का कष्ट करें।

मान्यवर, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सुखदराज सिंह का निधन दिनांक 3 अक्टूबर, 1987 को हृदयगति रुक जाने से हो गया, वह केवल 47 वर्ष के थे। श्री सुखदराज सिंह जी का जन्म दिनांक 4 अक्टूबर, 1940 को फखरपुर जिला बहराइच में हुआ था। वर्ष 1974 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र महसी, जिला बहराइच से जनसंघ की टिकट पर विजय प्राप्त कर उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान सभा में पदार्पण किया था। वर्ष 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर उक्त निर्वाचन क्षेत्र से ही वह पुनः विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री सुखदराज सिंह जी के निधन से जनपद बहराइच ने एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व खो दिया। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे और मेरे दल की ओर से हमारी संवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

मान्यवर, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य एवं सांसद श्री शिवनारायण जी का निधन दिनांक 10 नवम्बर, 1987 की रात्रि में हो गया। वह लगभग 74 वर्ष के थे। श्री शिवनारायण का जन्म दिनांक 14 जुलाई, 1913 को जिला बस्ती के एक ग्राम में हुआ था। वर्ष 1952 में वह सर्वप्रथम सामान्य निर्वाचन में जिला बस्ती से कांग्रेस के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वर्ष 1958 से 1962 तक वह विधान परिषद् के सदस्य रहे। 1962, 1967 एवं 1977 के निर्वाचनों में विजय प्राप्त कर वह लोक सभा के सदस्य बने। केन्द्रीय सरकार में रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री भी वह बनाए गये। लोक सभा की लोक लेखा समिति के भी वह सदस्य रहे। श्री शिव नारायण जी एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। हरिजनों के उत्थान एवं आर्य समाज के कार्यों में भी उनका योगदान सराहनीय रहा है। श्री शिवनारायण के निधन से उत्तर प्रदेश ने अग्रिम पंक्ति का एक राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि मेरे और मेरे

दल की ओर से संवेदना आप उनके शोक संतप्त परिवार जनों तक पहुंचाने का कष्ट करें।

मान्यवर मुझे अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य एवं मंत्री श्री कृष्ण सिंह का निधन दिनांक 4 नवम्बर, 1987 को देहरादून में हो गया। वह लगभग 84 वर्ष के थे। श्री कृष्ण सिंह जी का जन्म वर्ष 1903 में उत्तरकाशी में हुआ था। वर्ष 1962, 1967 एवं 1969 के निर्वाचनों में वह कांग्रेस पार्टी के टिकट पर उत्तरकाशी से लगातार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित होते रहे। 1969 में वन विभाग के उपमंत्री नियुक्त किये गये। वह संसद के भी सदस्य रहे। श्री कृष्ण सिंह जी के निधन से उत्तराखण्ड ने एक श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि उनके शोक संतप्त परिवार के सदस्यों तक आप मेरी और मेरे दल की तथा इस सदन की संवेदना पहुंचाने का कष्ट करें।

मान्यवर, मुझे अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि भूतपूर्व सदस्य श्री केशोराम का निधन दिनांक 2 दिसम्बर, 1987 को जनपद बदायूं में हो गया। वह लगभग 92 वर्ष के थे। उनका जन्म 2 फरवरी, 1895 में हुआ था। वह वर्ष 1952 के सामान्य निर्वाचन में जिला बदायूं से कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित होकर उन्होंने सर्वप्रथम इस सम्मानित सदन में पदार्पण किया था। 1957-1962, 1969 एवं 1980 के निर्वाचनों में भी वह सदस्य चुने जाते रहे। पांच निर्वाचनों में विजय प्राप्त करना एवं इतनी लम्बी अवधि तक उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता श्री केशोराम जी की राजनीतिक सफलता का द्योतक है। मेरी माननीय अध्यक्ष जी से प्रार्थना है कि वह मेरे तथा मेरे दल की शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

मान्यवर, मुझे अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि श्री भूतपूर्व सदस्य श्री कन्हई सिंह का निधन दिनांक 3 मार्च, 1986 को हो गया। वह 64 वर्ष के थे। श्री कन्हई सिंह जी का जन्म मई 1922 में जनपद शाहजहांपुर में हुआ था। वर्ष 1977 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र जलालाबाद जिला-शाहजहांपुर से उन्होंने निर्दलीय सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर इस सम्मानित सदन में पदार्पण किया।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने जिन भूतपूर्व सदस्यों के दिवंगत होने की सूचना इस सदन में दी है और जो भावनायें और उद्गार उन्होंने व्यक्त किए हैं उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रोशन जमां खां जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य थे और जिनकी 77 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गयी। यह गोण्डा जनपद से विधान सभा के सदस्य रहे। यह सन् 1946 में विधान सभा के सदस्य रहे। हमें इनके साथ रहने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ लेकिन जो इनकी विलक्षण शक्ति थी, जो इनकी कार्यपद्धति रही है उससे हम सब प्रभावित होते रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य श्री राम किशोर वर्मा का निधन 64 वर्ष की आयु में हो गया यह 1962 में निर्वाचित होकर इस सदन में आये हमें उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। जनपद फतेहपुर में एक बड़ा समाज सेवी खो दिया है। किसी राजनीतिक की मान्यवर सबसे बड़ी पदवी होती है कि उनके न रहने पर जन मानस उनको याद करता है। मान्यवर, माननीय मूलचन्द्र जनपद सीतापुर के निवासी थे। यह भी 1957 में इस सदन के सदस्य रहे। हमें उनके साथ रहने का मौका नहीं मिला लेकिन इनका जनपद हमारे पड़ोस का जनपद है। मुझे मालूम

हैं इनकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा रही है । यह बहुत बड़े समाज सेवी रहे हैं। इसी क्रम में कु0 कमल कुमारी गोईन्दी को मैं समझता हूं कि यह हरियाणा में पैदा हुई थीं इन्होंने करछना इलाहाबाद से कांग्रेस के टिकट पर 1957 में विजय प्राप्त की । यह कई संस्थाओं से जुड़ीं थीं यह जीवन भर संघर्ष से लिप्त रहीं । 66 वर्ष की आयु में इनका स्वर्गवास हो गया । मान्यवर हमारे भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जो बरेली जनपद के निवासी थे, इनके साथ 1974 और 1977 की विधान सभा में बैठने का अवसर मिला । यह बहुत बड़े समाज सेवी रहे हैं । जब कोई पुलिस उत्पीड़न की समस्या हुई कोई जुल्म या अत्याचार हुआ तो माननीय सत्य प्रकाश जी के घर सुबह-सुबह लोग इकट्ठे हो जाते थे ।

माननीय सत्य प्रकाश जी उन समस्याओं से जूझने में कभी पीछे नहीं हटते थे। रात हो या दिन हो वह जनता के लिए तैयार रहते थे और जनता के साथ एक रस हो गये थे । माननीय सत्य प्रकाश जी "बरेली समाचार" नाम के अखबार के संपादक भी रहे हैं । उनके न रहने से मैं महसूस करता हूं कि केवल बरेली जनपद या बरेली मंडल ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से एक महान प्रबुद्धशील व्यक्ति खो दिया है। माननीय सत्य प्रकाश जी बहुत ही जुझारु, प्रखरशील व्यक्ति थे । वह 1974-77 में विधान सभा के सदस्य रहे हैं । मुझे उनके साथ सदन में बैठने का मौका मिला है । मान्यवर, इसी तरह से माननीय सुखद राज सिंह जी हमारे बीच में नहीं हैं । वह 1974 में जीत कर आये थे । 1977 में वह जनता पार्टी के टिकट पर जीतकर आये थे । उस समय मुझे भी उनके साथ सदन में बैठने का मौका मिला है । मा0 सुखद राज सिंह अपने जिले की समस्याओं को बहुत मजबूती के साथ इस सदन में उठाया करते थे । उनका स्वर्गवास बहुत अल्पआयु में 47 वर्ष की उम्र में हो गया और वह इस दुनिया से चले गये हमसे जुदा हो गये । इससे हम सबको बड़ा अफसोस है । मैं इस बात को महसूस करता हूं कि या0 सुखद राज सिंह जैसे प्रभावी व्यक्ति यदि हमारे बीच में होते तो मैं समझता हूं कि वह अपने जनपद और अपने प्रदेश का भला करने में सक्षम होते । मान्यवर, माननीय शिव नारायण जी वर्ष 1952 में इस विधान सभा के सदस्य रहे हैं । वह लोक सभा के भी सदस्य रहे हैं और रेल राज्य मंत्री भी रहे हैं । रेल राज्य मंत्री की हैसियत से उन्होंने देश और प्रदेश की बड़ी सेवा की है । माननीय शिव नारायण जी के साथ इस सदन में मुझे रहने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ लेकिन मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं । वह अपने जिले के एक जनप्रिय, लोकप्रिय व्यक्ति थे उनके निधन से सारे प्रदेश की बहुत बड़ी क्षति हुयी है । मान्यवर, श्री कृष्ण सिंह जी हमारे सदन के अन्दर वर्ष 62-67 और 1977 में कांग्रेस के टिकट पर जीत कर आये थे । वह वन विभाग के उपमंत्री भी रहे हैं । यद्यपि मुझे उनके साथ इस सदन में रहने का अवसर नहीं मिला लेकिन माननीय श्रीकृष्ण जी एक बहुत प्रखर, प्रबुद्ध व्यक्ति थे । इस विधान सभा के अन्दर उनकी जो कार्यशैली रही है वह हम सबके लिए सदैव प्रेरणा की श्रोत रहेगी । माननीय केशोराम जी मेरे पड़ोसी जनपद बदायूं के रहने वाले थे केशोराम जी हमारे सदन के अंदर कई बार चुनकर आये । 1957-62-69 और 1980 में चुनकर आये थे । 1980 में मुझे उनके साथ इस सदन में बैठने का अवसर मिला । माननीय केशोराम जी बदायूं जनपद के एक लोकप्रिय व्यक्ति थे और हरिजनों की समस्याओं को बहुत ईमानदारी के साथ उठाया करते थे वह विशेषकर इस बात के लिए प्रतिष्ठित थे कि उनका रहन सहन गांधीवादी तरीके का था । वह ईमानदारी के

प्रतीक थे । आज उनके सुपुत्र इस सदन में राज्य मंत्री हैं लेकिन उनकी जो ईमानदारी थी और उनको जो सम्मान हमारे जनपद बदायूं और बरेली के अंदर रहा है मैं समझता हूं कि कम लोगों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है । उनके कमरे पर यदि कोई सदस्य या क्षेत्र का कोई व्यक्ति पहुंचता था तो उसका सत्कार वह आडम्बर से अलग होकर सम्मान के साथ किया करते थे । हमारे सदन की उन्होंने शोभा बढ़ायी है । वास्तव में देश और प्रदेश के अंदर किसानों के एक प्रतिनिधि के रूप में हमारे सदन में वह विराजमान रहा करते थे । उनके निधन से प्रदेश को बहुत बड़ी क्षति हुई है ।

मान्यवर, माननीय कन्हई सिंह जी हमारे जनपद के रहने वाले थे । उनका स्वर्गवास 3 मार्च, 1986 को हुआ । हमें उनके प्रति संवेदना प्रकट करने का अवसर आज प्राप्त हो रहा है । मैं समझता हूं कि पौने दो साल में यह सदन कई बार बैठा है, अधिकारियों ने उनके स्वर्गवास की सूचना इस सदन को बहुत देर में दी है । आज जब मैंने उनका नाम पढ़ा तो मुझे इस बात का बड़ा अफसोस हुआ कि अधिकारीगण भूतपूर्व सदस्यों के निधन का संदेश भी मुख्यालय पर इतनी देर से भेजते हैं । माननीय कन्हई सिंह जी हमारे जनपद के निवासी थे। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थे । उन्होंने काव्यमय पुस्तकें लिखी हैं, जिनको हमारे जनपद के लोग आल्हा और भजनों के रूप में गाते हैं। वह एक बार चुनकर आये थे लेकिन अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमेशा बड़ी मजबूती के साथ यहां पर रखा करते थे । जनता पार्टी के जमाने में थोड़े समय के लिए सदन में आने का उनको मौका मिला लेकिन वह क्षेत्र की समस्याओं के लिए सदैव संघर्ष किया करते थे । यद्यपि कोलाघाट के पुल के निर्माण की जो उनकी आकांक्षा थी वह आज तक पूरी नहीं की गयी है।

मान्यवर, यह अफसोस की बात है कि यह माननीय सदस्य जो हमारे इस प्रदेश के प्रकाश स्तम्भ के रूप में रहे हैं जिन्होंने प्रदेश को आगे बढ़ाया आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि इन सदस्यों के प्रति जो मैंने उद्गार व्यक्त किये हैं उनको उनके परिवार तक हमारी तरफ से और हमारे दल की तरफ से आप पहुंचाने की कृपा करेंगे ।

श्री मुलायम सिंह यादव –

मान्यवर, स्वर्गीय श्री रोशन जमां खां का निधन दिनांक 13 जुलाई, 1987 को गोण्डा के जिला चिकित्सालय में हो गया । वह 77 वर्ष के थे। मान्यवर, स्वर्गीय श्री राम किशोर वर्मा का निधन दिनांक 14 जुलाई, 1987 को कानपुर के एक चिकित्सालय में हो गया । वह लगभग 64 वर्ष के थे । मान्यवर, स्वर्गीय श्री मूल चन्द्र जी का निधन दिनांक 21 जुलाई, 1987 को हो गया । वह लगभग 60 वर्ष के थे । उनका जन्म जनपद सीतापुर के एक ग्राम में हुआ था। मान्यवर, भूतपूर्व सदस्या कुमारी कमल कुमारी गोईन्दी का निधन दिनांक 3 अगस्त, 1987 को गाजियाबाद में हो गया । वह लगभग 66 वर्ष की थीं । उन्होंने वर्ष 1957 के सामान्य निर्वाचन क्षेत्र करछना (इलाहाबाद) से कांग्रेस के टिकट पर विजयी होकर इस सम्मानित सदन में पदार्पण किया था । मान्यवर, भूतपूर्व सदस्य एवं राज्य मंत्री श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (बरेली), स्वर्गीय श्री सुखद राज सिंह (बहराइच), भूतपूर्व सदस्य एवं सांसद तथा केन्द्रीय सरकार के रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वर्गीय श्री शिवनारायण (बस्ती), भूतपूर्व सदस्य श्री कृष्ण सिंह जी,

भूतपूर्व सदस्य श्री केशव राम जी (बदायूं) और भूतपूर्व सदस्य श्री कन्हई सिंह (शाहजहांपुर), ये मान्यवर सभी हमारे सम्मानित सदन के भूतपूर्व सदस्य रहे हैं और हर तरह से प्रदेश की जनता की समस्याओं को लेकर इस सदन की सेवा की और अपने जिलों में सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र में बहुत बड़ी सेवा की । मान्यवर, इन सभी माननीय सदस्यों के निधन से हम सभी दुःखी हैं । हमारी आपसे प्रार्थना है कि इन सभी भूतपूर्व सदस्यों के परिवार तक हमारी संवेदना पहुंचाने की कृपा करें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, भूतपूर्व सदस्या कुमारी कमल कुमारी गोईन्दी वर्ष 1957 में कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र करछना (इलाहाबाद) से चुनकर आई थीं। वह हरियाणा की रहने वाली थीं, उनका पूरा परिवार गांधीवादी विचार-धारा से ओत-प्रोत था । मान्यवर, वह बाहर से आकर और इलाहाबाद से चुनाव जीतकर, वहां की जनता से हिल मिल गयी थी ।

मान्यवर, अभी उनका निधन हुआ और इलाहाबाद जनपद में हीबट रोड पर उनका मकान था, उसे जला कर खाक कर दिया गया, यह बड़े दुःख की बात है । मान्यवर, इस तरह की जो घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं, यह बहुत ही दुःख की बात है । मान्यवर, स्वर्गीय श्री शिवनारायण जो कि इस सभा के सदस्य रहे हैं, विधान परिषद् के भी सदस्य रहे और लोक सभा के भी सदस्य रहे तथा केन्द्रीय सरकार के रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री भी रहे हैं, वे मान्यवर बहुत ही हाजिर जवाबी व्यक्ति थे । वे पढ़े-लिखे विद्वान व्यक्ति थे । उन्हें काफी ज्ञान था । वे पार्लियामेंटेरियन थे । मान्यवर, ऐसे संसदीय ज्ञान का व्यक्ति हमारे इस प्रदेश से चला गया, इसका हमको और हमारे दल को बहुत दुःख है । माध्यवर, इसी के साथ-साथ स्वर्गीय श्री कन्हई सिंह की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं । मान्यवर, उनकी मृत्यु 3 मार्च, 1986 को हुई और माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उनके निधन का प्रस्ताव आज लाया गया । मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसमें कुछ ऐसी कार्यवाही होनी चाहिए ताकि निधन के निर्देश सदन में समय से लाये जायं । मान्यवर, माननीय कन्हई सिंह का 3 मार्च, 1986 को निधन हो गया और उनकी मृत्यु का समाचार सदन में आज दिया जा रहा है । मान्यवर, श्री रोशन जमा खां, राम किशोर वर्मा, मूल चन्द जी और मान्यवर, सत्य प्रकाश जी जो बरेली से विधान सभा के 2 बार सदस्य रहे, 1974 में हम लोगों के साथ चुनकर आये थे और 77 में राज्य मंत्री भी रहे, उनके बारे में मुझे इतना ही कहना है कि इनको संसदीय कार्य का ज्ञान था और बड़े ही हंसमुख आदमी थे और इस विधान सभा में उन्होंने जो योगदान दिया है, वह भुलाया नहीं जा सकता । श्री सुखद राज सिंह, कृष्ण सिंह जी, केशव राम जी और कन्हैया सिंह जी, इन सबके प्रति कृपया हमारे दल की तरफ से और हमारी तरफ से इनके शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं भेजने की कृपा करें ।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, स्वर्गीय श्री रोशन जमा खां, स्वर्गीय श्री राम किशोर जी, स्वर्गीय श्री मूल चन्द जी, स्वर्गीय कुमारी कमल कुमारी गोईन्दी, स्वर्गीय श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल बरेली, स्वर्गीय श्री सुखद राज सिंह बहराइच, स्वर्गीय श्री शिव नारायण जी, स्वर्गीय श्री कृष्ण सिंह जी, स्वर्गीय श्री केशो राम जी और स्वर्गीय श्री कन्हई सिंह जी के निधन के संदर्भ में माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं

ने जो शोकोद्गार प्रकट किये हैं उनके साथ मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, इनमें से अनेक ऐसे माननीय सदस्य रहे हैं जिनके साथ इस सम्मानित सदन में बैठने का सौभाग्य मुझे भी मिला है और इनमें से कुछ ऐसे भी रहे हैं जिनके साथ काम करने का अवसर भी मुझे मिला है । मान्यवर, स्वर्गीय श्री सत्य प्रकाश जी अग्रवाल, बरेली, 2 बार इस विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए और प्रदेश के राज्य मंत्री भी रहे । उनके उठ जाने से मात्र एक परिवार अथवा एक महानगर को ही क्षति नहीं हुई है अपितु एक प्रकार से हमारे पूरे प्रदेश की गहरी क्षति हुई है । श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल का स्वभाव बड़ा सौम्य था वह समस्याओं से जूझते थे । समाज के किसी वर्ग के साथ, किसी के द्वारा अगर कहीं अत्याचार या शोषण होता था तो वह सदैव प्रकट होकर सबसे पहली कतार में खड़े दिखाई देते थे । हमने कभी भी उनका क्रोध आते नहीं देखा । विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने बड़ी सूझ-बूझ से समस्याओं का समाधान निकाला । वह कितने लोकप्रिय थे यह सिर्फ एक बात से स्पष्ट हो जाता है, जिस दिन उनका निधन हुआ था, संयोगवश मैं उस दिन मुरादाबाद में था । जैसे ही मुझे निधन का समाचार मिला मैं तत्काल मुरादाबाद से बरेली आया था । बरेली में प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक राजनीतिक दल के असंख्य लोग उनकी शवयात्रा में सम्मिलित थे और हर आंख उनके उठ जाने से गीली नजर आ रही थी, ऐसे थे सर्वजनप्रिय नेता सत्य प्रकाश अग्रवाल जी । आज वह हमारे बीच में नहीं हैं, हमें इसका बड़ा गहरा दुःख है। इसी प्रकार से सुखद राज सिंह जी, बहराइच से 2 बार इस विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे वह बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता थे । कहीं भी कोई अत्याचार हुआ, सुखदराज सिंह जी सबसे पहले लाइन में खड़े दिखाई देते थे। आज उनके उठ जाने से पूरा बहराइच जिला शोक संतप्त है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति अपने और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि इन सभी दिवंगत आत्माओं के शोक संतप्त परिवारों तक मेरे और मेरे दल की शोक संवेदनाएं भिजवाने का कष्ट करें ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, स्व0 श्री रोशन जमां खां, राम किशोर वर्मा जी, कु0 कमल कुमारी गोईन्दी, सत्य प्रकाश अग्रवाल, सुखद राज सिंह, शिव नारायण, कन्हई सिंह, केशोराम, श्री कृष्ण सिंह इन सभी लोगों के बारे में जो विचार माननीय नेता सदन और अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। इन लोगों के निधन से मुझे और मेरे दल के सभी लोगों को महान कष्ट हुआ है । मेरा आपसे अनुरोध है कि इन सबके शोक संतप्त परिवारों को हमारी ये शोक संवेदनाएं भिजवाने का कष्ट करें ।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, इस सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री रोशन जमां खां, राम किशोर वर्मा, मूलचन्द्र, कु0 कमल कुमारी, सत्य प्रकाश, सुखद राज सिंह, शिव नारायण सिंह, कन्हई सिंह, केशोराम, श्रीकृष्ण सिंह के सम्बन्ध में नेता सदन ने जो शोक प्रस्ताव किया है और उनके सम्बन्ध में जो भावनाएं व्यक्त की हैं तथा विपक्षी दलों के अन्य नेताओं ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, उनके प्रति मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, इन नेताओं के निधन से हमारे उत्तर प्रदेश की राजनीति में

बहुत बड़ा अभाव हुआ है, जिसकी पूर्ति होना सम्भव नहीं है । ये नेतागण अपने अपने क्षेत्रों के लोकप्रिय नेता थे और वहां की जनता से उनका अटूट सम्बन्ध था। मैं इन नेताओं के प्रति अपनी और अपने दल की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे और मेरे दल की तरफ से इन संवेदनाओं को उनके शोक संतप्त परिवारों को भेजने का कष्ट करें ।

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, श्री रोशन जमां खां, राम किशोर वर्मा, मूलचन्द्र, कु0 कमल कुमारी गोईन्दी, सत्य प्रकाश, सुखद राज सिंह, शिव नारायण सिंह, कन्हई सिंह, केशोराम, श्री कृष्ण सिंह ये इस सदन के भूतपूर्व सदस्य थे, जिनमें से कुछ के साथ मुझे भी काम करने का मौका मिला। खास तरह से श्री रोशन जमां खां, ये हमारे जिले के रहने वाले थे और वहां की सियासत के मजबूत खम्भे थे । शराफत, साफगोई और ईमानदारी उनकी सियासी जिन्दगी के अंग थे । उनके निधन से बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही है और उसकी पूर्ति आसान नहीं है । मान्यवर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे ये ख्यालात उनके खानदान को पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, स्व0 श्री रोशन जमां खां, श्री राम किशोर वर्मा, श्री मूलचन्द्र, कु0 कमल कुमारी, सत्य प्रकाश, सुखद राज सिंह, शिव नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, श्री केशो राम, श्री कन्हई सिंह के सम्बन्ध में नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं ने जो संवेदनाएं व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने को और अपने प्रगतिशील विधायक दल को सम्बद्ध करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी श्रद्धांजलि के ये पुष्प उनके शोक संतप्त परिवारों को भेजने का कष्ट करें ।

*श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, जिन विभूतियों के शोक के सम्बन्ध में हम लोग अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं, ये देश और प्रदेश की ऐसी विभूतियां थीं, जिनके न रहने पर हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक बहुत बड़ा अभाव पैदा हुआ । मान्यवर, इन दिवंगत आत्माओं में कुछ ऐसे भी मा0 सदस्य थे जिनके साथ इस मा0 सदन में बैठकर काम कराने और सुनने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था । सत्य प्रकाश अग्रवाल जी इस प्रदेश के राज्य मंत्री रहे, विधायक रहे। उन्होंने जिस निष्ठा और शालीनता के साथ अपने कार्य का निर्वहन किया, वह सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में एक आदर्श है । इसी तरह मान्यवर हमारे देश में ही नहीं विश्व साहित्य में, महादेवी जी के न रहने से एक बहुत बड़ा अभाव पैदा हुआ है, साहित्य का एक युग ही समाप्त हो गया है । उनके निधन से न केवल साहित्य की, बल्कि समाज की उन रचनात्मक विधाओं को आघात पहुंचा है, जिनके सृजन में, जिनके निर्माण में, वे आजीवन लगी रहीं । मान्यवर, जिन सदस्यों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नेता विरोधी दल ने और अन्य विभिन्न दलों के नेताओं ने जो अपने शोकोद्गार व्यक्त किये हैं, उससे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे दल की हार्दिक संवेदनायें उनके परिवार तक भेजने की कृपा करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, सत्य प्रकाश अग्रवाल जी दो बार इस विधान सभा में चुनकर आये, मैं उसी विधान सभा क्षेत्र बरेली बावन से चुनकर आया हूं । श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जी 1974 में जनसंघ के निकट पर और 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर चुनकर आये थे। उनके निधन से बहुत बड़ा आघात हमारी पार्टी को ही नहीं, बरेली नगर को भी लगा। उनकी शवयात्रा इतनी बड़ी थी, वैसी बड़ी शवयात्रा बरेली के लोगों ने कभी नहीं देखी थी। वह इस बात का प्रमाण थी कि सत्य प्रकाश जी से कितना लगाव था लोगों का । मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, स्व0 शिवनारायण जी बस्ती जिले के निवासी थे । मैं उसी जिले से चुनकर आया हूं । बस्ती जिले के गांव के एक अत्यन्त ही गरीब हरिजन परिवार में उनका जन्म हुआ था । बड़ी गरीबी में वे पले । बड़ी कठिनाई में वह पढ़े उनका स्वभाव बड़ा सरल था । बड़ा ही संघर्षशील उनका जीवन था । आत्मबल उनमें बहुत अधिक था । क्योंकि जिस परिवार में उन्होंने जन्म लिया था, सामाजिक व्यवस्था इतनी खराब है कि आदमी हीनता का अनुभव करता है । लेकिन, उनमें आत्मबल इतना अधिक था कि उन्होंने कभी हीनता का अनुभव नहीं किया । अपने सरल स्वभाव संघर्ष शील जीवन और समान रूप से लोगों से मिलते रहने के कारण वे बड़ी ही लोकप्रिय हो गये । उसके बाद विधान सभा के लिये चुने गये, विधान परिषद् के लिये चुने गये, लोकसभा के लिये चुने गये । केन्द्रीय सरकार में राज्यमंत्री भी रहे । जिस वक्त जनता पार्टी में वे राज्य मंत्री थे, उस समय उनकी पुरानी पीड़ा उभर कर आयी । मुझसे एक बार कहे कि हरीश जी 40 लाख की आबादी का यह जिला है, 7 हजार गांव हैं, लेकिन जिले का बहुत बड़ा क्षेत्र रेलवे लाइन से न जुड़े होने के कारण यहां का विकास नहीं हो पा रहा है । उनका कहना था कि सहजनवां से नखैरा-बांसी-डुमरियागंज होते हुए बलरामपुर तक रेलवे लाइन बन जाय, तो यहां का काफी विकास हो सकता है । योजना बनायी गयी थी, लेकिन उसके बाद ही उनकी सरकार गयी और उनका निधन भी हो गया । मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और निवेदन करता हूं कि उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब सहजनवां से बखिरा बांसी-डुमरियागंज होते हुए बलरामपुर तक रेलवे लाइन बन जायेगी । मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी और हमारे दल भारतीय जनता पार्टी की संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक भिजवाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

भूतपूर्व सदस्य मा0 रोशन जमां खां, मा0 राम किशोर वर्मा जी, मा0 मूल चन्द्र जी, मा0 कुमारी कमल कुमारी जी, मा0 सत्य प्रकाश अग्रवाल जी, मा0 सुखदराज सिंह जी, मा0 शिवनारायण जी, माननीय रोशन जमां खां, जिनका 77 साल की उम्र में निधन हुआ और जिला गोण्डा से सन् 1946 में चुने गये, माननीय श्री केशो राम जी जिनका निधन 92 वर्ष की उम्र में हुआ और जन्म 1895 में बदायूं में हुआ था, माननीय मूल चन्द्र जी का निधन 60 वर्ष की उम्र में हुआ, वह 1957 में जिला सीतापुर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

से उत्तर प्रदेश विधान सभा में निर्वाचित होकर आये थे, माननीया कमल कुमारी गोईन्दी जी का निधन 66 वर्ष की उम्र में हुआ, वह सन् 1957 में इलाहाबाद के निर्वाचन क्षेत्र करछना से विजयी होकर इस सदन में आई थीं, श्री सत्य प्रकाश जी का निधन 55 वर्ष की उम्र में हुआ, उनका जन्म सन् 1932 में जिला बरेली में हुआ था, वह 1974, 1977 में जिला बरेली से चुनकर आये थे, माननीय सुखद राज जी का निधन मात्र 47 वर्ष की उम्र में हुआ, वह 1974-1977 में बहराइच से चुनकर इस विधान सभा में आये ।

माननीय श्री शिव नारायण जी का निधन 74 साल की उम्र में हुआ, उनका जन्म 1913 में हुआ था, वह 1952 में जिला बस्ती से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे और 1958 से 1962 तक विधान परिषद् के सदस्य भी रहे और इसके बाद वह 1962, 1967 और 1977 के निर्वाचनों में विजय प्राप्त करके लोकसभा के सदस्य भी रहे । इसके साथ ही वह केन्द्रीय सरकार में रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री भी बनाये गये और वह लोक सभा की लोकलेखा समिति के भी सदस्य रहे, माननीय कृष्ण सिंह जी का निधन सन् 1987 में 84 साल की उम्र में हुआ, वह सन् 1962–67 में चुनकर आये, इसके साथ ही वह वन राज्य मंत्री भी रहे और लोक सभा के सदस्य भी रहे ।

माननीय कन्हई सिंह जी का निधन 64 साल की उम्र में हुआ, वह सन् 1977 में जिला शाहजहांपुर से निर्दलीय सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर इस सदन में आये, माननीय श्री राम किशोर वर्मा जी भी 1962 के निर्वाचन में जिला फतेहपुर से निर्वाचित होकर इस सदन में आये, उनका निधन 64 वर्ष की उम्र में हुआ, इन सभी के प्रति आप सभी माननीय सदस्यों ने जो भावनायें व्यक्त की हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं । आप सबकी सम्वेदनायें उन लोगों के परिवारों तक पहुंचाई जायेंगी । मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि दो मिनट के लिये खड़े होकर दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें ।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट मौन खड़े हुए ।)

यदि कुछ माननीय सदस्य रह गये हों, तो वह बाद में आ जायेंगे ।

तमिल नाडु के मुख्य मंत्री श्री एम0 जी0 राम चन्द्रन के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, मुझे अत्यन्त खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और लोकप्रिय नेता श्री एम0 जी0 रामचन्द्रन का निधन दिनांक 24 दिसम्बर, 1987 को प्रातः हृदयगति रुक जाने से हो गया । वह लगभग 70 वर्ष के थे । श्री रामचन्द्रन जी का जन्म दिनांक 17 जनवरी, 1917 को हुआ था । सक्रिय राजनीति में प्रवेश के पूर्व श्री रामचन्द्रन तामिलनाडु फिल्मों के सुपर स्टार के रूप में अत्यधिक लोकप्रिय रहे। अपने फिल्मी जीवन में उन्होंने लगभग 125 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया । फिल्मों के साथ ही वह राजनीति से भी जुड़े रहे ।

राजनीति में आने के बाद श्री रामचन्द्रन जी विधान परिषद् के सदस्य भी चुने गये और लगभग 10 वर्षों तक उन्होंने मुख्य मंत्री पद को गौरवान्वित किया । मान्यवर, उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व-काल में बहुत से प्रशासनिक सुधार भी किये और मद्रास विश्व-

विद्यालय द्वारा उनको डाक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया था। मान्यवर, वह गरीबों के मसीहा थे और तामिल समस्या के समाधान के लिए उन्होंने भारत-श्रीलंका समझौते में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी किया, वह राष्ट्रीय एकता के प्रतीक थे और देश की अखंडता को बनाये रखने में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान किया। वह एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे और गरीबों के प्रति उनका अनन्य प्रेम था, उन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किया। गरीबी मिटाने के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया। उनके निधन से तमिलनाडु को व देश को जो क्षति पहुंची है, उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे व मेरे दल की ओर से ये संवेदना के भाव उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, माननीय श्री मदुरई गोपालन रामचन्द्रन के स्वर्गवास के संबंध में माननीय नेता सदन ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्री मदुरई गोपालन रामचन्द्रन को एम0 जी0 आर0 के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत रंगमंच से शुरू की और उसका अन्त राजनैतिक मंच पर हुआ। श्री रामचन्द्रन जी तमिलनाडु के बहुत ही लोकप्रिय मुख्य मंत्री ही नहीं अपितु एक व्यक्ति भी रहे। इसी 24 दिसम्बर को हृदयगति रुक जाने से उनका निधन हो गया। उनके निधन से पूरे तमिलनाडु में एक कोलाहल मच गया। यह देखा गया कि बहुत सी महिलायें अपना सिर पीट-पीट कर रो रही हैं और बहुत से लोगों ने आत्म-हत्या कर ली। यह उनकी लोकप्रियता का परिचायक है। श्री रामचन्द्र जी का जन्म 17 जनवरी, 1917 को श्रीलंका में हुआ था। वह बहुत ही गरीब परिवार में जन्में। आर्थिक समस्या के कारण उन्हें कक्षा 3 से ही अपनी स्कूल की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बड़े भाई की देख-रेख में उनका पालन-पोषण हुआ। उनकी यह विलक्षण प्रतिभा का ही परिचायक है कि वे यहां तक पहुंचे। उन्होंने अपने जीवन में लगभग 136 फिल्मों में काम किया इसके बाद वह डी0 एम0 के0 पार्टी में बहुत ही लोकप्रिय हुए। इसी लोक-प्रियता के कारण उन्होंने 234 सदस्यों की शीट वाली विधान सभा में अपने दल को 180 सीटें दिलवाईं। कामराज जैसे कांग्रेस के महारथी को कवल 13 सीटें मिल पाईं। 1971 में श्री करुणानिधि से उनका मनमुटाव हो गया। उस समय उनसे यह कहा गया था कि या तो वह राजनैतिक जीवन को स्वीकारें या फिर फिल्मी जीवन को स्वीकारें। इसी मनमुटाव के बाद 1972 में जब उन्होंने प्रत्येक मंत्री से अपनी सम्पत्ति का ब्योरा मांगा तो वहीं से दो दल बन गये। यहीं से उन्होंने अपनी पार्टी का नाम डी0 एम0 के0 से ए0 डी0 एम0 के0 रखा। इसी ए0 डी0 एम0 के0 के माध्यम से वह लगभग 10 वर्ष तक तमिलनाडु के मुख्य मंत्री रहे और वहां की जनता की सेवा की।

वह एक सच्चे देश भक्त थे और एक कुशल राजनीतिज्ञ थे साथ ही एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने जीवनपर्यन्त गरीबों, पिछड़ों व महिलाओं को न्याय दिलाने का प्रयास किया। यह तो सब को मालूम है कि श्री एम0 जी0 राम. चन्द्रन जी 1984 से बीमार हो गये। उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा, उसका इलाज कराने के लिए उन्हें अमेरिका जाना पड़ा और वहां पर उनके गुर्दे बदले गये। उन्हें दुबारा दिल का दौरा पड़ा और इसके बाद जब उनको तीसरी बार दिल का दौरा पड़ा तो उनका स्वर्गवास हो गया। उनके मरने पर भारत के राष्ट्रपति ने कहा कि आधुनिक भारत की एक विलक्षण प्रतिभा को हमसे छीन लिया गया है। वह

एक बहुत ही उच्च कोटि के व्यक्ति थे । उनके निधन से तमिलनाडु में ही नहीं श्रीलंका में व पूरे भारत में शोक की लहर फैल गयी । उनके निधन के समाचार को सुनकर देश के कोने-कोने में रहने वाले लोग हतप्रभ रह गये । ऐसी परिस्थितियों में ऐसे महान नेता के स्वर्गवास पर, उसके दिवंगत होने पर मेरा अनुरोध है कि मेरी और मेरे दल की भावनायें उनके परिवार के सदस्यों श्रीमती जानकी देवी और उनके पुत्र रवि तक ही नहीं बल्कि तमिलनाडु की जनता के बीच में हमारी और हमारे दल की शोक संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, तमिलनाडु के मुख्य मंत्री और ए0 डी0 एम0 के0 के नेता श्री एम0 जी0 रामचन्द्रन के निधन का जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, इससे न केवल तमिलनाडु की जनता दुखी है बल्कि पूरे देश के वे लोग जो गरीबी से निकले हैं, जिन्होंने गरीबी को देखा है और जो गरीबी के लिये लड़े हैं, जो कि कमजोर वर्ग के लोग हैं, वे सभी दुःखी हैं। स्वर्गीय रामचन्द्रन तमिलनाडु की सीमाओं को लांघकर सारे देश में विख्यात हो गये । आज उन्होंने साबित कर दिया कि केवल सम्पन्न और बड़े वर्ग के लोग ही नहीं बल्कि कमजोर वर्ग के लोग भी अपने परिश्रम और मेहनत से देश की और समाज की सेवा उच्च पदों पर रहकर कर सकते हैं। स्वर्गीय श्री रामचन्द्रन उनमें से एक थे । देश की राजनीति में बहुत से लोगों को उनसे प्रेरणा मिलेगी ।

मेरा अनुरोध है कि मेरी और मेरे दल की शोक संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, स्वर्गीय श्री एम0 जी0 रामचन्द्रन ने एक गरीब परिवार से लंका से अपनी यात्रा शुरू की और मद्रास में अपने जीवन के अन्त के समय न केवल तमिलनाडु या दक्षिण भारत बल्कि पूरे भारत में अपनी छवि बना ली थी । तमिलनाडु में उन्होंने ए0 डी0 एम0 के0 पार्टी को जन्म दिया और अन्ना दुराई के चरणों में बैठकर राजनीति की शुरुआत की । रुपहले परदे से आकर सिनेमा से आकर उन्होंने तमिलनाडु में राजनीतिक क्रान्ति कर दी । उन्होंने एक ऐसा स्वरूप बनाया डी0 एम0 के0 पार्टी का तथा बाद में ए0 डी0 एम0 के0 पार्टी का, जो आज तक अक्षुण्ण है। श्री रामचन्द्रन राजतीनिक सूझबूझ के आदमी तो थे ही, उन्होंने गरीबों के लिये बहुत सी योजनायें भी चलायीं। जो सबसे प्रसिद्ध योजना है, जिसे प्रमुखता मिली है, वह है दोपहर को प्राइमरी स्कूल के बच्चों को भोजन देने की योजना । कदाचित उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री भी इससे प्रेरणा लेकर यहां के प्राइमरी स्कूलों में भी वही योजना लागू करना चाहें । हालांकि बहुत से लोगों ने उसे अनुत्पादक योजना बताया, लेकिन चूंकि वे गरीबी में पले थे और गरीबी को जानते थे, अपनी बाल्यावस्था में भी वह कई-कई दिन तक भूखे रहे थे, इसलिए उन्होंने यह योजना चालू की । आज उस योजना को कई और राज्य सरकारें चला रही हैं। उनके लिये इससे बड़ी और श्रद्धांजलि क्या हो सकती है कि न केवल तमिलनाडु बल्कि पूरे भारत में स्वर्गीय श्री रामचन्द्रन को याद किया जा रहा है। कृपया मेरी ओर से और मेरे

दल की ओर से उनके शोक सन्तप्त परिवार को हमारी ये संवेदनायें भेजने का कष्ट करें ।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, स्वर्गीय एम0 जी0 रामचन्द्रन के निधन के सम्बन्ध में जो शोक संतप्त भावनायें माननीय नेता सदन ने और माननीय नेता विरोधी दल ने तथा माननीय अन्य नेताओं ने व्यक्त की हैं, उनके साथ मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। इस समय मुझे संस्कृत का एक श्लोक याद आ रहा है कि "क्रिया सिद्धिः सत्वे भवति नोपकरणे।" अर्थात् जो पुरुष अपने पौरुष पर निर्भर करता है, मात्र साधनों पर नहीं, उसका जीता जागता उदाहरण एम0 जी0 रामचन्द्रन में हमें देखने को मिलता था ।

वे एक अति निर्धन परिवार में पैदा हुए थे परन्तु उन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुआ । उन्होंने कला के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की इसके साथ ही साथ उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में भी अविस्मरणीय ख्याति अर्जित की । जितने सफल वे कला के क्षेत्र में सिद्ध हुए उतने ही सफल व प्रभावी वे राजनेता भी सिद्ध हुए । कला के साथ राजनीति में संघर्ष करना बड़ा दुर्लभ होता है परन्तु उन्होंने उजड़े हुए, पिछड़े हुए और गरीब लोगों के लिये सदा संघर्ष किया । उनका जीवन अनुकरणीय है, सराहनीय है। आज उनके उठ जाने से केवल तमिलनाडु की ही क्षति नहीं हुई है बल्कि पूरे देश की क्षति हुई है । उनके चले जाने से राजनीतिक क्षेत्र में गहरा शून्य पैदा हो गया है जिसकी पूर्ति होना सम्भव नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से स्वर्गीय श्री एम0 जी0 रामचन्द्रन को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी ये भावनायें उनके शोक संतप्त परिवार को, मेरी अपनी ओर से तथा मेरे दल की ओर से, पहुंचाने का कष्ट करेंगे ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, तामिलनाडु के मुख्य मंत्री स्वर्गीय एम0 जी0 रामचन्द्रन के निधन से मुझे और मेरे दल को महान कष्ट हुआ । उनके निधन से न केवल तामिलनाडु बल्कि पूरे राजनैतिक जगत को क्षति हुई है। वे एक साधारण परिवार में जन्मे थे और अपने परिश्रम से तमिलनाडु के मुख्य मंत्री का पद ग्रहण किया था लेकिन इसके बावजूद कभी भी वे अपने वर्ग को भूले नहीं थे । जिस वर्ग में वे पैदा हुए थे उसके लिए उनकी बराबर तवज्जह रही । उन्होंने हमेशा उस वर्ग के लोगों को याद रखा ।

आज के इस युग में, जबकि देश के अन्दर अराजकतावादी शक्तियां देश को विध्वंस करने की कोशिश कर रही हैं, ऐसे समय में इस महान पुरुष के उठ जाने से बड़ी तकलीफ की बात पैदा हो गयी है। स्वर्गीय एम0 जी0 रामचन्द्रन के सम्बन्ध में जो विचार, मा0 नेता सदन ने, मा0 नेता विरोधी दल ने और अन्य दल के माननीय नेताओं ने यहां रखे हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, तमिलनाडु के मुख्य मंत्री एम0 जी0 रामचन्द्रन् के सम्बन्ध में अभी माननीय नेता सदन ने जो प्रस्ताव रखा है और उनके जीवन के बारे में जो भावनायें व्यक्त की हैं तथा विपक्षी दल के मा0 नेताओं ने उनके सम्बन्ध में जो भावनायें व्यक्त की हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, एम0 जी0 रामचन्द्रन् का निधन ऐसी घड़ी में हुआ है जब देश के लिए सचमुच जनहित के लिए उनकी जरूरत थी। भारत-लंका एकार्ड के बाद लंका में शान्ति सेना गयी है। जिस तरह से एल0 टी0 टी0 ई0 के साथ वह उलझ गयी है, उससे हमारे देश का हर नागरिक चिन्तित है। ऐसी घड़ी में एम0 जी0 रामचन्द्रन् का जीवित रहना देश के हित में था। बड़ा दुख है कि आज वे हमारे बीच में नहीं रहे। उन्होंने अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना की थी। अन्नादुराई को वे अपना मसीहा मानते थे। बाद में उन्होंने अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम् का नेतृत्व किया और एक सफल नेतृत्व किया, जिसके देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उनके 10 वर्ष के कार्यकाल में तमिलनाडु का बहुत विकास हुआ और वहां की जनता का उनसे बड़ा लगाव हो गया था, उनकी बड़ी लोकप्रियता थी कि उनके मरणोपरान्त लाख दो लाख जनता की भीड़ उमड़ पड़ी थी। वह बड़े लोकप्रिय नेता हुए। वह एक छोटे परिवार और गरीब परिवार में पैदा हुए थे। उन्होंने 7 वर्ष की उम्र में कला के क्षेत्र में प्रवेश किया और वहां पर अपना नाम कमाया। वह हमारे देश के महान नेता थे, उन्होंने अपना नाम कमाया और उनके निधन से जो रिक्तता आयी है, उसका पूरा होना सम्भव नहीं है। उनका निधन ऐसी घड़ी में हुआ जब कि लंका और भारत का एकार्ड जो हुआ, उसको कामयाब बनाने में उनकी आवश्यकता थी। आपसे प्रार्थना है कि आप हमारी ओर से और हमारे दल की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार को सम्वेदना भेजें और श्रद्धांजलि अर्पित करने की कृपा करें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, एम0 जी0 रामचन्द्रन के स्वर्गवास के बारे में माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को तथा प्रगतिशील विधायक दल की ओर से सम्बद्ध करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरी श्रद्धांजलि उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, अंग्रेजी के महान साहित्यकार शेक्सपियर ने कहा है कि कुछ लोग जन्म से महान पैदा होते हैं, कुछ लोग महानता प्राप्त करते हैं और कुछ लोगों पर महानता थोप दी जाती है। एम0 जी0 रामचन्द्रन ऐसे व्यक्तियों में से थे कि उन्होंने जन्म से महानता प्राप्त की। वह बड़े ही गरीब और विपन्नता की स्थिति में थे और इसके बावजूद भी उन्होंने कला और राजनीति में चरम सीमा पर पहुंचने की कोशिश की और वह पहुंचे भी। उनकी लोकप्रियता उस समय देखने को मिली जब उनके निधन के समाचार को सुनकर कई व्यक्तियों ने अपने जीवन को समाप्त कर लिया, आत्म हत्या कर लिया और वहां के शासन के लिए शांति और व्यवस्था बनाने में कठिनाई हुई। मुझे इस बात की खुशी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना प्रतिनिधि

भेजकर उनके निधन पर इस प्रदेश की जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की और उनको सम्मान दिया ।

मान्यवर, एम0 जी0 रामचन्द्रन का जीवन एक ऐसा जीवन रहेगा, जो इस देश के करोड़ों नवजवानों और ऐसे लोगों को प्रेरणा देगा जो गरीबी की गोद में पैदा हुए हैं और जिनके पास कोई साधन नहीं हैं, उनको संघर्ष करने की प्रेरणा देता रहेगा । इन शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार को मेरी संवेदनायें भेजने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

तमिलनाडु के मुख मंत्री, एम0 जी0 रामचन्द्रन हमारे बीच नहीं रहे । लंका की गुत्थी को सुलझाने वाला व्यक्ति उठ गया । उनका इस गुत्थी को सुलझाने में काफी हाथ था । मैं समझता हूं कि उनके जल्दी उठ जाने का एक कारण यह भी है । जिस तरीके से उनके निधन पर समुद्र उबल आया था, यही उनकी लोकप्रियता का उदाहरण है। राजनीति में आने से पहले वे फिल्मी दुनिया के सबसे चोटी के सुपर स्टार थे । उसके बाद वे एम0 एल0 ए0 रहे और दस साल तक मुख्य मंत्री रहे। उनके कार्यकाल में जितनी प्रशासनिक तब्दीलियां (एडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्म्स) लाई गईं, मैं समझता हूं कि कम ही प्रदेशों में ऐसा हुआ । आप सबने जो भावनायें व्यक्त कीं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। आप सब की संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचायी जायेंगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप दो मिनट मौन खड़े होकर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें ।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट मौन खड़े हुए।)

कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, मुझे अत्यन्त दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि श्रीमती महादेवी वर्मा जो हिन्दी साहित्य में छायावाद युग की अन्तिम कवयित्री थीं, उनका निधन 11 सितम्बर, 1987 को इलाहाबाद में हो गया । वह लगभग 80 वर्ष की थीं । उनके जीवन के अवसान के साथ ही हिन्दी जगत को अपनी अकम्पित ज्योति से आलोकित करने वाली दीपशिखा बुझ गयी । 1918 में उन्होंने खड़ी बोली में पहली कविता लिखी । आधुनिक हिन्दी काव्य जगत की मीरा ने हिन्दी पद्य के साथ-साथ गद्य साहित्य का भी भण्डार भरा । उन्हें मंगला प्रसाद, भारत-भारती एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार सरीखे उच्चकोटि के पुरस्कार तथा पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया । उनकी प्रसिद्ध काव्य-मणियों में नीहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत (यामा के रूप में) तथा "दीपशिखा" हैं। गद्य मंजूषा में अतीत के चलचित्र श्रृंखला की कड़ियां, स्मृति की रेखायें पथ के साथ साहित्यकार की आस्था आदि हैं। साहित्यकार, चित्रकार तथा मूर्तिकार होने के साथ ही वह एक अत्यन्त प्रभावशाली व्याख्याता और समाज सेविका भी थीं। उनकी भाषण कला ऐसी थी कि वक्ता और श्रोता का इतना सीधा तादात्मय मिलना अत्यन्त कठिन है। साहित्यिक और सामाजिक कार्यों के साथ ही वह देश के स्वतंत्रता आन्दोलन में भी निरन्तर सहयोग देती रही हैं। सन् 1942 के

स्वतंत्रता-संग्राम में उन्होंने जिस अडिग धैर्य और अटूट साहस के साथ विद्रोहियों का साथ दिया वह अत्यन्त रोमांचकारी और आश्चर्यजनक है। 1952 में वह विधान परिषद् की सम्मानित सदस्या मनोनीत हुईं। महादेवी जी का व्यक्तित्व जितना सरल, मधुर, करुण और कोमल है, उनका कृतित्व उतना ही उदान्त, व्यापक, विराट एवं महान है। उनके निधन से हिन्दी साहित्य का एक देदीप्यमान सितारा अन्तरिक्ष में विलीन हो गया। उनके निधन से जो क्षति हुई है, मेरा अनुरोध है कि उनके शोक संतप्त परिवार तक मेरी, मेरे दल और इस सदन की ओर से समस्त सदस्यों की संवेदनायें आप पहुंचाने का कष्ट करें।

नेता, विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, नेता सदन ने भारतीय महान कवयित्री स्वर्गीय महादेवी वर्मा के प्रति जो विचार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, महादेवी वर्मा के निधन से हिन्दी साहित्य को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है और हिन्दी साहित्य का प्रकाश स्तम्भ ही बुझ गया है। स्व0 महादेवी वर्मा जी का नाम लेने से ही नारी जाति की शालीनता, गम्भीरता, सहिष्णुता, सहनशीलता, कलाप्रियता साकार होती है। यह विरले लोगों को हक हासिल होता है कि वह कविता के साथ ही गद्य लिखना जाने। लेकिन यह हक महादेवी जी को हासिल था जिन्होंने बड़ी दक्षता और लोकप्रियता के साथ कविता के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की और उससे कहीं कम नहीं, निबन्ध के क्षेत्र में भी लोकप्रियता प्राप्त की। घर आंगन से लेकर पर्वतों के शिखर तक को इसमें सम्मिलित किया और जानवरों में हिरन से लेकर गिलहरी तक को स्थान दिया तो इस तरह के उदाहरण उनके निबन्ध के उदाहरण हैं। हिन्दी साहित्य को महादेवी वर्मा जी ने गौरवान्वित किया।

श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ और 9 साल की अवस्था में उनका विवाह डा0 स्वरूप नारायण वर्मा जी से हुआ था वह एक प्रतिभाशाली छात्रा रही और हर कक्षा में प्रथम स्थान में उत्तीर्ण हुईं एम0 ए0 तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह प्राचार्य भी रहीं। दाम्पत्य जीवन जब उनके साहित्य प्रेम में बाधक बना तो उससे अलग होकर उन्होंने अपना जीवन पूर्णरूप से साहित्य में समर्पित कर दिया। उन्होंने जहां अपने जीवन में गांधी जी से प्रेरणा ली वहीं कविता के क्षेत्र में रवीन्द्रनाथ टैगोर से प्रेरणा ली। उनके साहित्य में गम्भीरता, मार्मिकता और संवेदनशीलता और सहृदयता झलकती है। उनकी रचनाओं में "यामा" बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनको साहित्यिक सेवा के लिये अनेक पुरस्कार भारत भारती, ज्ञानपीठ और अलंकरण पद्म भूषण आदि से सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा जी ने अपने जीवन के 80 वर्ष हिन्दी साहित्य को उठाने में उसे गौरवमय स्थान दिलाने में व्यतीत किये। मैं समझता हूं कि हिन्दी साहित्य उनका सदैव ऋणी रहेगा। विरह वर्णन जब वह करती थीं तो सचमुच में विरह प्रदर्शित होता था। मैं उनकी दो पंक्ति उनके सम्मान में वर्णन करना चाहता हूं उन्होंने लिखा है—

"मैं नीरभरी दुःख की बदली,
परिचय इतना, इतिहास यही
उमड़ी कल थी मिट आज चली,
मैं नीरभरी दुःख की बदली।

मैं समझता हूं कि हिन्दी साहित्य में उनके चले जाने से एक बहुत बड़ी शून्यता पैदा हो गयी है। हमारे प्रदेश में 1952 में वह विधान परिषद् में मनोनीत हुईं। वास्तव में ऐसे ही व्यक्ति जो किसी क्षेत्र में विशेषता रखते हैं उनको परिषद् में मनोनीत किया जाना चाहिए ताकि वह राजनैतिक जीवन में भी बहैसियत सदस्य के रूप में गरीबों के कल्याण तथा प्रदेश के हित में काम कर सकें और काव्य की भी सेवा कर सकें। मैं ऐसे महान साहित्यकार और समाजसेवी को अपने दल और अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि उनके परिवार तक हमारी संवेदना पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, स्व0 महादेवी वर्मा जी के निधन से हमारे हिन्दी साहित्य जगत में अपूर्णीय क्षति हुई है लेकिन देश में जब-जब मुसीबत जनता पर आयी तो महादेवी वर्मा तो केवल साहित्यिक न रहकर देश के प्रति भी सोचा। आपको याद होगा जिस समय इस देश में इमरजेन्सी लगी थी उस समय बोलने की हिम्मत लोग नहीं करते थे, उस समय स्वर्गीय महादेवी वर्मा ने इमरजेन्सी का जिन शब्दों में विरोध किया था वह कभी भुलाया नहीं जा सकता और अभी अभी अपने जीवन के अंतिम समय में देश में फैले भ्रष्टाचार के प्रति जो उनकी चिन्ता थी, जो व्याकुलता थी वह उनके लेखों और बयानों में मान्यवर, आपने स्वयं पढ़ा होगा और सारा सदन जानता होगा कि उन्होंने राष्ट्र भाषा हिन्दी की बहुत सेवा की जिसका जितना वर्णन करें वह पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन हमारी सरकार से एक ही मांग है और मा0 अध्यक्ष महोदय आपसे प्रार्थना है कि वास्तव में शब्दों से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के बजाए आज सदन यह संकल्प करे कि अंग्रेजी में किसी प्रकार का कोई काम नहीं होगा बल्कि सारा काम राष्ट्र भाषा हिन्दी में होगा और सदन का एक प्रस्ताव भी आये कि संसद और केन्द्र सरकार भी अपनी देशी भाषा, राष्ट्र भाषा हिन्दी में काम करे अंग्रेजी में नहीं, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसलिए हम सरकार से और मुख्य मंत्री जी से उम्मीद करेंगे कि इस पर चलने की कोशिश करेंगे, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मान्यवर, हम सभी दुःखी हैं कि ऐसे हिन्दी की सेवा करने वाले महान देश भक्त को हमने खो दिया। हम अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनके जो भी परिवार में हों, जो संबंधी हों और जो शुभचिंतक हों उन तक हमारी संवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, स्वर्गीय महादेवी वर्मा हिन्दी की एक प्रख्यात कवयित्री ही नहीं थीं उन्होंने हिन्दी जगत को जो दिया है हिन्दी जगत के बहुत से कम लोगों से वह प्राप्त हुआ है। स्वर्गीय सुमित्रानन्दन पंत और श्रीमती वर्मा यह लोग छायावाद के प्रणेता माने जाते थे। छायावाद जो हिन्दी जगत में विशेष देन है उसकी अग्रणी महादेवी वर्मा मानी जाती हैं। उनकी कविता में समाज में फैली बुराईयों के खिलाफ विद्रोह परिलक्षित होता है। समाज में बदलाव लाने के लिए, देश में बदलाव लाने के लिए एक नयी सामाजिक संरचना के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है वह भुलाया नहीं जा सकता है। मान्यवर, उनकी केवल हिन्दी जगत तक ही सीमा नहीं थी बल्कि देश की स्वतंत्रता आन्दोलन में भी उन्होंने सहयोग दिया था। सामाजिक जीवन में उनके जो विचार थे

और जो उन्होंने आज से 50 साल पहले जो बातें कहीं थीं वह आज भी उतनी ही सही हैं जितनी उस समय थीं। स्वर्गीया महादेवी वर्मा विधान परिषद् की सदस्या 1952 में मनोनीत की गयी थीं। उनको प्रदेश और देश के बहुत से पुरस्कार मिले थे। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि ऐसी महान नेता के प्रति, ऐसी देश प्रेमी के प्रति, ऐसी साहित्यकार के प्रति जो हमारे बीच में आज नहीं हैं उनकी यादगार के लिए कोई ऐसी स्मृति बनाई जाए, जो हिन्दी को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें अनुसन्धान करने के लिए और बड़े-बड़े हिन्दी लेखकों व कवियों को पुरस्कृत करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे और मैं समझता हूं कि इसी तरह से हम उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। कृपया मेरी तरफ से और मेरे दल की तरफ से आप उनके शोक संतप्त परिवार तक सम्वेदना पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, स्वर्गीय महादेवी वर्मा जी के निधन के साथ छायावाद के युग का अन्त हो गया है। वह हिन्दी जगत की एक ऐसी नक्षत्र थी, जो सदैव आगे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देती रहेंगी। उनके व्यक्तित्व में सीता की शक्ति और मीरा की भक्ति का बड़ा अनुपम समन्वय था। यह दृढ़ निश्चयी थीं, लेकिन भावनाओं से अति कोमल और उनका जीवन त्याग और तपस्या, सेवा और साधना का प्रतीक था। उन्होंने सदैव नारी उत्थान और नारी के सम्मान के लिए संघर्ष किया। राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम उनके कण-कण में व्याप्त था। वह सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों की स्थापना की पक्षधर थीं। आज के इस युग में जबकि सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों का अपार ह्रास हो रहा है श्रीमती महादेवी वर्मा के उठ जाने से इस राष्ट्र को बड़ी अपूर्णीय क्षति पहुंची है। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि राष्ट्रभाषा हिन्दी को हम पूरे देश में गौरव प्रदान करें, भाषा को किसी पर थोपकर नहीं, बल्कि इसलिए कि हिन्दी देश की एकता की कड़ी है। उन्होंने सदैव इस कड़ी को देश की एकता की कड़ी के रूप में ही प्रयोग किया। हम हिन्दी राष्ट्र भाषा को वही स्थान और वही गौरव प्रदान करें। उनके गीतों में बड़ा गहरा दर्द था। उन्होंने अपने जीवन में सदैव कालकूट की अनुभूतियों को झेला है। मैं कह सकता हूं, इसे कोई अतिशयोक्ति न समझा जाए कि मीरा ने तो जीवन में एक बार इस कालकूट को पिया था, किन्तु उन्होंने अपने जीवन में इस कालकूट को कई कई बार पिया था। उनको अपने जीवन के हर कदम पर कालकूट को पीना पड़ा था और लिखने के साथ वह सदैव जलती रहीं। उनके उठ जाने से हिन्दी जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी मृत आत्मा को वह शान्ति प्रदान करे और सम्पूर्ण देश को जो इस समय शोक संतप्त है, शोक मात्र उनके परिवार तक ही सीमित नहीं है, सम्पूर्ण राष्ट्र उनके परिवार की तरह आज शोक संतप्त है, तो सम्पूर्ण राष्ट्र को इस महान दुःख को सहने की वह क्षमता और धैर्य प्रदान करे। इसके साथ में अपनी ओर से और अपने दल की ओर से स्वर्गीय महादेवी वर्मा के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप उनके परिवार तक इसे पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, स्व0 महादेवी वर्मा जी के बारे में जो शोकोद्गार नेता सदन और अन्य पक्ष के नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल

को सम्बद्ध करता हूं। महादेवी वर्मा जी के निधन से आज राष्ट्र को बड़ा कष्ट है, सम्पूर्ण हिन्दी जगत को उनके निधन से अपार कष्ट हुआ है। उनकी कृतियों के कारण उनका नाम हिन्दी साहित्याकाश में सदैव अमर रहेगा। मैं अपनी ओर अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारा संवेदना सन्देश उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दें।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने श्रीमती महादेवी वर्मा के निधन पर जो शोक प्रस्ताव रखा, उनके जीवन परिचय को पढ़ा एवं जो भावनाएं उन्होंने व्यक्त की हैं उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्रीमती महादेवी वर्मा छायावाद की बेजोड़ कवयित्री थीं उनके निधन से जो हिन्दी जगत में रिक्तता पैदा हुई है उसको पूरा करना असम्भव है श्रीमती महादेवी वर्मा जब 10 वर्ष की थीं तब से उन्होंने कविता लिखना शुरू किया था और जीवन के अन्तिम क्षणों तक कलम चलाती रहीं। शायद ही हिन्दी जगत में कोई ऐसा कवि हुआ हो। स्वर्गीया श्रीमती महादेवी वर्मा केवल कवयित्री ही नहीं थीं बल्कि वह एक राजनीतिक और सामाजिक नेता भी थीं। उन्होंने अपने को सन् 1942 के आन्दोलन में उन विद्रोहियों के साथ जोड़ा जो बगावत का झण्डा अंग्रेजों के खिलाफ लिए थे। हम चाहते हैं कि उनकी यादगार में कुछ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया जाना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने और अपने दल की ओर से श्रीमती महादेवी वर्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी तथा मेरे दल की ओर से शोक संवेदनायें उनके परिवार तक भेजने की कृपा करें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, स्वर्गीय श्रीमती महादेवी वर्मा ने हिन्दी साहित्य को समृद्ध बनाने में जो भूमिका अदा की है उसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जायेगा। उनकी मृत्यु पर जो भाव माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता सदन ने व्यक्त किए हैं उनसे मैं अपने को तथा प्रगतिशील विधायक दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे यह अनुरोध करता हूं कि हमारे श्रद्धा के फूल उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, मैं माननीय महादेवी जी के संबंध में उद्गार प्रकट कर चुका हूं, लेकिन मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि माननीय रेवती रमण जी ने जैसा कहा है कि महादेवी जी के नाम पर कोई शोध संस्थान की स्थापना करनी चाहिए। महादेवी जी जीवन भर जलकर दूसरों को रोशनी देती रहीं। महादेवी जी ने जीवन के अन्तिम क्षणों तक दूसरों को प्रकाश दिया है इसलिए उनकी याद में ऐसी संस्था का निर्माण किया जाये ताकि देश के प्रतिभाशाली लोग उससे लाभान्वित हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन्हें पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, श्रीमती महादेवी वर्मा जनपद फर्रुखाबाद और मेरे विधान सभा क्षेत्र फर्रुखाबाद में पैदा हुई थीं। विश्व के साहित्य जगत में सम्भवतः ही दूसरा व्यक्तित्व ऐसा हो जिसे इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई हो किन्तु जिसके बचपन के पृष्ठ इतने अजान

क अनखुले हों । मान्यवर, वह यद्यपि फर्रुखाबाद में पैदा हुई, किन्तु जिस तरह से पुण्य सलिला भागीरथी की धारा प्रयाग में जाकर मिली जो संगम के रूप में विख्यात होती है उसी तरह माननीया महादेवी की काव्य धारा फर्रुखाबाद से चलकर इलाहाबाद में प्रस्फुटित हुई । महादेवी जी का बचपन बहुत अभावों से गुजरा । बचपन में इनकी मां की मृत्यु हो गयी । जब महादेवी जी नौ-दस साल की थीं तब इनका विवाह हो गया वैवाहिक जीवन का आनन्द भी इनको नहीं मिल सका । इनको साहित्य जगत में मीरा भी कहा जाता है । यह जीवन भर मीरा की तरह ही रहीं उनके पति उनसे मिलने के बराबर प्रयास करते रहे लेकिन वह सफल नहीं हुए । जिस तरह इन्होंने हिन्दी जगत में प्रसिद्धी हासिल की उसी तरह से इनके पति ने चिकित्सा क्षेत्र में अपना स्थान बनाया । उनके पति उनसे मिलने के लिए बराबर प्रयास करते रहे । और नियति की यह विडम्बना रही कि दोनों मिल न सके, जैसे मीरा की राणा से भेंट नहीं हो सकी । डाक्टर साहब जीवन में प्रयास करते रहे लेकिन सफलता ऐसे दूर होती गयी जैसे कोई आलिंगन में आते-आते छूट गया । डाक्टर साहब के जीवन की विशेषता थी कि चिकित्सा में जो भी उपलब्धि होती थी उसको गरीबों में बांट देते थे । मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, महादेवी जी के निकट दर्शन करने का और उनसे वार्तालाप करने का मुझे सुअवसर मिला है । उनके बचपन की सहेली भूरी देवी जनपद फर्रुखाबाद के साहिबगंज-नारायण दास मोहल्ले की रहने वाली हैं जो उनके बचपन की कहानियों को बताती हैं । फर्रुखाबाद के लोगों ने बड़ा प्रयास किया था लेकिन महादेवी जी फर्रुखाबाद को छोड़ने के बाद वहां जाने के लिए तैयार नहीं थीं। एक छोटी सी घटना हो गयी थी जिसके कारण वह वहां जाना नहीं चाहती थीं । लेकिन मेरे अनुरोध पर और फर्रुखाबाद के बद्रीविशाल डिग्री कालेज के प्राचार्य श्री महिमा चन्द्र जी सक्सेना के विशेष अनुरोध पर महादेवी जी वर्मा फर्रुखाबाद 1972 के दीक्षान्त समारोह में गयीं । हमें उनसे निकट से वार्तालाप करने का अवसर मिला । जब मैंने पूछा कि फर्रुखाबाद कैसे छोड़ दिया तो उनकी वेदना प्रकट हुई थी और उन्होंने कहा था कि मैं चाहती हूं कि फर्रुखाबाद में हिन्दी भवन के नाम से कोई संस्थान बने । मैं पुनः हिन्दी भवन का उद्घाटन करने के लिए आना चाहती हूं । हम उनको मीरा कहते हैं । उन्होंने अपने जीवन की सारी अनुभूतियों को, सारी वेदनाओं को और सारी पीड़ाओं को जहां लेखनी के द्वारा जनमानस तक पहुंचाया और अपने जीवन की सारी अनुभूतियों को, भावनाओं को कविता के रूप में ढाला वहीं पर जब उन्होंने अपने हाथ में तूलिका पकड़ी तो जीवन के अनेक रूपों का बहुत अच्छा चित्रण भी उन्होंने किया । उन चित्रों में सारी वेदना, पीड़ा और समाज की सारी कुण्ठा मुखर हो उठी है । मैं चाहता हूं कि महादेवी जी वर्मा के जीवन से उन अनछुए पृष्ठों को उजागर करने के लिए हिन्दी भवन की उनकी अन्तिम अभिलाषा को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कोई ऐसे हिन्दी संस्थान का निर्माण करे जो साहित्य साधना का केन्द्र बन सके । महादेवी वर्मा ने अपने हृदय की तमाम अनुभूतियों का प्रकृति के साथ तदात्म्य किया है । जैसा कि "शेली" ने कहा है :—

अवर स्वीटेस्ट सांग्स आर दोज दैट टैल आफ सैडेस्ट थाट्स ।

हमारे मधुरतम संगीत वे होते हैं जिनमें जीवन की पीड़ा की गहनतम अनुभूति का प्रस्फुटन होता है। इस चीज को महादेवी वर्मा जी ने समृद्ध किया है अपने काव्य

के द्वारा । उनके प्रति माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने जो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है उससे मैं अपने को सम्बद्ध करते हुए अपनी ओर से, अपने क्षेत्र की जनता की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके निधन पर अभी मेरे मानस पर उभरी वेदना को कविता की चार पंक्तियां कहना चाहता हूं :—

"फूल की आंख आज रोती है,
वेदना छन्द के हृदय होती है,
व्योम में रह गए गीत युग के,
यामिनी शान्त सी आज सोती है ।"

इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः अपनी ओर से, अपने क्षेत्र की जनता की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहना चाहता हूं कि उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हमारी जब होगी, जब उनकी अभिलाषा के अनुसार, जैसा कि उन्होंने 1972 के दीक्षांत समारोह में कहा था, एक हिन्दी भवन या संस्थान का निर्माण फर्रुखाबाद में कराया जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

श्रीमती महादेवी वर्मा जी के निधन से जो हिन्दी साहित्य को धक्का पहुंचा है, उसका अन्दाजा लगाना मुश्किल है। उन्होंने जो सेवा हिन्दी की की है, वह बेमिसाल है। उन्हें मंगला प्रसाद, भारत-भारती एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार सरीखे उच्चकोटि के पुरस्कार और पद्मभूषण अलंकरण मिला । वह साहित्य और सामाजिक कामों के साथ ही मुल्क की आजादी की लड़ाई में भी हिस्सा लेती रहीं । वह विधान परिषद् की सदस्य भी 1952 में रहीं और वह अपने आखिरी दम तक जैसा मैंने अभी कहा, वह हिन्दी साहित्य के कामों में बराबर लगी रहीं। उनके प्रति आप सबने जो भावनाएं व्यक्त कीं, मैं अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप सब दो मिनट के लिए मौन खड़े हों ।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट मौन खड़े हुए ।)

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 12 बजकर 50 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
29 दिसम्बर, 1987 ।

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिए ता0प्र0सं0 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 8 पर)

राज्य सम्पत्ति निदेशालय के अभिलेखानुसार सरकारी बंगलों में अनधिकृत रूप से निवास कर रहे भूतपूर्व मन्त्रियों पर 11/87 तक बकाया

क्रम-सं0	अध्यासी का नाम	आवास संख्या	11/87 तक बकाया
1	2	3	4
1	श्री लक्ष्मीशंकर यादव	2, पुराना मन्त्री आवास	1,83,564.62
2	श्री बलराम सिह यादव	3, उप मन्त्री आवास	85,189.62
3	श्री जयराम गौतम	7, नया उप मन्त्री आवास	1,39,028.55
4	श्री शिवानन्द नौटियाल	1, उप मन्त्री आवास	1,36,498.85
5	श्री गोपाल राम दास	2, नया मन्त्री आवास	72,879.50
6	श्री स्व0 जयराम वर्मा	4, नया मन्त्री आवास	52,634.62
7	श्री रघुवीर सिह यादव	4, उप मन्त्री आवास	39,962.19
8	श्री गुलाब सेहरा	12, कालीदास मार्ग	92,533.59
9	श्री स्व0 वासुदेव सिह	2, टाइप-4 राज भवन	24,273.14
10	श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी	4, साऊथ एवेन्यू, गेस्ट हाउस	48,643.17
11	श्री हबीबुर रहमान नोमानी	10, ऐवट रोड नार्थ	1,98,712.40
12	श्री के0 एन0 राय	4, दारुलशफा	1,31,212.02
13	श्री दलजीत सिह	10, पुराना उपमन्त्री आवास	1,22,713.02
14	श्री अजीजुर रहमान	5-ए, उप मन्त्री आवास	74,904.06
15	श्री स्व0 राम सिह खन्ना	4, माल एवेन्यू सचिव आवास	94,690.84
16	श्री जगदीश प्रसाद इन्द्रजीत	1, माल एवेन्यू सचिव आवास	1,66,259.11
17	श्री मुजफ्फर हसन	5, साऊथ रोड	88,536.66
18	श्री एल0आर0 आचार्या	4, साऊथ एवेन्यू	41,272.00
19	श्रीमती इन्द्र मोहिनी	डी-7, बटलर पैलेस कालोनी	22,283.05
20	श्री संजय सिह	19, विक्रमादित्य मार्ग (कैसलेन रोड 6)।	7558.74
21	श्री जफर अली नकवी	1, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग	5,269.46
22	श्री सुनील शास्त्री	8, सचिव आवास माल एवेन्यू	5,204.55
23	श्री धीरेन्द्र सहाय	1, टाइप-5, राज भवन	1,15,746.97
		योग रु0	19,49,570.73

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0प्र0सं0 38 का उत्तर पीछे पृष्ठ 24 पर)

संलग्नक

विगत तीन वर्षों (1985-86 तथा 31-8-87 तक) में वन निगम के 7 डिपोज में हुई अग्नि दुर्घटनाओं से क्षति का विवरण

वन निगम के क्षेत्र का नाम	निगम वर्ष (1 अक्तूबर से 30 सितम्बर, तक)	डिपो जहां अग्नि से क्षति हुई	अग्नि क्षति का दिनांक	क्षतिग्रस्त सामग्री	क्षति का मूल्य (रुपए में)	बीमा कम्पनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति की धनराशि (रुपए में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
टिहरी क्षेत्र देहरादून	1984-85	छिड़क डिपो	10-3-85	भामड़घास 2,497.25 कु0	2,13,209.77	1,88,856.00	..
		टिवड़ी डिपो	14-3-85	भाभड़ घास 2,858.57 कु0	2,44,072.72	..	बीमा कम्पनी द्वारा वलेम का भुगतान से इंकार करने पर सम्बन्धित कम्पनी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
कुमाऊं क्षेत्र नैनीताल	तदैव	सुल्तान नगरी साल डिपो।	1-4-85	यूकिलिप्टस 5,770 घन मी0	3,040.24	3,040.24	
		टनकपुर डिपो नम्बर–1	15-6-85	जलौनी 48.00 चट्टा।	3,417.80	..	बीमा कम्पनी से क्षति पूर्ति हेतु कार्यवाही की जा रही है।
		टनकपुर डिपो नम्बर–1	12-6-85	साल 1,112 घन मी0	2,040.12	..	बीमा कम्पनी द्वारा भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गढ़वाल क्षेत्र कोटद्वार	1984-85	मोटाढ़ाक डिपो तृतीय।	5,-6-6-85	जलौनी 1,526.990 चट्टा	83,554.00	83,554.00	..
	1985-86	..	..	..	..	..	..
पूर्वी क्षेत्र गोरखपुर	1986-87	पकड़ी डिपो	5-4-87	जलौनी 441.000 (चट्टा)।	88,200.00		.. क्षतिपूर्ति हेतु बीमा कम्पनी से पत्राचार चल रहा है।
				क्षति का कुल योग रु0	6,37,533.65		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0प्र0सं0–51 का उत्तर पीछे पृष्ठ 29 पर)

वर्ष 1987–88 में—

दिनांक	क्रम-सं0	मार्ग का नाम
28–9–87	1	ओयल बेहजम भदूरा मार्ग
	2	मोहम्मदी बरवर जहानी खेड़ा मार्ग
	3	इनायतपुर से मुलतानपुर मार्ग
	4	अलीपुर लिंक मार्ग ।
24–9–87	1	खैराबाद लहरपुर मार्ग से अकबरपुर खुर्द मार्ग
	2	खैराबाद सीतापुर मार्ग से मूरी-खेरा गांव तक
	3	सीतापुर लहरपुर मार्ग से लक्ष्मन नगर तक।
22–9–87	1	सीतापुर गोला मार्ग
	2	पिसावां गोपामऊ मार्ग
	3	राष्ट्रीय मार्ग–24 से श्याम नाथ मन्दिर मार्ग।
27–8–87	1	अटरिया नीलगांव रोड
	2	सिधौली से सिधौली मिश्रिख मार्ग को जोड़ना ।
18–8–87	1	लखीमपुर मार्ग से नेवादा प्रेमसिंह मार्ग ।
13–8–87	1	मछरेहटा जलालपुर मार्ग ।
4–8–87	1	भोलागंज सांडा सकरन मार्ग
	2	करसा से रेउसा बहराइच मार्ग
	3	चीनी मिल महमूदाबाद मार्ग
	4	गोलक कोंडर से सीतापुर बहराइच मार्ग ।
	5	नूरपुर से महमूदाबाद मार्ग ।
30–7–87	1	हरगांव दतेली पिपरझला मार्ग
	2	पिसावां बरगावा मार्ग
	3	चंद्रा रमखेड़ा बरगावा मार्ग ।
17–6–87	1	जलालपुर मुख्वापुर मार्ग ।

वर्ष 1986–87

5–3–87	1	सीतापुर गोला मार्ग
20–2–87	1	मोहम्मदी बरवर जहानी खेड़ा मार्ग।
29–1–87	1	अटरिया नील गांव मार्ग ।
12–11–87	1	पसिगवां मोहम्मदी मार्ग ।
20–12–86	1	पिसावां बरगांवा मार्ग ।
14–10–86	1	लखीमपुर बिजुवा भीरा मार्ग
13–10–86	1	सिगांहरी खेरीगढ़ मार्ग
	2	बिलरायां चतन चौकी मार्ग ।
17–10–86	1	अटरिया नीलगांव मार्ग ।
28–7–76	1	सीतापुर गोला मार्ग
	2	सीतापुर बड़ागांव मार्ग
	3	हरगांव दतेली पिपरझला मार्ग
	4	बड़ागांव बसारा मार्ग ।

उत्तर प्रदेश सभा

दिनांक	क्रम-सं0	मार्ग का नाम
30-7-86	1	मोहम्मदी बरवर मार्ग
	2	लखीमपुर देवकली मार्ग।
28-6-86	1	पिसावां गोपामऊ मार्ग।

वर्ष 1985-86

1-3-86	1	सिकरोहरी से अटवा कटैवा मार्ग
	2	सिकरोहरी मार्ग।
16-2-86	1	ओयल बेहजम भ्दूरा मार्ग।
14-2-86	1	सिगाहो खैरीगढ़ मार्ग।
20-12-86	1	नेरी पडरवा मार्ग
	2	कोटरा से गुरेरा मार्ग
	3	सेनपुर से बलेदापुर मार्ग
	4	रसौरा बरियारपुर मार्ग।
4-10-86	1	पिसावां गोपामऊ मार्ग।
5-9-86	1	बिसवां महमूदाबाद मार्ग।
8-8-85	1	भोलागंज सांडा सकरन मार्ग
	2	महराज नगर से मदनापुर मार्ग।
16-6-85	1	मोहम्मदी गुलौली मार्ग।
1-6-85	1	जंगबहादुर गंज पसिगवां मार्ग
	2	सिसौरा नासिर से गोला शाहजहांपुर मार्ग के कि0मी0 45 तक मार्ग।
	3	इबराहीमपुर से गोला शाहजहांपुर मार्ग तक।
18-5-85	1	सीतापुर गोला मार्ग।
22-5-85	1	हरगांव पिपरझला दतेली मार्ग।
9-4-85	1	चटुवा से लहरपुर शाहपुर मार्ग तक सम्पर्क मार्ग।
9-4-85	1	मरसण्डा से लहरपुर शाहपुर मार्ग को जोड़ना
	2	भिटौली रसुवापुर मल्लापुर मार्ग
	3	शेरपुर से बिसवां लहरपुर मार्ग को जोड़ना
	4	गोकुलपुर से बिसवां लहरपुर मार्ग को जोड़ना
	5	नबीनगर से लहरपुर हरगांव मार्ग को जोड़ना।

विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0प्र0सं0 66 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर)

परिशिष्ट

प्रदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित की गयी पवन चक्कियां

क्रम-सं0	ग्राम का नाम	पवन चक्कियों की संख्या
1	मोहनलालगंज	3
2	अतरौली	1
3	गांधी वन, विन्दौआ	2
4	जबरौकी	1
5	दयालपुर	1
6	पूरनपुर	1
7	निगोहां	1
8	नगराम	1
	योग	11

अनुदान कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित पवन चक्कियों का विवरण

1	गौरा	1
2	गोपाल खेड़ा	1
3	मऊ	1
4	भवानी खेड़ा	2
5	सिसेण्डी	1
6	कनकहा	3
7	जबरौली	1
8	पुरसैनी	1
9	खुजौली	1
10	डेहवा	1
11	निगोहां	2
12	उतरावा	1
13	कुशभिटा	1
14	समेसी	1
15	करोरा	4
16	भदेसुआ	1
17	लालपुर दखिना	1
18	मदापुर	1
19	मोहनलालगंज	4
	योग	29

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता0 प्र0सं0–67 का उत्तर पीछे पृष्ठ 36 पर)

शासनादेश सं0 6927/18-प्रा0शि0-2-104(ई)ई डी/84, दि0 30-10-86 के अधीन सेलेक्शन ग्रेड के लिए पात्र व्याख्याता सिविल/मैकेनिकल/इ लेक्ट्रिकल की सूची

क–व्याख्याता सिविल अभियन्त्रण			राजकीय पालीटेकनिक
सर्वश्री			
1––आई0 पी0 गुप्ता	..	..	.. काशीपुर
2––डी0 पी0 गुप्ता	..	..	.. मुरादाबाद
3––मुरली धर	..	..	.. कानपुर
4––आर0 पी0 यादव	..	..	.. देवरिया
5––वी0 के0 शर्मा	..	..	.. श्रीनगर
6––डी0 पी0 सिंह	..	..	.. आजमगढ़
7––के0 बी0 भटनागर	..	..	.. देहरादून

ख–व्याख्याता यांत्रिक अभियन्त्रण			
1––एच0 एन0 कपूर	..	..	.. लखनऊ
2––अब्दुर्रुफ खां	..	..	.. गोण्डा
3––आर0 सी0 शर्मा	..	..	.. देहरादून
4––यू0 सी0 त्रिपाठी	..	..	.. बरेली
5––एच0 के0 रस्तोगी	..	..	.. बरेली
6––दर्शन सिंह खुराना	..	..	.. फैजाबाद
7––एस0 सी0 के0 सचदेवा	..	..	.. मुरादाबाद
8––डी0 एन0 श्रीवास्तव	..	..	.. गोरखपुर
9––चुन्नी लाल अरोड़ा	..	..	.. बरेली

ग–व्याख्याता विद्युत अभियन्त्रण			
1 उदयभान सिंह	..	..	.. लखनऊ
2––एफ0 ए0 खान	..	..	.. लखनऊ
3––नरेन्द्र कुमार	..	..	.. गाजियाबाद
4––आनन्द मोहन सहाय	..	..	.. इटावा

अनुभाग विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिए अता0प्र0सं0–69 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 पहले मंगलवार के लिए निर्धारित श्री भगवती सिंह का अतारांकित प्रश्न संख्या–69

क्रम	मार्ग का नाम	मजदूरों की संख्या	कार्य की अवधि	मजदूरों की दर प्रति दिन (रु0)	कि0मी0 संख्या	कटान की लम्बाई	भुगतान की तिथियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1—चिनहट जुग्गौर		245	18-9-85 से 24-10-85	10 से 11.50	3 से 7	98.25 मीटर	31-10-85 15-11-85
			21-12-85 से 9-1-86	..	..	..	27-12-85 23-1-85
			13-1-86 से 19-1-86	..	..	..	15-2-85
2—रसूलपुर सादात तकरोड़ी।		40	11-10-85 से 25-10-85	11.50	1	65 मी0	30-12-85
3—चिनहट देवा		86	19-9-85 से 9-10-85	11.50	1 से 6	26 मी0	30-12-85
			14-10-85 से 7-11-85	..	..	..	..

नत्थी 'छ'

देखिए अता0प्र0सं0–70 का उत्त र पीछे पृष्ठ 37 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री भगवती सिंह द्वारा । पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्य –70 के उत्तर से सम्बन्धित तालिका:—

मार्ग का नाम	श्रमिकों की संख्या	कार्य की अवधि	मजदूरी की दरें	भुगतान की तिथि	कुल व्यय
1	2	3	4	5	6
बक्शी का तालाब अस्सी मार्ग ।	70	28-9-85 से 21-10-85	11.50	18-11-85	15789.50
	50	22-10-85 से 11-11-85	11.50	26-12-85	13616.00
					29405.50
इटौंजा-कुम्हरावां मार्ग	40	18-9-85 से 17-10-85	11.50	5-11-85	13570.00
	60	2-10-85 से 1-11-85	11.50	16-11-85	14191.00
					27761.00
कुम्हरावां-कुर्सी मार्ग	50	30-9-85 से 21-10-85	11.50	16-11-85	10706.50
	80	20-10-85 से 11-11-85	11.50	16-11-85	18158.50
					28865.00

		किस-किस कि0मी0 में कार्य हुआ	कितने लम्बे भरान लिए किए गये
1		7	8
बक्शी का तालाब अस्वी मार्ग	..	2, 4, 5, 6, 7, 8	85.4 मीटर
इटौंजा कुम्हरावां मार्ग	..	3 से 7	338 मीटर
		1 से 10 तक	98.5 मीटर
कुम्हरावां कुर्सी मार्ग	..	3, 4, 5	47 मीटर

उत्तर प्रदेश संसदीय संग्रहालय

नत्थी 'ज'

(देखिए अता0 प्र0 सं0–86 का उत्तर पीछे पृष्ठ 44 पर)

संलग्नक–1

	सामाजिक वानिकी	ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन प्रजाति	शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी	वन पार्कों का निर्माण
		(धनराशि लाख रु0 में)		
वर्ष 1985–86				
आवंटित धनराशि ..	37.31	14.48	..	..
व्यय ..	37.31	14.48	..	..
वर्ष 1986–87				
आवंटित धनराशि ..	41.00	15.00	1.00	1.00
व्यय ..	41.00	15.00	1.00	1.00
वर्ष 1987–88				
आवंटित धनराशि ..	55.00	15.00	2.50	4.00
व्यय (सितम्बर, 1987 तक) ..	13.66	5.30	0.03	0.43

संलग्नक–2

वर्ष 1985 में किए गए वृक्षारोपणों की स्थलवार सूची

क्रम-सं0	स्थल का नाम			क्षेत्रफल (है0में)	पोषित पौधों की संख्या
1	2			3	4
1	राजा का साहसपुर रेलवे लाइन	..	..	13.00	26.000
2	बरेली–अलीगढ़ रेलवे लाइन	..	..	20.00	40,000
3	सम्भल बहजोई मार्ग	..	..	17.00	39,000
4	पाठकपुर–फरीदपुर मार्ग	..	..	5.00	10,000
5	चन्दनवटी ग्राम समाज	..	..	4.00	8,000
6	धने ग्राम समाज	..	..	6.00	12,000
7	दिल्ली–बरेली मार्ग	..	..	15.00	30,000
8	अतयसी अमरोहा मार्ग	..	..	3.00	6,000
9	मुरादाबाद–नगीना मार्ग	..	..	10.00	20,000
10	कांठ–मिश्रीपुर मार्ग	..	..	9.00	4,000
11	मुरादाबाद–गजरौला रेलवे लाइन	..	..	25.00	50,000

क्रम-सं0	स्थल का नाम			क्षेत्रफल (हे0में)	घोषित पौधों की संख्या
1	2			3	4
12	बगेड़ा ग्राम समाज	..	..	15.00	30,000
13	सिम्थला वन ब्लाक	..	..	20.00	40,000
14	चन्दनपुर वन ब्लाक	..	..	20.00	40,000
15	देहरी गूजर वन ब्लाक	..	..	20.00	40,000
16	लोहारी वन ब्लाक	..	..	20.00	40,000
17	उझारी आदमपुर ठकारसी मार्ग	..	..	15.00	30,000
18	वाऊपुर वन ब्लाक	..	..	5.00	90,000
19	रमपुरा वन ब्लाक	..	..	20.00	40,000
20	शरीफपुर वन ब्लाक	..	..	35.00	70,000
21	मुरादाबाद–गढ़ रेलवे लाइन	..	..	10.00	20,000
22	दारानगर वन ब्लाक	..	..	10.00	80,000
23	करनपुर–सुरजनगर मार्ग	..	..	16.00	32,000
24	शरीफपुर–चरतपुरा	..	..	17.00	34,000
25	रतुपुरा–करनपुर मार्ग	..	..	17.00	34,000
26	मुरादाबाद–गजरौला	..	..	34.00	68,000
27	मुरादाबाद–काशीपुर रेलवे लाइन	..	..	20.00	40,000
28	मुरादाबाद–चन्दौसी रेलवे लाइन	..	..	40.00	80,000
29	मुरादाबाद–चन्दौसी सड़क	..	..	10.00	20,000
		योग	..	494.00	9,88,000

वर्ष 1986 वृक्षारोपण की सूची
सामाजिक वानिकी योजना

क्रम-सं0	स्थल का नाम व कि0मी0				हेक्टेयर	पोषित पौध सं0
1	2				3	4
1	रमपुरा वन ब्लाक		..	..	130.00	260,000
2	इमरतपुर		..	..	30.00	70,000
3	सिमपला		..	..	10.00	20,000
4	दौलतपुर		..	..	15.00	30,000
5	देहरी गूजर		..	..	35.00	70,000
6	रेहरा		..	..	20.00	40,000
7	मुरादाबाद–चन्दौसी मार्ग	46.48.4	..	..	7.00	14,222

विधान सभा

1	2			3	4
8	मिलऊ–हरौर –लैसपुर मार्ग	1 से 8	..	5.00	10,011
9	कुन्दरकी डींगरपुर पागबाड़ा मार्ग	9 से 19	..	15.00	29,910
10	पागवाड़ो–कुवांकी मार्ग	1 से 5..	..	6.40	12,808
11	अगवानपुर–हाशिमपुर मार्ग	1 से 9..	..	4.25	8,500
12	हजलैट नूरपुर मर्ग	(23 से 36 (हरे भाग में)		31.20	6,480
13	मुरादाबाद गजरौला मार्ग रेलवे नार्दन	15 से 23	..	8.00	16,000
14	मिलक केलणकरी ग्राम समाज	..	..	6.00	12,000
15	मल्ली वाला ग्राम समाज	..	..	4.00	8000
16	ठाकुरद्वारा-कमालपुरी मार्ग	1 से 11 ..	..	10.00	20,000
17	फैजुल्लागंज मन्यासी वाला मार्ग	0 से 2.4 ..	..	3.00	6,000
18	दारापुर ग्राम समाज	51 से 57 ..	..	2.50	5,000
19	सम्भल–बहजोई मार्ग		..	9.00	18,000
20	चन्दौसी बहजोई बबराला मार्ग	..	..	10.00	20,000
21	पाठकपुर–सादातपुर मार्ग	..	..	2.00	4,000
22	बरेली–अलीगढ़ रेलवे लाइन	..	..	12.00	24,000
23	दिलमौरा ग्राम समाज	..	..	2.00	4,000
24	अलससी ग्राम समाज	..	..	4.00	8,000
		योग	..	358.35	7,16,991

वर्ष 1987 वर्षाकाल में मुरादाबाद वन विभाग द्वारा जनपद में किया जा रहा वृक्षारोपण का स्थलवार/योजनावार विवरण

योजना का नाम––'सामाजिक वानिकी'

राजि का नाम	भूमि का प्रकार	स्थल का नाम	लक्ष्य (हे0 में)	प्राप्ति (हे0 में)	रोपित पौध
1	2	3	4	5	6
मुरादाबाद	सड़क के किनारे	मुरादाबाद–कांठ मार्ग कि0 6–13	5.00	5.00	10,000
	,,	गोविन्दपुर–संकटूनगला किमी0 1–13	5.00	5.00	10,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
मुरादाबाद	सड़क के किनारे	मूढ़ा पड़िया मार्ग किमी0 1–4	4.00	4.00	8.000
,,	,,	मुरादाबाद–रामपुर मार्ग किमी0 177–178	1.50	1.50	3,000
सम्भल	,,	महमूदपुर सैदरी मार्ग	10.00	9.00	18,000
,,	,,	पाठकपुर–नाधास मार्ग	3.00	3.00	6,000
धनौरा	,,	धनौरा–डीगरा मार्ग कि0मी0 1–6	6.00	6.00	12,000
अमरोहा	,,	डिडौली–काकर सराय मार्ग किमी0नं0–8	2.00	2.00	4,000
,,	,,	चौधरपुर–मदनपुर मार्ग	5.00	5.00	10,000
,,	,,	महमूदपुरा खेड़ा–मुकारमपुर किमी0 1–8	10.00	10.00	20,000
ठाकुरद्वारा	,,	गजरौला–इलर मार्ग किमी0 0–3	3.00	2.00	4,000
बिलारी	,,	स्योहारा–रीठ मार्ग	3.00	3.00	6,000
,,	,,	सन्दलपुर–मैनाठेर विधौली	9.00	9.00	18,000
,,	,,	सादिकपुर–नमैनी जरगा बखेड़ा किमी0 1–2 11–26	8.00	8.00	16,000
,,	,,	वनियाखेड़ा–मानकपुर कुआ-खेड़ा किमी0 1–4	2.80	2.80	5,500
,,	,,	कुन्दर्की जेतवाड़ा–पीतपुर महलौली किमी0 5–13	7.00	7.00	14,000
		योग ..	84.30	82.30	1,64,500
मुरादाबाद	ग्राम समाज	हरदासपुर	15.00	15.00	30,000
,,	,,	अगवानपुर	14.00	14.00	28,000
सम्भल	,,	अतरासी	1.50	1.50	3,000
,,	,,	पाठकपुर (उत्तरी)	3.50	3.50	7,000
,,	,,	वमनपुरी	7.00	6.00	12.000
धनौरा	,,	मलेलिया	4.00	4.00	8,000
अमरोहा	ग्राम समाज	सुल्तानपुर	3.00	3.00	6,000
,,	,,	राधपुर खुर्द	32.00	32.00	64,000
,,	,,	पी0एस0सी0 फायरिंग रेंज	6.00	6.00	24.000
ठाकुरद्वारा	,,	मलकपुर	30.00	30.00	60.000
,,	,,	मौजुद्दीनपुर	7.00	7.00	14,000
,,	,,	असलेमपुर	4.00	4.00	8,000
		ग्राम समाज का योग	127.00	126.00	2,64,000

1	2	3	4	5	6
मुरादाबाद	रेलवे के किनारे	मुरादाबाद–कैलासा मार्ग किमी0 2–6–7–11 एवं 14	6.00	6.00	11,836
,,	,,	मुरादाबाद–काशीपुर किमी0 7–8, 12 से 16	37.00	37.00	74,000
		रेलवे लाइन्स के किनारे का योग	43.00	43.00	85,836
हसनपुर	नहर के किनारे	वृजबाद नरौरा बांध	20.00	6.50	13,000
		नहर के किनारे का योग	20.00	6.50	13,000
हसनपुर धनौरा	आरक्षित वन	बादुपुर वन ब्लाक	15.00	15.00	30,000
		रमपुरा वन ब्लाक	5.00	5.00	10,000
,,	,,	मीरापुर	5.00	5.00	10,000
		आरक्षित वन का योग	25.00	25.00	50,000
		सामाजिक वानिकी योजना का योग	299.30	282.80	5,77,336
		योजना का नाम––'ईंधन प्रजाति योजना'			
सम्भल	सड़क के किनारे	गनौटा–नगली मार्ग	7.00	7.00	14,000
अमरोहा		कांठ–मल्लीपाला मार्ग किमी0 1–8	7.00	6.00	12,000
बिलारी	,,	नहटा महावली मार्ग कि0मी0 1–4	5.00	5.00	10,000
		सड़क के किनारे का योग	19.00	18.00	36,000
अमरोहा	ग्राम-समाज	बदौतस–फतेउल्ला	24.00	24.00	53,000
ठाकुरद्वारा		गजेड़ा अपलम ग्राम	17.00	17.00	34,000
,,	,,	रामपुर–धाधर	10.00	10.00	20,000
		ग्राम समाज का योग	51.00	51.00	1,07,000
धनौरा	आरक्षित वन	रमपुरा वन ब्लाक	20.00	20.00	40,000
		आरक्षित वन का योग	20.00	20.00	40,000
		ईंधन प्रजाति योजना	90.00	89.00	1,83,000

योजना का नाम—शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण

वर्ष		स्थान	रोपित क्षेत्रफल हे0
1985	..	मुरादाबाद	..
1986	..	,,	5
1987	..	,,	15
		योग	20

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिए अता0प्र0सं0–98 का उत्तर पीछे पृष्ठ 51 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री भगवती सिंह द्वारा पूछे गए अतांकित प्रश्न संख्या–98 के उत्तर से सम्बन्धित विवरण

मार्ग का नाम	श्रमिकों की संख्या	कार्य की अवधि	मजदूरी की दर (रु0)	भुगतान की तिथि	कुल व्यय (रुपया)	किस किस किमी0 में कार्य हुआ	कितने लम्बे भरान किए (मीटर)
1	2	3	4	5	6	7	8
1–बी0के0टी0 बाबागंज मार्ग							
(क) किमी0 1 से 11	51	3-10-85 से 25-10-85	11.50	26-12-85	11,868	7, 9, 11, 10	अधिकतम 44.7
	50	26-10-85 से 11-11-85	11.50	30-12-85	9,108	1, 2, 3	
(ख) किमी0 11 से 21	20	27-9-85 17-10-85 से	11.50	5-11-85	3,795	2, 13 16, 17 18	22.50
	20	2-10-85 से 1-11-85	11.50	16-11-85	7,130	12, 13 16, 17 18	134.00
	20	19-10-85 से 3-11-85	11.50	21-1-85	3,680	14,-15	60.00
				योग	35,581		
2–फैजुल्लागंज घैला	60	2-10-85 से 1-11-85	11.50	16-11-85	21,160	1 से 8	493.00
	20	3-10-85 से 22-10-85	11.50	16-11-85	4,600		
				योग	25,760		

1	2	3	4	5	6	7	8
3—बकरपुर—रैथ	60	4-10-85 से 3-11-85	11.50	16-11-85	21,160	1 से 9.5	160.00
	40	26-9-85 से 25-10-85	11.50	5-11-85	12,709	..	112.00
				योग	33,869		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ञ'

(देखिए अता0प्र0सं0–155 का उत्तर पीछे पृष्ठ 73 पर)

जनपद बलिया में माह सितम्बर, 1986 से नवम्बर, 1987 तक की अवधि में प्रत्येक माह में जितने दिनों तक माननीय संसद सदस्यों को सरकारी जीप उपलब्ध कराई गयी उसका विवरण

क्रम-सं0	माह का नाम	माननीय सांसद श्री जगन्नाथ चौधरी	माननीय सांसद श्री राज कुमार राय	माननीय सांसद श्री राम नगीना मिश्र
1	2	3	4	5
1	सितम्बर, 1986	4 दिन	..	3 दिन
2	अक्तूबर, 1986	10 दिन	..	
3	नवम्बर, 1986	12 दिन	..	
4	दिसम्बर, 1986	11 दिन	..	3 दिन
5	जनवरी, 1987	18 दिन	..	
6	फरवरी, 1987	14 दिन	..	
7	मार्च, 1987	9 दिन	..	
8	अप्रैल, 1987	16 दिन	..	
9	मई, 1987	15 दिन	11 दिन	
10	जून, 1987	28 दिन	..	
11	जुलाई, 1987	4 दिन	..	
12	अगस्त, 1987	7 दिन	..	
13	सितम्बर, 1987	11 दिन	8 दिन	1 दिन
14	अकतुबर, 1987	18 दिन	4 दिन	3 दिन
15	नवम्बर, 1987	14 दिन	4 दिन	

पी0एस0यू0पी0--एल0 293 वि0सभा--(536)--1988--813

उत्तर प्रदेश विधान सभा